दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

मई, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- वैश्विक महामारी के दौर में निजता पर संकट 5
- भारत में अंगदान: वर्तमान परिदृश्य एवं संभावनाएँ 7
- वैश्विक महामारी: मानव व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता 10
- राज्यसभा की भूमिका 12

आर्थिक घटनाक्रम **16**

- रिवर्स माइग्रेशन: भारत के समक्ष एक नई चुनौती 16
- चुनौतियों के भँवर में गिग इकॉनमी 18
- बौद्धिक संपदा अधिकार: एक नज़र में 20
- श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता 23
- वित्तीय समावेशन: चुनौतियाँ व समाधान 26
- राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा: चुनौतियाँ और समाधान 29
- अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की आवश्यकता 32
- प्रवासी संकट व मनरेगा 35
- भारत में टिड्डी दल का हमला 37

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **40**

- भारत-इज़राइल संबंधों में मज़बूती का नया दौर 40
- बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका 43
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र: महत्त्व और चुनौतियाँ 45
- अफगान नीति में परिवर्तन की आवश्यकता 48

नोट :

- भारत-चीन संबंध के बदलते आयाम 50
- भारत-नेपाल संबंध: वर्तमान परिदृश्य 53
- चीन-ताइवान संबंध व एक चीन नीति 56
- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध: एक नज़र में 59

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **62**

- 3D प्रिंटिंग: भविष्य की तकनीकी 62
- भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ 64

सामाजिक न्याय **68**

- भारत में बंधुआ मज़दूरी : कारण और समाधान 68

कला एवं संस्कृति **72**

- महात्मा बुद्ध: पुनर्जागरण के अग्रदूत 72

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

वैश्विक महामारी के दौर में निजता पर संकट

संदर्भ

अपनी विकास यात्रा के दौरान समूचा विश्व असंख्य प्रकार की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय उन्नतियों का साक्षी रहा है। हालाँकि इस जद्दोजहद में अक्सर यह भुला दिया जाता है कि यदि जनता के मानवाधिकारों का आदर या सम्मान नहीं होगा तो, किसी भी तरह का विकास टिकाऊ साबित नहीं होगा। इन्हीं मानवाधिकारों में 'निजता का अधिकार' भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत 'निजता का अधिकार' मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है।

COVID-19 महामारी का पूरी दुनिया में अभूतपूर्व ढंग से प्रसार और मृतकों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी के बाद गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों ने महामारी पर नियंत्रण पाने में सरकार की मदद के लिये अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, गूगल और फेसबुक इस महामारी से लड़ाई में स्मार्टफोन से यूज़र्स का लोकेशन डाटा एकत्र कर सरकार से शेयर करेंगी। अमेरिका के बाद इन कंपनियों ने ये भी एलान किया है कि वो इस तरह का डाटा शेयर करने के लिये यूनाइटेड किंगडम की सरकार और कुछ टेलीकॉम कंपनियों से बात कर रही हैं ताकि इन देशों में बीमारी का मुकाबला किया जा सके। भारत सरकार ने भी 'आरोग्य सेतु' (Aarogya Setu) के माध्यम से COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। परंतु इसके साथ ही विभिन्न देशों की सरकारों पर नागरिकों की निजता के उल्लंघन का आरोप भी लग रहा है।

इस आलेख में निजता के अधिकार के महत्त्व, आरोग्य सेतु एप की कार्यप्रणाली, उसकी विशेषताएँ तथा इससे जुड़ी चिंताओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा।

आरोग्य सेतु एप के बारे में

- आरोग्य सेतु एप को सार्वजनिक-निजी साझेदारी (Public-Private Partnership) के जरिये तैयार एवं गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है।
- इस एप का मुख्य उद्देश्य COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना होगा।
- यह एप 11 भाषाओं में उपलब्ध है और साथ ही इसमें देश के सभी राज्यों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी दी गई है।

एप की विशेषताएँ

- किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के जोखिम का अंदाज़ा उनकी गतिविधियों के आधार पर करने हेतु आरोग्य सेतु ऐप द्वारा ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिदम (Algorithm), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा।
- एक बार स्मार्टफोन में इन्स्टॉल होने के बाद यह एप नज़दीक के किसी फोन में आरोग्य सेतु के इन्स्टॉल होने की पहचान कर सकता है।
- यह एप कुछ मापदंडों के आधार पर संक्रमण के जोखिम का आकलन कर सकता है।

एप की कार्यप्रणाली

- अगर कोई व्यक्ति COVID-19 सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो एप निर्देश भेजने के साथ ही ख्याल रखने के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, एप अपने उपयोगकर्त्ताओं के 'अन्य लोगों के साथ संपर्क' को ट्रैक करेगा और किसी उपयोगकर्त्ता को किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में होने के संदेह की स्थिति में अधिकारियों को सतर्क करेगा। इनमें से किसी भी संपर्क का परीक्षण सकारात्मक होने की स्थिति में यह एप्लिकेशन परिष्कृत मापदंडों के आधार पर संक्रमण के जोखिम की गणना कर सकता है।

नोट :

निजता संबंधी चिंताएँ

- इस एप को लेकर कई विशेषज्ञों ने निजता संबंधी चिंता जाहिर की है। हालाँकि केंद्र सरकार के अनुसार, किसी व्यक्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु लोगों का डेटा उनके फोन में लोकल स्टोरेज में ही सुरक्षित रखा जाएगा तथा इसका प्रयोग तभी होगा जब उपयोगकर्त्ता किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा जिसकी COVID-19 की जाँच पॉजिटिव/सकारात्मक रही हो।
- विशेषज्ञों के अनुसार, कौन सा डेटा एकत्र किया जाएगा, इसे कब तक संग्रहीत किया जाएगा और इसका उपयोग किन कार्यों में किया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- सरकार ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही कि हालात सुधरने के बाद इस डेटा को नष्ट कर दिया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिये एकत्रित किये जा रहे डेटा के प्रयोग में लाए जाने से निजता के अधिकार का हनन होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का भी उल्लंघन होगा जिसमें निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है।
- जिस तरह आधार नंबर एक सर्विलांस सिस्टम बन गया है और उसे हर चीज़ से जोड़ा जा रहा है वैसे ही कोरोना वायरस से जुड़े एप्लिकेशन में लोगों का डेटा लिया जा रहा है जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी डेटा और निजी जानकारियाँ भी शामिल हैं। अभी यह सुनिश्चित नहीं है कि सरकार किस प्रकार और कब तक इस डेटा का उपयोग करेगी।
- COVID-19 महामारी के बारे में सबसे ज़्यादा चिंताजनक तथ्य ये है कि सरकारें स्वयं मरीज़ों और संभावित संक्रमित लोगों की संवेदनशील जानकारी मुहैया करा रही हैं।
- विज्ञान पत्रिका 'नेचर' ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि अनगिनत एप और वेबसाइट बन गई हैं जो सरकारी वेबसाइट से वायरस से संक्रमित लोगों की जानकारी लेकर प्रकाशित कर रही हैं।
- निजता के विषय पर शोध करने वाले शोधकर्त्ताओं का मानना है कि हर केस की जो विशेष जानकारी प्रकाशित की जाती है, उससे वो चिंतित हैं। COVID-19 से बीमार व्यक्ति या क्वॉरन्टीन किये गए लोगों की पहचान आसानी से हो सकती है जिससे उनके निजता के अधिकार का हनन होता है।

प्रभाव

- ऐसी परिस्थितियों में निजता के हनन से कोई भी व्यक्ति सामाजिक भेदभाव का शिकार हो सकता है। इसकी वजह से लोग वायरस का टेस्ट कराने से भी भागेंगे क्योंकि अगर उनका टेस्ट पॉज़िटिव मिलता है तो उनकी जानकारी सार्वजनिक होने का डर रहेगा।
- व्यापक स्तर पर इस जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। ई-कॉमर्स कंपनियां ऐसे लोगों की निगेटिव लिस्ट बना लेंगी और संक्रमण के डर से उनके निवास स्थान पर डिलीवरी से इनकार कर सकती हैं।
- एकत्र किये जा रहे डेटा के माध्यम से इस समस्या के समाप्त होने के बाद भी सरकारें नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी कर सकती हैं।

निजता का महत्त्व क्यों ?

- निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा के लिये ज़रूरी है। वास्तव में यह कई अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है।
- दरअसल निजता का अधिकार हमारे लिये एक आवरण की तरह है, जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप से हमें बचाता है।
- यह हमें अवगत कराता है कि हमारी सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक हैसियत क्या है और हम स्वयं को दुनिया से किस हद तक बाँटना चाहते हैं।
- वह निजता ही है जो हमें यह निर्णित करने का अधिकार देती है कि हमारे शरीर व हमारे विचारों पर किसका अधिकार है ?
- आधुनिक समाज में निजता का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। फ्रांस की क्रांति के बाद समूची दुनिया से निरंकुश राजतंत्र की विदाई शुरू हो गई और समानता, मानवता और आधुनिकता के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित लोकतंत्र ने पैर पसारना शुरू कर दिया।
- तकनीक और अधिकारों के बीच हमेशा से टकराव होते आया है और 21वीं शताब्दी में तो तकनीकी विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच चुका है। ऐसे में निजता को राज्य की नीतियों और तकनीकी उन्नयन की दोहरी मार झेलनी पड़ी।

नोट :

- आज हम सभी स्मार्टफोंस का प्रयोग करते हैं। चाहे एपल का आईओएस हो या गूगल का एंड्राइड या फिर कोई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम कोई भी एप डाउनलोड करते हैं, तो यह हमारे फोन के कॉन्टेक्ट, गैलरी और स्टोरेज़ आदि के प्रयोग की अनुमति मांगता है और इसके बाद ही वह एप डाउनलोड किया जा सकता है।
- ऐसे में यह खतरा है कि यदि किसी गैर-अधिकृत व्यक्ति ने उस एप के डाटाबेस में सेंध लगा दी तो उपयोगकर्ताओं की निजता खतरे में पड़ सकती है।
- तकनीक के माध्यम से निजता में दखल, राज्य की दखलंदाज़ी से कम गंभीर है। हम ऐसा इसलिये कह रहे हैं क्योंकि तकनीक का उपयोग करना हमारी इच्छा पर निर्भर है, किन्तु राज्य प्राय: निजता के उल्लंघन में लोगों की इच्छा की परवाह नहीं करता।

निष्कर्ष

नि:संदेह यह संकट का समय है जिसमें COVID-19 महामारी से होने वाली हानि को कम करने के लिये असाधारण उपायों की ज़रूरत है। आरोग्य सेतु एप को इन्स्टॉल करने संबंधी सरकार के हालिया दिशा-निर्देश से आम लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हुए हैं, जिसमें देश के नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी भी मांगी जा रही है। विपक्ष व सोशल मीडिया सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं और लोगों का कहना है यह उनकी निजता के अधिकार में हस्तक्षेप है। ऐसी स्थिति में सरकार को लोगों की सभी शंकाओं का समाधान करने के लिये आरोग्य सेतु एप पर एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करना चाहिये ताकि उनकी सभी तरह की शंकाओं का समाधान हो सके।

भारत में अंगदान: वर्तमान परिदृश्य एवं संभावनाएँ

संदर्भ

भारत महिर्षि दधीचि जैसे ऋषियों का देश है, जिन्होंने एक कबूतर के प्राणों व असुरों से जन सामान्य की रक्षा के लिये अपना देहदान कर दिया था। परंतु समय के साथ भारत में अंगदान की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई। निश्चित तौर पर अंगदान करके किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी में नई उम्मीदों का सवेरा लाया जा सकता है। इस तरह अंगदान करने से एक प्रेरणादायी शक्ति पैदा होती है, जो अद्भुत होती है। इस तरह की उदारता व्यक्ति की महानता का द्योतक है, जो न केवल आपको बल्कि दूसरे को भी प्रसन्नता प्रदान करती है।

भारत में ही प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रत्यारोपण की संख्या और अंग उपलब्ध होने की संख्या के बीच एक बड़ा अंतराल है। अंग दान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंग दाता अंग ग्राही को अंगदान करता है। दाता जीवित या मृत हो सकता है। दान किये जा सकने वाले अंग गुर्दे, फेफड़े, आंख, यकृत, कॉर्निया, छोटी आंत, त्वचा के ऊतक, हड्डी के ऊतक, हृदय वाल्व और शिराएँ हैं। अंगदान जीवन के लिये अमूल्य उपहार है। अंगदान उन व्यक्तियों को किया जाता है, जिनकी बीमारियाँ अंतिम अवस्था में होती हैं तथा जिन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है।

इस आलेख में अंगदान, अंगदान के समक्ष चुनौतियाँ, प्रत्यारोपण, भारत में अंगदान के कानूनी पहलू, सरकार के द्वारा अंगदान को बढ़ावा देने में किये जा रहे प्रयास तथा अंगदान कानून की तुलनात्मक समझ पर चर्चा की जाएगी।

अंगदान से तात्पर्य

- अंगदान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति (जीवित या मृत, दोनों) से स्वस्थ अंगों और ऊतकों को लेकर किसी अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।
- प्रत्यारोपित होने वाले अंगों में दोनों गुर्दे (किडनी), यकृत (लीवर), हृदय, फेफड़े, आंत और अग्न्याशय शामिल होते हैं। जबकि ऊतकों के रूप में कॉर्निया, त्वचा, हृदय वाल्व कार्टिलेज, हड्डियों और वेसेल्स का प्रत्यारोपण होता है।

अंगदान कौन कर सकता है?

- जीवित व्यक्ति के लिये अंगदान के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। साथ ही अधिकांश अंगों के प्रत्यारोपण का निर्णायक कारक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति होती है, उसकी आयु नहीं।
- जीवित अंगदाता द्वारा एक किडनी, अग्न्याशय, और यकृत के कुछ हिस्से दान किये जा सकते हैं।
- कॉर्निया, हृदय वाल्व, हड्डी और त्वचा जैसे ऊतकों को प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात् दान किया जा सकता है, परंतु हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े और अग्न्याशय जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण अंगों को केवल ब्रेन डेड (Brain Death) के मामले में ही दान किया जा सकता है।
- कार्डियक डेथ अर्थात प्राकृतिक रूप से मरने वाले का सामान्यत: नेत्र (कॉर्निया) दान किया जाता है।

नोट :

अंगदान में भारत की स्थिति

- भारत में प्रति वर्ष लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण का इंतजार करते-करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका कारण मांग और दान किये गए अंगों की संख्या के बीच बड़ा अंतराल है।
- भारत में अंग प्रत्यारोपण करने की सुविधा अच्छी है लेकिन यहाँ पर अंगदान करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। विश्व संदर्भ में देखें तो अंगदान करने के मामले में भारत दुनिया में बेहद पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ प्रति दस लाख की आबादी पर केवल 0.16 लोग अंगदान करते हैं। जबकि प्रति दस लाख की आबादी पर स्पेन में 36 लोग, क्रोएशिया में 35 और अमेरिका में 27 लोग अंगदान करते हैं।
- भारत में 'ब्रेन डेड' या 'मानसिक मृत' हो चुके लोगों के परिवार जन भी अंगदान करने से बचते हैं जबकि यह निश्चित हो जाता है कि ऐसे लोगों का जीवनकाल बढ़ाना अब संभव नहीं है। यही कारण है कि इस मामले में भी अंगदान बहुत कम हो रहा है। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र में 132, तमिलनाडु में 137, तेलंगाना में 167 और आंध्रप्रदेश में 45 और चंडीगढ़ में केवल 35 अंगदान हुए।
- तमिलनाडु ने बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में बेहतर काम किया है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 80 हजार कॉर्निया का अंगदान होता है।
- दिसंबर 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में यह जानकारी दी गई कि प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 2 लाख गुर्दे, 30 हजार हृदय और 10 लाख नेत्र की ज़रूरत है। जबकि केवल हृदय 340 और 1 लाख नेत्र यानी कॅर्निया ही प्रतिवर्ष मिल रहे हैं।
- मार्च 2020 में अंग दान तथा प्रत्यारोपण करने के मामले में महाराष्ट्र ने तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है।

भारत में अंगदान के समक्ष चुनौतियाँ

- आधारिक संरचना का अभाव:
  - भारत के सभी अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपकरणों की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2017 के आँकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 301 अस्पताल ऐसे हैं जहाँ अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपकरण मौजूद हैं और इनमें से केवल 250 अस्पताल ही राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के साथ पंजीकृत हैं।
  - उपरोक्त आँकड़े दर्शाते है कि देश में अंग प्रत्यारोपण हेतु लगभग 43 लाख लोगों के लिये ऐसा मात्र 1 ही अस्पताल मौजूद है जहाँ अंग प्रत्यारोपण संबंधी सभी आवश्यक उपकरण मौजूद हैं।
- मांग और पूर्ति के बीच अंतर:
  - आँकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 150 लोगों का नाम अंग प्रत्यारोपण का इंतज़ार कर रहे लोगों की सूची में जुड़ जाता है। जहाँ एक ओर वर्ष 2017 में तकरीबन 2 लाख लोग किडनी प्रत्यारोपण का इंतज़ार कर रहे थे, परंतु इनमें से केवल 5 प्रतिशत लोगों का ही किडनी प्रत्यारोपण हो पाया था।
  - यह स्थिति तब है जब एक व्यक्ति अंग दान के माध्यम से कुल 8 लोगों की जान बचा सकता है।
  - हालाँकि विगत कुछ वर्षों में अंग दानकर्त्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज की गई है, परंतु फिर भी यह वृद्धि लगातार बढ़ती अंगदान की मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है।
- प्रत्यारोपण की उच्च लागत:
  - भारत में अंग दान करने वालों में अधिकतर मध्यम निम्न वर्ग या निम्न वर्ग के लोग ही होते हैं, परंतु अंग प्राप्त करने वाले लोगों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व काफी कम होता है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण प्रत्यारोपण की उच्च लागत को माना जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग प्रत्यारोपण की लागत लगभग 5 से 25 लाख रुपए के आस-पास है, जो कि मध्यम निम्न वर्ग या निम्न वर्ग के लिये काफी बड़ी लागत है।
- जागरूकता की कमी:
  - भारत के आम नागरिकों में अंग दान को लेकर उचित शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। कई बार यह देखा जाता है कि दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले अंग विफलता से पीड़ित लोगों को अंग दान और अंग प्रत्यारोपण जैसी प्रणाली के बारे में पता ही नहीं होता है जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नोट :

- सामाजिक मान्यताएँ:
  - भारत में अधिकांश लोग मृत्यु के बाद जीवन एवं पारलौकिक विश्वासों में जीता है। अत: अंगों में काट-छाँट उन्हें प्रकृति व धर्म के विपरीत लगता है।
  - कुछ लोगों का मानना है कि अंग प्रत्यारोपण की सहमति देने पर अस्पताल के कर्मचारी उनका जीवन बचाने के लिये गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे।

भारत में अंगदान को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयास

- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम,1994:
  - अंग प्रत्यारोपण में गलत प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा वर्ष 1994 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम बनाया गया।
  - इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये मानव अंगों के निष्कासन, भंडारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करना है। साथ ही यह मानव अंगों के वाणिज्यिक प्रयोग को भी प्रतिबंधित करता है।
  - इस अधिनियम में किसी गैर-संबंधी (माता-पिता, सगे भाई-बहन, पति-पत्नि के अलावा) के अंग प्रत्यारोपण को गैर-कानूनी घोषित किया गया था।
  - वर्ष 1999 में इस अधिनियम में संशोधन कर चाचा-चाची, मौसा-मौसी और बुआ आदि को तथा वर्ष 2011 में भावनात्मक लगाव रखने वाले संबंधों को भी मान्यता दी गई।
- मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011:
  - इस अधिनियम में मानव अंग दान के लिये प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रावधान किये गए थे। साथ ही अधिनियम के दायरे को और अधिक व्यापक कर उसमें ऊतकों (Tissues) को भी शामिल कर लिया गया था।
  - इन प्रावधानों में रिट्रिवल सेंटर और मृतक दानकर्त्ताओं से अंगों के रिट्रिवल के लिये उनका पंजीकरण, स्वैप डोनेशन और अस्पताल के पंजीकृत मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा अनिवार्य जाँच करना शामिल है।
  - इस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर दानकर्त्ताओं और प्राप्तकर्त्ताओं के पंजीकरण का भी प्रावधान है।
- मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 2014
  - इस अधिनियम के द्वारा अंगदान के कार्य को सहज, सरल और पारदर्शी बनाने तथा नियमों की गलत व्याख्या रोकने के प्रावधान किये गए हैं।
  - यदि अंग दान हासिल करने वाला विदेशी नागरिक हो और दानदाता भारतीय, तो बगैर निकट रिश्तेदारी के प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं मिलेगी और इस संबंध में निर्णय प्राधिकार समिति द्वारा लिया जाएगा।
  - जब प्रस्तावित अंग दानकर्त्ता और अंग प्राप्तकर्त्ता करीब संबंधी न हों तो प्राधिकार समिति यह मूल्यांकन करेगी कि अंग दानकर्त्ता और अंग प्राप्तकर्त्ता के बीच किसी भी तरह का व्यावसायिक लेन-देन न हो।
- देशभर में अंगदान को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम लागू किया है। वहीं ब्रेन डेड व्यक्ति से अंगदान को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जैसे- नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organisation-NOTTO) और पूरे भारत में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये 5 अन्य क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (Regional Organ and Tissue Transplant Organisation- ROTTO) स्थापित किये हैं, जिनमें से ऐसा ही एक संस्थान पी.जी.आई चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है जोकि उत्तरी भारत के 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में अंग और ऊतक दान की निगरानी करता है।
- गौरतलब है कि अंगदान करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त अंगों को उपयोग के लायक जीवित रखने के लिये राज्यों द्वारा इस संदर्भ में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है, जिसने इस संदर्भ में कई पहलों की शुरूआत की है, जैसे ब्रेन डेड व्यक्ति का प्रमाणपत्र बनाना, अंग वितरण को सुव्यवस्थित करना और अंगों के आवागमन के लिये हरित कॉरिडोर निर्धारित करना आदि।

नोट :

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन

- राष्ट्रीय अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
- इसमें 'राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन एवं भंडारण' तथा 'राष्ट्रीय बॉयोमैटीरियल केंद्र' जैसे दो प्रभाग हैं।
- यह देश में अंगों और ऊतकों की खरीद के नेटवर्क के साथ-साथ अंगों और ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण के पंजीकरण में सहयोग जैसी अखिल भारतीय गतिविधियों के लिये सर्वोच्च केंद्र के तौर पर कार्यरत है।

आगे की राह

- अंगदान की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर सांस्कृतिक मान्यताओं, पारंपरिक सोच और कर्मकाण्डों की वजह से है। ऐसे में डॉक्टरों, गैर-सरकारी संगठनों और समाज सेवियों को अंगदान के महत्त्व के प्रति लोगो को जागरूक करना चाहिये।
- सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएँ समाज के कमज़ोर वर्ग तक भी पहुँच सकें। इसके लिये सार्वजनिक अस्पतालों की अंग प्रत्यारोपण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।
- अंग दान के बारे में गलत धारणाओं और मिथकों को दूर करना देश में अंग दान करने वालों की कमी को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यदि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों में से 5 प्रतिशत व्यक्ति भी अंग दान करें तो जीवित व्यक्तियों को अंग दान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

वैश्विक महामारी: मानव व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता

संदर्भ

कोरोना वायरस के प्रकोप से विश्व व्यवस्था व्यापक परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है। इन परिवर्तनों की व्यापकता सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ ही मानव के व्यवहार में भी देखने को मिल रही है। मानव के व्यवहार में परिवर्तन का यह स्वरूप स्वैच्छिक भी होगा और विधिक भी। यहाँ मानव व्यवहार में परिवर्तन के विधिक स्वरुप से तात्पर्य कानून बनाकर उसे अपने व्यवहार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है, ताकि लोग कानून का पालन करें और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएँ। ऐसा नहीं है कि व्यवहार परिवर्तन की यह अवधारणा भारत में नई है, इससे पूर्व देश की स्वतंत्रता के बाद सरकारी योजनाओं में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये उनके व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास किया गया था।

व्यवहार परिवर्तन का यह प्रयास अनवरत रूप से जारी रहा और वर्तमान में इस अवधारणा के सकारात्मक परिणाम हमें स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान तथा गिव इट अप अभियान में देखा जा रहा है। वर्ष 2019 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में व्यावहारिक अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया था। विदित है कि व्यावहारिक अर्थशास्त्र पर वर्ष 2017 में अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर को नोबेल पुरस्कार मिला था, इसके बाद से व्यावहारिक अर्थशास्त्र की अवधारणा पर अधिक चर्चा होने लगी है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में इस अवधारणा का उपयोग सामाजिक बदलाव व मानवीय व्यवहार परिवर्तन के लिये करने पर बल दिया गया है।

इस आलेख में व्यवहार परिवर्तन की अवधारणा 'व्यावहारिक अर्थशास्त्र', उसके परिणाम, उसके अनुप्रयोग के क्षेत्र के साथ व्यवहार परिवर्तन की वैकल्पिक रणनीतियों भी पर विश्लेषण किया जाएगा।

व्यावहारिक अर्थशास्त्र से तात्पर्य

- ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं के सर्वोत्तम लाभ को ध्यान में रखकर लेता है। अर्थशास्त्र के 'तार्किक विकल्प सिद्धांत' का भी यही मानना है कि एक तार्किक व्यक्ति लाभ, उपयोगिता तथा लागत को ध्यान में रखकर अपने निर्णय लेता है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र की अवधारणा उपर्युक्त विचारों से भिन्न है, इस अवधारणा का मानना है कि लोगों के निर्णय अन्य बातों पर भी निर्भर करते हैं।
- व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अनुसार, मानव का व्यवहार प्रमुख रूप से समाज एवं उसके बनाए नियमों से प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक नियम लोगों के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा लोगों के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखकर ज़रूरी बदलाव लाने में व्यावहारिक अर्थशास्त्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

नोट :

व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता

- जैसा की हम जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी से बचाव का एक बेहतर विकल्प फिज़िकल डिस्टेंसिंग अर्थात शारीरिक दूरी है। भारत की घनी आबादी को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि वायरस के प्रकोप से बचने के लिये अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करना ज़रूरी है।
- इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिये अब हमें अभिवादन की पारंपरिक प्रक्रिया 'नमस्ते' का अनुपालन किसी भी शारीरिक स्पर्श के बिना करना होगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा क्योंकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वायरस का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेज़ी से हो सकता है।
- सभी लोगों को समय-समय पर हाथों को सैनेटाईज़ करने या साबुन से धुलने के नियम को अपने व्यवहार में शामिल करना होगा क्योंकि हाथ वायरस के शरीर में प्रवेश का प्रमुख कैरियर बन सकते हैं।

व्यवहार परिवर्तन हेतु वैकल्पिक रणनीतियाँ

- नज़ सिद्धांत:
  - यह व्यवहारात्मक विज्ञान की संकल्पना है जिसमें बिना दबाव के तथा सकारात्मक दिशा-निर्देशों और परोक्ष सुझावों द्वारा लोगों को वांछनीय और लाभकारी व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है।
  - इस सिद्धांत के द्वारा ही लोगों के भीतर खुले में शौच के प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर सामुदायिक शौचालयों का उपयोग करने के प्रति प्रेरित किया गया। इस कार्य में दरवाज़ा बंद जैसे अभियान कारगर सिद्ध हुए।
  - इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ही समाज बेटियों की महत्ता को समझते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) से बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी (BADLAV) की दिशा में अग्रसर हुआ। लोगों के इस व्यवहार परिवर्तन में सेल्फी विद डॉटर जैसे सामाजिक पहलों का बड़ा योगदान रहा।
- ICE मॉडल:
  - सूचना, शिक्षा और संचार (Information, Education and Communication-ICE) ऐसा उपाय है जो एक निर्धारित समयावधि में किसी विशिष्ट समस्या के बारे में लक्षित समूह के व्यवहार को बदलने या सुदृढ़ करने का प्रयास करता है।
  - अमेरिका में पिछले 30 वर्षों में LGBTQ+ समुदाय के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। यह नाटकीय बदलाव किसी कानून के कारण नहीं हुआ, बल्कि बहस और विचार-विमर्श के कारण समाज में विकसित हुई परानुभूति (Empathy) का परिणाम है।
- सामाजिक विपणन
  - सामाजिक विपणन से तात्पर्य बाज़ार में अपनी ज़रुरत की वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को अनावश्यक रूप से स्पर्श न करने से है। उदाहरण- कई बार लोग अनावश्यक रूप से वस्तुओं को स्पर्श करते हैं या कपड़ों को पहन कर देखते हैं जबकि उन्हें उस वस्तु की खरीदारी नहीं करनी होती है।
  - अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रारंभ करना आवश्यक हो गया है। ऐसे में समय के साथ ही लोगों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बाज़ार का रुख करना होगा।
  - लोगों को बाज़ार में अपनी ज़रुरत की वस्तुओं कि खरीदारी करते समय सामाजिक विपणन के नियम का अनुपालन अपने व्यवहार में शामिल करना चाहिये।
- गैर-सरकारी संगठन
  - इस महामारी से उपजी परिस्थितियों से निकलने के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका निर्णायक हो सकती है, क्योंकि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार की पहुँच इन संगठनों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है।
  - इन गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग में स्वास्थ्य मानकों के प्रति जागरूकता पैदा कर सकती है।
- हेल्थ बिलीफ मॉडल
  - सामाजिक मनोचिकित्सक इरविन रोसेनस्टॉक (Irwin Rosenstock) ने हेल्थ बिलीफ मॉडल (Health Belief Model) के माध्यम से बताया कि व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर कई बीमारियों से स्वयं को बचा सकता है।

नोट :

- इस मॉडल में व्यक्ति की भावनाओं को प्रभावी क्रिया के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया जाता है। जैसे- किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिये माँ के द्वारा किया गया भावनात्मक निवेदन बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है।
- प्रधानमंत्री द्वारा जब 'जनता कर्फ्यू' की अपील की गई तब लोगों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला क्योंकि यह एक भावनात्मक निवेदन था, जिसने प्रभावी रूप से कार्य किया।

व्यवहार में परिवर्तन लाने के सफल प्रयास

- सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित करने के मामले में कानूनों के सफल होने की अधिक संभावना है। जैसे धूम्रपान को नियंत्रित करने के लिये स्वास्थ्य चेतावनी सहित कई उपायों का उपयोग किया जाता हैं।
- लेकिन एक कारक जिसने धूम्रपान में निरंतर गिरावट लाने में योगदान किया है, वह है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध।
- मनुष्य किसी व्यवहार की अपेक्षित लागत के आधार पर भी एक निषिद्ध गतिविधि में संलग्न होने के बारे में निर्णय लेते हैं।
- यदि सज़ा की गंभीरता और संभावना किसी गतिविधि से प्राप्त होने वाले लाभ या आनंद से अधिक है, तो व्यक्ति उस व्यवहार से बचना चाहेगा।
- उदाहरणस्वरुप, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 2019 ने जुर्माने को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा कर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिये बाध्य किया है।

निष्कर्ष

- चूँकि इस वैश्विक महामारी के प्रसार का कारण मानव गतिविधि और व्यवहार है। अत: मानव गतिविधि और व्यवहार से संचालित समस्या के समाधान के लिये सरकार और न्यायालयों से परे दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अच्छे और प्रभावी नियमों की भी अपनी भूमिका होती है, लेकिन सांस्कृतिक और व्यावहारिक बदलाव सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से देश की ज़रूरतों के अनुसार लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए स्वास्थ्य मानकों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिये। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की यह उक्ति ध्यान में रखी जानी चाहिये कि 'जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं, वह परिवर्तन आप स्वयं में लाइये।'

राज्यसभा की भूमिका

संदर्भ

यह सर्वविदित है कि लोकतांत्रिक सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित हैं, लिहाजा लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में दो सदनों का होना अहम है। एक सदन लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक (लोकसभा) होता है वहीं दूसरा सदन किसी तरह की भीड़तंत्र वाली मानसिकता को रोकने (राज्यसभा) का काम करता है। राज्यसभा या राज्यपरिषद (Council of States) भारतीय संसद का दूसरा सदन है, जिसकी स्थापना मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 के आधार पर की गई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ के लिये एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान, लोकसभा और राज्यसभा को कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-80, राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। यह एक स्थायी सदन है अर्थात् राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जबकि राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष में किया जाता है।

इस आलेख में संविधान सभा में राज्यसभा को लेकर पक्ष-विपक्ष की बहस, राज्यसभा की भूमिका तथा उससे संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

संविधान सभा में राज्यसभा के पक्ष में तर्क

- राज्यसभा के गठन का सबसे अहम पक्ष यह था कि यह सदन राज्यों के पक्ष को मज़बूती से रखेगा। यदि लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को जल्दबाज़ी में पारित किया गया है तो राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करेगा।

नोट :

- संसद का उच्च सदन, लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्तापक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है।
- उच्च सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करता है, जो सरकार की जन-कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्यों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं।
- इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन (Check and Balance) सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये आवश्यक माना जाता है।

राज्यसभा के विपक्ष में तर्क

- संविधान सभा में विशेषज्ञों का राज्यसभा के विपक्ष में मुख्य तर्क यह था कि राज्यसभा का गठन ब्रिटेन की साम्राज्यवादी विरासत को स्थापित करेगी क्योंकि इसका स्वरूप ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स (House of Lord's) के समान था।
- राज्यसभा के सदस्यों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भांति उद्योगपति और धनी लोग होंगे, जिनका भारत के लोगों व उनकी परिस्थितियों से कोई सरोकार नहीं होगा।
- राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, ऐसे में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बने सदन लोकसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यसभा के द्वारा किये गए अनावश्यक विलंब से 'देश आर्थिक रूप से पिछड़' सकता है।

राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के आधार पर ही होता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार, राज्य विधानमंडल (विधान सभा) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है।

एकल संक्रमणीय मत

- एकल संक्रमणीय मत अर्थात एकल मत, मतदाता एक ही मत देता है लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर रैंक देता है। अर्थात् वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तथा तीसरी पसंद कौन है।
- यदि पहली पसंद वाले मतों से विजेता का निर्णय नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में मतदाता की दूसरी पसंद को नए एकल मत की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसलिये इसे एकल संक्रमणीय मत कहा जाता है।

राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता

- व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
- 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- विकृत मस्तिष्क का न हो।
- यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएँ निर्धारित करे तो यह ज़रूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे।

राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य

- विधायी शक्तियाँ

गैर-वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं।

धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है।

संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्य सभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के बराबर है।

नोट :

- विशिष्ट शक्तियाँ
  - देश के संघात्मक ढाँचे को बनाए रखने के लिये राज्यसभा के पास दो विशिष्ट अधिकार हैं, जो कि लोकसभा के पास नहीं है-
    - अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर सकती है।
    - अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है।
- अन्य शक्तियाँ
  - आपातकाल की अवधि यदि एक माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना ज़रूरी होता है।
  - राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं।
  - उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है।
  - राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं।

राज्यसभा से संबंधित मुद्दे

- राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय देश अपने उच्च सदन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करके, संघवाद के सिद्धांत को भारत की तुलना में अधिक मज़बूती से स्थापित करते हैं।
  - भारत में अन्य देशों के विपरीत उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में राज्यों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। परिणामस्वरूप अधिक जनसंख्या वाले राज्यों से अधिक प्रतिनिधि व कम जनसंख्या वाले राज्यों से कम प्रतिनिधि पहुँचते हैं।
  - उदाहरण के लिये, केवल उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा के लिये आवंटित सीटों की संख्या संयुक्त रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या के तुलना में काफी अधिक है।
- राज्यसभा को दरकिनार करने का प्रयास

कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि धन विधेयक का रूप देकर साधारण विधेयकों को पारित किया जा रहा है। यह विदित है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सीमित अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्तारूढ़ दल द्वारा संसद के उच्च सदन की बहुत प्रभावकारिता को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

  - राज्यसभा को इस तरह से दरकिनार करने का कारण सत्तारूढ़ दल का इस सदन में बहुमत में न होना है। इसे हाल ही में आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कराने को लेकर देखा जा सकता है।
- राज्यसभा की संघीय विशेषताओं में परिवर्तन
  - जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से, संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 से 'अधिवास' (Domicile) शब्द हटा दिया है।
  - इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो किसी राज्य का न तो निवासी हैं और न ही उसका अधिवास है, वह व्यक्ति भी उस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है।
  - इस संशोधन के बाद राज्यसभा की सीटों का उपयोग सत्तारुढ़ दल द्वारा लोकसभा में अपने पराजित उम्मीदवारों को राज्यसभा में चुने जाने के लिये किया जा रहा है।
- मनोनीत सदस्यों की न्यून भागीदारी
  - राज्यसभा के लिये मनोनीत सदस्यों में कुछ विशिष्ट हस्तियों का मनोनयन उनके प्रशंसकों की संख्या को देखकर किया जाता है, ताकि उन प्रशंसकों को वोट बैंक में परिवर्तित किया जा सके।
  - ऐसे सदस्य एक बार नामांकित होने के बाद सदन के कामकाज में शायद ही कभी भाग लेते हैं। उदाहरण के लिये सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2012 में मनोनीत किया गया था, उनके मनोनयन के बाद कार्यकाल पूरा होने तक सदन 374 दिनों तक प्रचालन में रहा, लेकिन सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति मात्र 24 दिनों की ही रही।

नोट :

आगे की राह

- राज्यसभा के संघीय चरित्र को संरक्षित करने के लिये एक उपाय यह हो सकता है कि राज्य सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से किसी राज्य के नागरिकों द्वारा ही चुने जाएँ। इससे क्रोनी कैपिटलिज्म (धनबल के माध्यम से नीतियों को प्रभावित करना) व राजनैतिक तुष्टीकरण पर लगाम लगेगी।
- इसके साथ ही प्रत्येक राज्य के लिये समान प्रतिनिधित्व को सक्षम करने हेतु एक संघीय व्यवस्था तैयार की जा सकती है, ताकि बड़े राज्य सदन में अपने संख्या बल के आधार पर नीतियों को प्रभावित न कर सके।
- सदन में चर्चा की गुणवत्ता में सुधार के लिये मनोनयन की बेहतर प्रक्रिया की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति में उतार-चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। इसके अलावा लोक सभा के साथ यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे मूल्यों का ध्वजवाहक भी है। इस प्रकार राज्यसभा को लोकतंत्र की 'विघटनकारी' शाखा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि भारतीय लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखने के लिये राज्यसभा को सक्षम बनाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

रिवर्स माइग्रेशन: भारत के समक्ष एक नई चुनौती

संदर्भ

"हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे।
इक खेत नहीं, इक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे।।"

फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी इस रचना के माध्यम से न केवल श्रमिक वर्ग को सम्मान दिलाया बल्कि उनके हक के लिये आवाज़ भी बुलंद की। यूँ तो श्रमिक वर्ग के लिये प्रत्येक राजनीतिक दल अपने-अपने घोषणापत्र में ढेरों वायदे करते हैं परंतु ज़मीनी स्तर पर जब श्रमिकों के हित की बात आती है तो ठोस उपाय करने की बजाय राजनीतिक दल इस वर्ग की समस्याओं से पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। इस समय भारत में ज़ारी लॉकडाउन के दौरान श्रमिक वर्ग को पलायन जैसी गंभीर समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है।

लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है। अमूमन हमने, रोज़गार पाने व बेहतर जीवन जीने की आशा में गाँवों और कस्बों से महानगरों की ओर पलायन होते देखा है परंतु इस समय महानगरों से गाँवों की ओर हो रहा पलायन नि:संदेह चिंताज़नक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति को ही जानकारों ने रिवर्स माइग्रेशन (Reverse Migration) की संज्ञा दी है।

इस आलेख में रिवर्स माइग्रेशन, उसके कारण, इससे उत्पन्न चुनौतियाँ और समाधान के विभिन्न प्रयासों का विश्लेषण किया जाएगा।

क्या है रिवर्स माइग्रेशन ?

- सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य 'महानगरों और शहरों से गाँव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है।'
- बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गाँव की ओर प्रवासन हो रहा है। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम-धंधा बंद होने की वजह से श्रमिकों का बहुत बड़ा हुजूम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिये पैदल ही सड़कों पर उतर पड़ा।
- लॉकडाउन में कैद, भूख-प्यास से परेशान मजदूरों के बीच छटपटाहट और बेचैनी लाज़िमी थी। अब लंबे इंतजार के बाद सरकार की इजाज़त से उनकी घर वापसी का रास्ता खुला है। इस वक्त यह राहत की बात लग सकती है, लेकिन यह रिवर्स माइग्रेशन संपन्न व पिछड़े दोनों तरह के राज्यों के लिये आफत साबित होने वाला है।

प्रवासी श्रमिक से तात्पर्य

- एक 'प्रवासी श्रमिक' वह व्यक्ति होता है जो असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिये पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं।
- अपने देश के बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को विदेशी श्रमिक भी कहा जाता है। उन्हें प्रवासी या अतिथि कार्यकर्ता भी कहा जा सकता है, खासकर जब उन्हें स्वदेश छोड़ने से पहले मेजबान देश में काम करने के लिये भेजा या आमंत्रित किया गया हो।

भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र

- भारत का असंगठित क्षेत्र मूलत: ग्रामीण आबादी से विकसित हुआ है और इसमें अधिकांशत: वे लोग शामिल हैं जो गाँव में परंपरागत कार्य करते हैं और शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं।
- इनमें अधिकतर ऐसे लोग है जो फसल की बुआई और कटाई के समय गाँवों में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों-महानगरों में काम करने के लिये आजीविका तलाशते हैं।
- भारत में लगभग 50 करोड़ का कार्यबल है, जिसका 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है।
- इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक वर्ष 1948 के फैक्टरी अधिनियम जैसे किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं।

नोट :

अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका

- भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की जीडीपी की लगभग 6 प्रतिशत है।
- ये श्रमिक इसका एक तिहाई यानी जीडीपी का लगभग दो प्रतिशत घर भेजते हैं। मौज़ूदा जीडीपी के हिसाब से यह राशि 4 लाख करोड़ रुपए है।
- यह राशि मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भेजी जाती है।
- वर्ष 1991 से 2011 के बीच प्रवासन में 2.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो वहीं वर्ष 2001 से 2011 के बीच इसकी वार्षिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रही। इन आँकड़ों से पता चलता है कि प्रवासन से श्रमिकों और उद्योगों दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ।
- श्रम गहन उद्योगों अर्थात ज्वैलरी, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटोपार्ट्स सेक्टर में बड़ी तादाद में श्रमिक काम करते हैं।
- जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो इन श्रमिकों को बोनस, इन्क्रिमेंट, मोबाइल फोन रिचार्ज़, आने-जाने का किराया और कैंटीन जैसी सुविधाएँ देकर कंपनियाँ इन्हें अपने साथ जोड़कर रखना चाहती हैं।

श्रमिकों के प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियाँ

- श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन से देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों में चिंता व्याप्त है।
- वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया है या रुक गया है परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि होगी। श्रमिकों की पूर्ति न हो पाने से उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।
- लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात श्रमिक वर्ग के महानगरों में स्थित औद्योगिक इकाईयों में कार्य हेतु वापस न लौटने की भी आशंका है।
- पंजाब, हरयाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति में इन राज्यों की कृषि गतिविधियाँ बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं।
- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरू और हैदराबाद जैसे अन्य महानगरों को दैनिक कार्यों में सहायता देने वाले श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाला राजस्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा।
- श्रमिकों के पलायन से रियल एस्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित हो सकता है। भवनों का निर्माण कार्य रुक जाने से परियोजना की लागत बढ़ने की संभावना है।

रिवर्स माइग्रेशन से पिछड़े राज्यों पर प्रभाव

- रिवर्स माइग्रेशन के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा। यह सर्वविदित है कि महानगरों में कार्य कर रहे श्रमिक अपने गृह राज्य में एक बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे इन राज्यों को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी।
- बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य अपेक्षाकृत रूप से औद्योगीकरण में पिछड़े हुए हैं, रिवर्स माइग्रेशन के परिणामस्वरूप इन राज्यों में रोज़गार का संकट भीषण रूप ले रहा है।
- रोज़गार के अभाव में इन राज्यों में सामाजिक अपराधों जैसे- लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति और देह व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था और छवि दोनों खराब होने की आशंका है।
- रोज़गार के संकट से इन राज्यों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होगी क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पूर्व में भी आर्थिक वंचनाओं के दौरान महिलाओं को प्रतिकूल परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है।

आगे की राह

- यदि संपन्न राज्य प्रवासी श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन को नहीं रोक पाते हैं, तो उद्योग अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता खो देंगे क्योंकि श्रम लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- कार्यस्थलों पर श्रम कानूनों का प्रवर्तन और व्यापक कानून का अधिनियमन किया जाना चाहिये, मौजूदा श्रम कानूनों का कठोर प्रवर्तन आवश्यक है।

नोट :

- प्रवासी श्रमिकों के लिये पूरे भारत में श्रम बाज़ार को विभाजित किया जाना चाहिये और कार्यकाल की सुरक्षा के साथ एक अलग श्रम बाज़ार विकसित किया जाना चाहिये।
- प्रवासी श्रमिक आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सकें इसके लिये सरकार द्वारा उन्हें पहचान-पत्र जारी किया किया जा सकता है।
- रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने के लिये पिछड़े राज्यों को छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे- ग्रामीण और कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योगों का विकास करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये।

चुनौतियों के भँवर में गिग इकॉनमी

संदर्भ

मानव अपने उद्विकास के काल से ही स्वयं व अपने आश्रितों के जीवन निर्वाह हेतु प्रकृति के उत्पादक कार्यों में संलग्न रहा है, जिससे उसकी आय सुनिश्चित होती रही है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक कार्य की अवधारणा बदलती रही है। साथ ही, कार्य की प्रकृति को प्रभावित करने के कारणों में भी बदलाव होता रहा है। परिवर्तन के इसी क्रम में हाल के वर्षों में काम की ऐसी ही एक नई अवधारणा का जन्म हुआ है जिसे 'गिग इकॉनमी' नाम दिया गया है।

इससे पहले की गिग इकॉनमी वैश्विक रूप से अपना प्रसार कर पाती वह वैश्विक महामारी COVID-19 के चपेट में आ गई। दुनिया भर में ऐप-आधारित नौकरियों का विश्लेषण करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐपजॉब्स (AppJobs) के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण गिग इकॉनमी में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस महामारी के दौरान मांग में कमी के कारण गिग इकॉनमी में कार्यरत कर्मचारियों को अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ा है।

इस आलेख में गिग इकॉनमी, उसके लाभ, इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ, चुनौतियों को दूर करने में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के साथ ही भारत में इसकी प्रासंगिकता का भी विश्लेषण किया जाएगा।

गिग इकॉनमी से तात्पर्य

- गिग इकॉनमी एक ऐसी मुक्त बाज़ार व्यवस्था है जहाँ पारंपरिक पूर्णकालिक रोज़गार की बजाय अस्थायी रोज़गार का प्रचलन होता है।
- इसके तहत कंपनियाँ या संगठन अपनी अल्पकालिक या विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्वतंत्र (Freelance) श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।
- ऐसे श्रमिकों में फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, प्रोजेक्ट आधारित श्रमिक और अस्थायी या अंशकालिक श्रमिक आते हैं।
- ऐसे श्रमिक एक बार कार्य या प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अपनी रूचि के अनुसार दूसरे कार्य या प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ने के लिये स्वतंत्र होते हैं।
- विश्वव्यापी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म 'मैकिन्से' (Mckinsey) के अनुसार, पूरी दुनिया में गिग इकॉनमी का प्रसार तेज़ी से हो रहा है। दरअसल केंद्रीकृत संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डैशबोर्ड, वास्तविक समय कार्य निर्धारण (Real-time Scheduling) इत्यादि के तकनीकी विकास ने गिग इकॉनमी के लिये एक बाज़ार निर्मित किया, तो वहीं स्टार्ट-अप संस्कृति के उद्भव ने इसे लोकप्रिय बना दिया।

गिग इकॉनमी के लाभ

- बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के भी गिग इकॉनमी का आकार पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है, जो इसके विशेष लाभों का परिणाम है।
- गिग इकॉनमी का सबसे बड़ा लाभ उच्च कौशलयुक्त मानव संसाधन की आवश्यकतानुरूप उपलब्धता है। एक शोध के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, डिज़िटल मार्केटिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि से संबंधित 40 प्रतिशत कंपनियों को आवश्यक योग्यता युक्त प्रतिभा खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रतिभा संपन्न गिग कर्मचारियों की उपलब्धता उनकी समस्याओं का सरल समाधान प्रस्तुत करती है।
- इस संदर्भ में कंपनियों को दूसरा सबसे बड़ा कम श्रम लागत के रूप में मिलता है। कंपनियों की श्रम लागत में कमी के दो तरीके हैं; एक तो उन्हें गिग प्रणाली के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण खर्च व ऑफिस व्यय में बचत होती है, दूसरे उन्हें कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा उपायों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले अंशदान संबंधी व्यय से भी मुक्ति मिल जाती है।

नोट :

- गिग इकॉनमी में कंपनियों को तीसरा बड़ा लाभ यह होता है कि उनकी बाहरी मानव संसाधनों तक पहुँच आसान हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने पूर्णकालिक कर्मचारियों की तुलना में गिग कार्मिकों से अधिक बेहतर परिणाम हासिल होता है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को एक बड़ा लाभ इस रूप में भी प्राप्त होता है कि गिग कार्मिक उत्पादों व सेवाओं के विकास में नवाचार और तेज़ी लाते हैं।
- अब अगर गिग इकॉनमी के लाभों को गिग कार्मिको के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कार्मिकों को सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उन्हें एक से अधिक स्रोतों से आय अर्जित करने का अवसर मिलता है।
- कार्मिकों के संदर्भ में गिग इकॉनमी का अन्य सबसे बड़ा लाभ इससे महिलाओं को मिलने वाला लाभ है। भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामान्य तौर पर देखा जाता है कि महिलाएँ विवाह की सामाजिक ज़िम्मेदारी के निर्वाह के उपरांत तथा प्रजनन व शिशुओं की देखभाल की प्रक्रिया से गुज़रते हुए पूर्णकालिक कार्मिक के तौर पर अपनी भूमिका को निरंतर नहीं बनाए रख पाती हैं। इस स्थिति में उनके बेरोज़गार होने या आगे बढ़ने की आपसी प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में गिग इकॉनमी की अवधारणा उनके लिये एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करती है।

औद्योगीकरण 4.0 और गिग इकॉनमी में अंतर्संबंध

- अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोस के अनुसार, कोई भी कंपनी तब तक फलती-फूलती रहेगी जब तक कि चारदीवारी में बैठा कर लोगों से काम कराना, बाज़ार में जाकर काम करा लेने से सस्ता होगा। यानी कोई भी कंपनी यदि बाज़ार में जाकर, प्रत्येक विशिष्ट काम अलग-अलग विशेषज्ञों से कराती है और यह लागत कंपनी के सामान्य लागत से कम है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह एक निश्चित वेतन पर लम्बे समय के लिये लोगों को नौकरी पर रखने के बजाय वह बाज़ार में जाना पसंद करेगी।
- औद्योगिक क्रांति 3.0 में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण ने बाज़ार में निकल कर काम लेना आसान बना दिया, यही कारण था कि बड़ी कम्पनियाँ तेज़ी से बंद होने लगीं और छोटे-छोटे आउटसोर्सिंग फर्मों ने इन कंपनियों की जगह ले ली।
- दरअसल, औद्योगीकरण 4.0 मुख्य रूप से अनवरत इंटरनेट कनेक्टिविटी, रोबोटिक्स, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी पर आधारित है। अत: कंपनियों को अब वैसे ही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो दक्ष हैं और जिनसे प्रोजेक्ट बेसिस पर काम लिया जा सके।
- गौरतलब है कि औद्योगीकरण 4.0 के कारण हमारे कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा। रोबोटिक्स, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी जैसी तमाम तकनीकें जब आपस में मिलेंगी तो उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा।

गिग इकॉनमी के समक्ष चुनौतियाँ

- कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य से देखें तो उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गिग इकॉनमी में उन्हें सामाजिक सुरक्षा के उपायों और श्रमिक अधिकारों के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। उदाहरण के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा के लाभ,बीमार होने पर अवकाश तथा ओवरटाइम वेतन जैसे लाभ उन्हें हासिल नहीं होते हैं।
- कंपनियों द्वारा गिग कार्मिकों को कभी भी काम से हटाया जा सकता है, यानी उन्हें कार्यकाल की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बोनस जैसे लाभों से भी वंचित होते हैं।
- गिग कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में दूसरी बड़ी समस्या ढाँचागत क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रौद्योगिकी का उन्नत ढाँचा शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति उन्नत नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये गिग इकॉनमी का लाभ उठा पाना एक सपना है।
- कंपनियों के संदर्भ में गिग इकॉनमी की चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती कंपनी की कार्य-संस्कृति को प्रभावित होने से बचाना है। गिग कार्मिकों के अस्थायी कर्मचारी होने से टीम भावना में कमी आती है जिससे कंपनियों की कार्य-संस्कृति नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो सकती है।
- कंपनियों के समक्ष दूसरी बड़ी चुनौती अपने महत्त्वपूर्ण डेटा व भविष्य की योजना की रूपरेखा की गोपनीयता से संबंधित देखी जाती है।
- कंपनियों के समक्ष तीसरी बड़ी चुनौती भारत में गिग कार्मिकों के समुच्चय का अभाव है।
- इसके अतिरिक्त, कंपनियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती गिग कार्मिकों के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता व आउटपुट से संबंधित है।

नोट :

भारत में प्रासंगिकता

- अमेरिका में जहाँ श्रम शक्ति का 31 प्रतिशत गिग इकॉनमी से संबंध रखता है वहीं भारत में यह आँकड़ा 75 प्रतिशत है। लेकिन दोनों ही देशों के आर्थिक परिदृश्यों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अमेरिका में 31 प्रतिशत श्रम गिग इकॉनमी का भाग इसलिये है क्योंकि वह सक्षम है, जबकि भारत में बड़ी संख्या में लोग इस व्यवस्था के हिस्से इसलिये हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। विदित है कि दैनिक मज़दूरी करने वालों को भी गिग इकॉनमी का ही हिस्सा माना जाता है।
- भारत में 40 प्रतिशत लोग इतना ही कमा पाते हैं कि दो वक्त की रोटी खा सकें, बचत के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है और वे लगातार गरीबी में जीवन व्यतीत करने को अभिशापित हैं।
- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक अकेले अमेरिका में अगले दो दशकों में डेढ़ लाख रोज़गार खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में तो मानव संसाधन इतना दक्ष है कि उसे गिग इकॉनमी का हिस्सा बनने में कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन भारत में यह स्थिति नहीं है।

आगे की राह

- नि:संदेह इस वैश्विक महामारी ने गिग इकॉनमी के प्रसार में ब्रेक लगा दिया है परंतु इस बात की संभावना है कि लॉकडाउन के बाद इसका तीव्र गति से प्रसार होगा। ऐसे में सरकार द्वारा गिग कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की पहल करनी चाहिये।
- इसके साथ ही सर्वप्रथम सरकार द्वारा गिग कार्मिकों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- गिग इकॉनमी की बेहतरी की दिशा में सरकार के स्तर पर एक बड़ा प्रयास कुशल मानव संसाधन विकसित करने संबंधी होना चाहिये।
- गिग कार्मिकों को आपस में जोड़ते हुए एक समुच्चय बनाने की आवश्यकता है। सरकार को ऐसा मैकेनिज्म भी तैयार करना चाहिये जिसमें गिग कार्मिकों की क्षमता व योग्यता की भी जांच हो सके।
- भारत के पास एक विशाल मानव संसाधन की उपलब्धता है। इस संसाधन को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर इसका उपयोग गिग इकॉनमी में लिया जा सकता है।
- लोगों को विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों के लिये कौशल दिया जाए और इसके लिये अवसंरचना का भी विकास किया जाए। पूर्व की औद्योगिक क्रांतियों के अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि इन परिवर्तनों से सर्वाधिक प्रभावित वे समूह होते हैं जो अपनी कौशल क्षमता में निश्चित समय के
- भीतर वांछनीय सुधार लाने में असमर्थ होते हैं अत: सरकार को चाहिये कि ऐसे लोगों को प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त समय के साथ-साथ संसाधन भी उपलब्ध कराए।

बौद्धिक संपदा अधिकार: एक नज़र में

संदर्भ

मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है। उन विशेष आविष्कारों पर उसका पूरा अधिकार भी है लेकिन उसके इस अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय भी रहा है। यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की बहस प्रारंभ होती है। यदि हम मौलिक रूप से कोई रचना करते हैं और इस रचना का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिये प्रयोग किया जाता है तो यह रचनाकार के अधिकारों का स्पष्ट हनन है।

जब दुनिया में बहस तेज हुई कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए तब संयुक्त राष्ट्र के एक अभिकरण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization-WIPO) की स्थापना की गई। इस संगठन के प्रयासों से ही बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्त्व को प्रमुखता प्राप्त हुई।

इस आलेख में बौद्धिक संपदा अधिकार, उसके प्रकार, बौद्धिक संपदा के संदर्भ में भारत का नज़रिया और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार?

- व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किये जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तुत: ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन (जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि) करता है तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिये। चूँकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिये ही दिया जाता है, अत: इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है।

नोट :

- बौद्धिक संपदा से अभिप्राय है- नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किये जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्त्ता का सदा-सर्वदा के लिये अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनज़र दिये जाते हैं।
- बौद्धिक संपदा अधिकार दिये जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि क्षेत्र विशेष के लिये उसके संगत अधिकारों एवं संबद्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

- यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है।
- इसका गठन वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये किया गया था।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है।
- वर्तमान में 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं।
- भारत वर्ष 1975 में इस संगठन का सदस्य बना था।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार

- कॉपीराइट
  - कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है।
  - कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं: (क) आर्थिक अधिकार: इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। (ख) नैतिक अधिकार: इसके तहत लेखक/रचनाकार के गैर-आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है।
  - कॉपीलेफ्ट: इसके अंतर्गत कृतित्व की पुन: रचना करने, उसे अपनाने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिये लेखक/रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।
- पेटेंट
  - जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्त्ता को उसके लिये दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज़ की तिथि से 20 वर्षों के लिये होती है।
  - आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक न हुआ हो, आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित न कर रहा हो तथा वह आविष्कार व्यावहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिये, ये सभी मानदंड पेटेंट करवाने हेतु आवश्यक हैं।
  - ऐसे आविष्कार (जो आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक छवि को उकसाते हों तथा ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव-जंतुओं में रोगों के लक्षण जानने के लिये प्रयुक्त होते हों) को पेटेंट का दर्जा नहीं मिलेगा।
- ट्रेडमार्क
  - एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है।
  - ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है।

नोट :

- औद्योगिक डिज़ाइन
  - भारत में डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अनुसार, 'डिज़ाइन' से अभिप्राय है- आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संघटन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो।
- भौगोलिक संकेतक
  - भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिह्न से है। इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से संबद्ध होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है।
  - विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरापेय, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। तिरुपति के लड्डू, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना आदि भौगोलिक संकेतक के कुछ उदाहरण हैं।
  - भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999 बनाया गया है। यह अधिनियम वर्ष 2003 से लागू हुआ। इस अधिनियम के आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्त्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता है।
  - वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'उस्ताद योजना' के माध्यम से शिल्पकारों के परंपरागत कौशल का उन्नयन किया जाएगा। उदाहरण के लिये बनारसी साड़ी एक भौगोलिक संकेतक है। अत: उस्ताद योजना से जुड़े बनारसी साड़ी के शिल्पकारों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की अपेक्षा की जा सकती है।

भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की खामियाँ

- सामान्यत: बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-अमेरिका व्यापार में अपेक्षित प्रगति न हो पाने का ज़िम्मेदार भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में व्याप्त खामियाँ हैं। हालाँकि इस बात में पर्याप्त सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसी बहाने हमारे पास भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को देखने का उपयुक्त मौका है।
- ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास पर्याप्त सूचना की कमी के चलते उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा किस्म पेटेंट के तहत आता है और कौन सा नहीं। ऐसे में अक्सर किसानों और कॉर्पोरेट्स के बीच टकराव देखने को मिलता है।
- भारत में पेटेंट करवाना जटिल कार्य है। हमारे पेटेंट कार्यालयों के पास शोध से जुड़ी सूचनाओं की कमी रहती है।
- किसी शोध का पेटेंट मंजूर करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वह शोध पहले से मौजूद उसी तरह के शोध से बेहतर है या नहीं। इस लिहाज़ से निर्धारित समय पर पेटेंट मंजूर करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- मौजूदा वक्त आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का है। अब मशीनें भी इंसानों की तरह सोचने लगी हैं। ऐसे में अगर हम बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने का आधार कला या तकनीकी कौशल को बनाते हैं, तो आने वाले वक्त में ये मशीनें ही अपने नाम पर पेटेंट करवाएँगी।
- शोध को बढ़ावा देने के लिये निजी क्षेत्र को आकर्षित न कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है।

बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु किये गए सरकार के प्रयास

- पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005: भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम बनाया गया था। पुन: स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे वर्ष 1972 से लागू किया गया। इस अधिनियम में पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधन किये गए। इस संशोधन के अनुसार, 'प्रोडक्ट पेटेंट' का विस्तार तकनीक के सभी क्षेत्रों तक किया गया। उदाहरणस्वरुप- खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री आदि के क्षेत्र में इसे विस्तृत किया गया।
- ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999: भारत में ट्रेडमार्क के लिये ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 बनाया गया है। ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द, चिन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार इत्यादि शामिल किया जाता है।
- कॉपीराइट अधिनियम, 1957: वर्ष 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनाकर, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिये इस कानून को देशभर में लागू किया गया।
- वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999: यह कानून सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्त्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग न कर सके।

नोट :

- डिज़ाइन अधिनियम, 2000: सभी प्रकार की औद्योगिक डिज़ाइन को संरक्षण प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016: 12 मई, 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंज़ूरी दी थी। इस अधिकार नीति के जरिये भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। इस नीति के तहत सात लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं-
  - समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
  - बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना।
  - मज़बूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि बौद्धिक संपदा के हकदार और लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके।
  - सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मज़बूत बनाना।
  - व्यवसायीकरण के जरिये बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण।
  - बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिये प्रवर्तन और न्यायिक व्यवस्था को मज़बूत बनाना।
  - मानव संसाधनों संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना।

बौद्धिक संपदा के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय

- औद्योगिक संपदा के संरक्षण जुड़ा पेरिस कंवेन्शन (1883): इसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन आविष्कार के पेटेंट शामिल हैं।
- साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिये बर्न कंवेन्शन (1886): इसमें उपन्यास, लघु कथाएँ, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प शामिल हैं।
- मराकेश संधि (2013): इस संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश है।

बौद्धिक अधिकार के संरक्षण में भारत की स्थिति

- वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक-2020 में भारत 38.46% के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2019 में 36.04% के स्कोर के साथ भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था।
- सूचकांक में शामिल दो नए देशों, ग्रीस और डोमिनिकन गणराज्य का स्कोर भारत से अच्छा है। गौरतलब है कि फिलीपीन्स और उक्रेन जैसे देश भी भारत से आगे हैं।
- हालाँकि धीमी गति से ही सही भारत द्वारा किसी भी देश की तुलना में अपनी रैंकिंग में समग्र वृद्धि दर्ज की गई है।

आगे की राह

- भारत की इस वृद्धि को बनाए रखने के लिये भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढाँचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं मज़बूत बौद्धिक संपदा मानकों को लगातार लागू करने के लिये गंभीर कदम उठाए जाने की भी ज़रूरत है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्योगिक विकास संस्था ने अपने एक अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि जिन देशों की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था सुव्यवस्थित वहाँ आर्थिक विकास तेज़ी से हुआ है। अत: यहाँ सुधार की नितांत ही आवश्यकता है।
- भारत को 'पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक' को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है।

श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता

संदर्भ

भारत में कई वर्षों से श्रम क्षेत्र में सुधारों की मांग की जाती रही है, ये मांग न सिर्फ उद्योगों की ओर से बल्कि समय-समय पर श्रमिक संगठनों की ओर से भी की जाती रही है। किंतु विभिन्न हितधारकों के हितों को एक साथ संबोधित करना संभव नहीं हो पाने के कारण श्रम सुधार उपेक्षित

नोट :

ही रहे हैं। भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये भी श्रम सुधारों को ज़रुरी माना जाता है। उदारवादी आर्थिक विशेषज्ञ भी श्रम सुधारों के पैरोकार रहे हैं। कई आर्थिक जानकारों का तो यहाँ तक मानना रहा है कि श्रम कानूनों के कठोर नियमों की वजह से ही न सिर्फ औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी भारत में निवेश करने में संकोच कर रही हैं।

अर्थव्यवस्था में इन सुधारों के मांग के क्रम में ही कोरोना वायरस के प्रसार ने व्यापक प्रभाव डाला है। वर्तमान में आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद हैं। इस समय जहाँ उद्योगों के समक्ष कार्य संचालन की समस्या है तो वहीं श्रमिकों के समक्ष रोज़गार का संकट है। ऐसी स्थिति में सरकार उद्योगों का कार्य संचालन प्रारंभ करना चाहती है परंतु तमाम उद्योगपति जटिल श्रम कानूनों के कारण उद्योगों को प्रारंभ करने में सशंकित हैं। ऐसे में कई राज्यों द्वारा किये जा रहे श्रम कानूनों में बदलाव अर्थव्यवस्था के लिहाज़ से सकारात्मक कदम साबित हो सकते हैं।

इस आलेख में श्रम कानून, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता, भारत में श्रम बाज़ार की समस्या तथा अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा।

श्रम कानूनों से तात्पर्य

- श्रम अधिनियम या श्रम कानून किसी राज्य द्वारा निर्मित उन कानूनों को कहते हैं जो श्रमिक (कार्मिकों), रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियनों तथा सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करती हैं। श्रमिक, समाज के विशिष्ट समूह होते हैं। इस कारण श्रमिकों के लिये बनाए गये विधान, सामाजिक विधान की एक अलग श्रेणी में आते हैं।

पृष्ठभूमि

- कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिये जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों ने अध्यादेशों या कार्यकारी आदेशों के माध्यम से श्रम कानूनों में परिवर्तन की नींव रखी है।
- विदित है कि 'श्रम' भारत के संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का एक विषय है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को लागू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।

राज्य सरकारों द्वारा किये गए परिवर्तन

- उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिये कुछ प्रमुख श्रम कानूनों को छोड़कर लगभग 35 श्रम कानूनों के प्रावधानों से व्यवसायों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है।
- औद्योगिक विवादों, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियनों, अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मज़दूरों से संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधान निर्धारित समय के लिये प्रचलन में नहीं रहेंगे।
- हालाँकि, बंधुआ मज़दूरी, बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबधित श्रम अधिनियम और वेतन संदाय अधिनियम से संबंधित कानूनों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को शुरू करने के लिये ली जाने वाली अनापत्ति प्रमाणपत्र (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) ऑटोमोड पर करने की तैयारी की है। इसके तहत अब व्यापारियों को उद्योग शुरू करने के लिये विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 90 लाख रोज़गार सृज़न के लिये 'एक जिला एक उत्पाद' योजना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है।
- मध्यम, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा ऋण देने की भी व्यवस्था की जा रही है।
- श्रम कानूनों में मौज़ूदा परिवर्तन पुराने कारोबार तथा राज्य में स्थापित किये जा रहे नए कारखानों पर लागू होगा।
- इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी अगले 1000 दिनों के लिये कई श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं:
  - नियोक्ता कर्मचारियों की सहमति से कारखानों में काम की अवधि 8 से 12 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। सप्ताह में ओवरटाइम की अवधि अधिकतम 72 घंटे तक सुनिश्चित की जाएगी।
  - कारखानों का पंजीकरण 30 दिनों के बजाय अब एक दिन में किया जाएगा। इसके साथ ही लाइसेंस का नवीनीकारण अब प्रतिवर्ष करने के स्थान पर 10 वर्षों बाद किया जाएगा। उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माने का भी प्रावधान है।
  - औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधिकांश प्रावधानों से छूट दी जाएगी। जैसे- संगठन अपनी सुविधानुसार श्रमिकों को सेवा में रखने में सक्षम होंगे तथा श्रम विभाग या श्रम न्यायालय, उद्योगों द्वारा की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

नोट :

- 50 से कम श्रमिकों को नियुक्त करने वाले ठेकेदार अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत पंजीकरण के बिना भी कार्य करने में सक्षम होंगे।

- राज्य में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों के लिये प्रमुख छूट हैं:
  - नई औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण करने और समय-समय पर होने वाले निरीक्षण की औपचारिकताओं से छूट दी गई है और अपनी सुविधानुसार औद्योगिक इकाइयों के कार्य संचालन का समय निर्धारित करने की भी शक्ति दी गई है।
  - श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में नियोक्ता को दंड से भी छूट प्रदान की गई है।

सरकार का पक्ष

- राज्यों में निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये श्रम कानूनों का उदारीकरण करना बहुत आवश्यक है।
- इन प्रयासों के द्वारा ही मौजूदा कार्मिकों के रोज़गार की रक्षा और उन श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करने की संभावना है जो अपने राज्यों में वापस चले गए हैं।
- लंबे चलने वाले इस संकट के दौरान प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा।
- COVID-19 के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के कारण गिरने वाले राज्यों के राजस्व को बढ़ाने के लिये यह एक कारगर विकल्प साबित होगा।
- श्रम सुधार का विचार अचानक से नहीं आया है बल्कि यह लंबे समय से उद्योगों की मांग रही है। वर्तमान में परिवर्तन आवश्यक हो गए थे क्योंकि निवेशक जटिल कानूनों और लालफीताशाही के जाल में फँस गए थे।
- इस संकट के दौरान तमाम कंपनियाँ चीन से बाहर निकल रही हैं, ऐसे में उन कंपनियों तथा विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिये आकर्षित करने हेतु श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता थी।
- वर्तमान में 24.6 प्रतिशत की भारी बेरोज़गारी दर का सामना कर रहे राज्यों के लिये रोज़गार सृजन का यह एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है।

चिंताएँ

- उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम सहित लगभग सभी श्रम कानूनों को सरसरी तौर पर निलंबित कर दिया है। इसलिये इस कदम को 'शोषण के लिये एक सक्षम वातावरण निर्मित करने' के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है।
- श्रम कानूनों के निलंबन से मज़दूर, पूँजीपतियों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए जिससे बंधुआ मज़दूरी के एक नए स्वरुप में प्रचलित होने की प्रबल संभावनाएँ हैं।
- श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से मज़दूरों को मिलने वाली समस्त सुविधाएँ जैसे- भविष्य निधि, बोनस, न्यूनतम मज़दूरी, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि निष्प्रभावी हो गईं हैं।
- संशोधित श्रम सुधारों के द्वारा मजदूरों को प्राप्त होने वाली सामाजिक सुरक्षा से भी समझौता किया गया है, जो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है।
- श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से संगठित क्षेत्र के रोज़गार भी असंगठित क्षेत्र के रोज़गार में परिवर्तित हो जाएँगे। जिससे मज़दूरी दर में तीव्र गिरावट आएगी।

क्या वास्तव में संशोधन रोज़गार को बढ़ावा देंगे?

- सैद्धांतिक रूप से, कम श्रम विनियम वाले बाज़ार में अधिक रोज़गार उत्पन्न करना संभव है।
- हालाँकि, जैसा कि अतीत में श्रम कानूनों में ढील देने वाले राज्यों के अनुभव बताते हैं कि श्रमिक संरक्षण कानून, निवेश को आकर्षित करने और रोज़गार बढ़ाने में विफल रहे हैं।
- यदि यह सुनिश्चित करने का इरादा था कि अधिक लोगों को रोज़गार मिले, तो राज्यों को काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे नहीं करनी चाहिये थी।
- उन्हें इसके बजाय प्रत्येक 8-घंटे की दो शिफ्ट की अनुमति देनी चाहिये थी, ताकि अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके।

नोट :

अन्य देशों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

- बांग्लादेश में श्रम कानूनों के तहत ट्रेड यूनियन शुरू करने के लिये श्रम बल के 30 प्रतिशत की सहमति की दरकार होती है। वहाँ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में कानूनी रूप से श्रमिक संगठन स्थापित करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह, विदेशी भागीदारी में स्थापित कारखानों में आरंभिक तीन वर्षों में हड़ताल की अनुमति नहीं है। इसके विपरीत भारत में ट्रेड यूनियन का काफी दबदबा है, जिससे भारत में हमेशा आर्थिक उत्पादन प्रभावित होता रहा है।
- वियतनाम ने भी एक नई श्रम नीति बनाई है। वर्ष 2021 से प्रभावी होने वाली इस नीति के तहत कंपनियों को अपने स्तर पर वेतन-भत्ते तय करने की अधिक स्वतंत्रता होगी, साथ ही सरकारी हस्तक्षेप या प्रशासनिक निपटान की जगह आंतरिक सुलह प्रक्रिया को बढ़ावा देकर विवाद सुलझाने के तंत्र को अधिक लचीला बनाया जाएगा।
- चीन में वर्ष 1980 के दशक में जब पूंजीवादी आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई तो तमाम तरह के सुधारों को संस्थागत रूप दिया गया। जिनमें जीवन भर के लिये रोज़गार के प्रावधान, केंद्रीयकृत वेतन-भत्ता निर्धारण व्यवस्था तथा प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रणाली को समाप्त करना शामिल था। जिससे चीन में औद्योगिक गतिविधियों में तेज़ी आई। उत्पादन बढ़ने के साथ ही चीन को विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और उदारीकृत श्रम सुधारों के द्वारा चीन शीघ्र ही विनिर्माण का केंद्र बनकर उभरा।

आगे की राह

- वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करना आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से चलाए रखने के लिये आवश्यक है, इसलिये उदारीकृत श्रम सुधारों की आवश्यकता है।
- श्रम सुधारों के ज़रिये ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, जो इस समय रोज़गार सृजन के लिये अतिआवश्यक है।
- सरकार को श्रम कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिये ताकि उन पर इन सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

वित्तीय समावेशन: चुनौतियाँ व समाधान

संदर्भ

किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढाँचा होता है। यदि बुनियादी ढाँचा ही कमज़ोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मज़बूत नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किये जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के एक लिये नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके।

वस्तुत: यही कारण है कि 'वित्तीय समावेशन' के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके, कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे।

वित्तीय समावेशन की पहुँच बिना किसी रुकावट के विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक करने के लिये सरकार द्वारा 'डिजिटल भारत' अभियान प्रारंभ किया गया। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ही 'जैम त्रयी' (जनधन-आधार-मोबाइल) की आधारशिला रखी गई। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान ज़रूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुँचने में जैम त्रयी की भूमिका सराहनीय रही है।

इस आलेख में वित्तीय समावेशन की आवश्यकता, उसके अभाव में उत्पन्न चुनौतियाँ, वित्तीय समावेशन से होने वाले लाभ और इस दिशा में सरकार के द्वारा किये गए प्रयासों की समीक्षा की जाएगी।

वितीय समावेशन से तात्पर्य

- वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि सहित वित्तीय सेवायें पहुँचाने का प्रयास है। इसे 'समावेशी वित्तपोषण' भी कहा जाता है।

नोट :

- वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है।

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों ?

- वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग मज़बूरीवश अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिये बाध्य हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफी कम होती है।
- चूँकि अनौपचारिक बैंकिंग ढाँचा कानून की परिधि से बाहर होता है, अत: उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी तरीके से निपटान नहीं किया जा सकता है।
- जहाँ तक सवाल है वित्तीय समावेशन के सामाजिक लाभों का, तो आपको बताते चलें कि वित्तीय समावेशन के परिणामस्वरूप न केवल उपलब्ध बचत राशि में वृद्धि होती है, बल्कि वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं नित नए व्यावसायिक अवसरों का सृजन करने की सुविधा भी प्राप्त होती है।
- इस परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रायोजित सर्वसुलभ बैंकिंग प्रणाली के परिणामस्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिवेश की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विविधीकरण में योगदान प्राप्त हुआ है।

वित्तीय समावेशन पहल

- जनधन-आधार-मोबाइल त्रयी
- आधार, प्रधानमंत्री जनधन योजना और मोबाइल संचार में वृद्धि ने नागरिकों तक सरकारी सेवाओं के पहुँचने का तरीका बदल दिया है।
- मार्च 2020 में अनुमान के अनुसार, जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 380 मिलियन से अधिक रही है।
- व्यक्तिगत पहचान की अवधारणा में महत्त्वपूर्ण बदलाव के साथ आधार न केवल एक सुरक्षित और आसानी से सत्यापन योग्य प्रणाली है, बल्कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में यह एक महत्त्वपूर्ण टूल है।
- सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश में गरीबों तथा असंबद्ध लोगों को सशक्त बनाने व उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिये कई योजनाएँ शुरू की हैं। जिनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप-इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना प्रमुख हैं।
- ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये पहल की है। इनमें प्रमुख हैं-

- इनमें दूरदराज के इलाकों में बैंक शाखाएँ खोलना शामिल है।
- किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।
- बैंकों के साथ स्व-सहायता समूहों का जुड़ाव।
- ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) की संख्या बढ़ाना।
- बैंकिंग क्षेत्र में व्यावसायिक अभिकर्त्ता मॉडल।
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मजबूत करने के साथ, पूर्व की तुलना में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाया गया है।
- आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार सक्षम बैंक खाते को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर माइक्रो एटीएम का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
- ऑफलाइन लेनदेन सक्षम करने वाले प्लेटफॉर्म अवसंरचनात्मक पूरक सेवा डेटा (Unstructured Supplementary Service Data-USSD) के कारण भुगतान प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया गया है , जिससे सामान्य मोबाइल हैंडसेट पर भी इंटरनेट के बिना मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना संभव हो जाता है।

नोट :

- वित्तीय साक्षरता बढ़ाना
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'वित्तीय साक्षरता' नामक एक परियोजना शुरू की है।
- इस परियोजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में विभिन्न लक्षित समूहों जिनमें स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे, महिलाएँ, ग्रामीण और शहरी गरीब, और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, को वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (National Institute of Securities Markets-NISM's) ने 'पॉकेट मनी' नामक एक प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना है।

वित्तीय समावेशन से लाभ

- विश्व बैंक की वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस या ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट-2017 के अनुसार, वर्ष 2014 में अनुमानित 53% भारतीय वयस्कों के अपेक्षा वर्तमान में 80% वयस्कों के पास एक बैंक खाता है।
- जहाँ एक ओर इससे समाज में कमज़ोर तबके के लोगों को उनकी ज़रूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिये धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे-बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन उत्पादों आदि में भाग लेकर देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
- वहीं दूसरी ओर इससे देश को 'पूंजी निर्माण' की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों को भी संवर्धन प्राप्त होता है।
- पूर्व में निजी वित्तीय संस्थान सीमित आय वाले ग्राहकों के साथ संलग्न नहीं थे, परंतु अब समय बदल गया है, और इस वर्ग के साथ भी निजी वित्तीय संस्थानों (पेटीएम, एयरटेल मनी और जियो मनी जैसे पेमेंट बैंक) की सक्रिय भागीदारी हुई है, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया है कि गरीबों को वित्तीय दायरे में लाना उनके व्यवसाय मॉडल के लिये भी फायदेमंद है।
- वितीय सेवाओं का एकीकरण जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का जैम त्रयी योजना के साथ सम्मिलन लाभदायक प्रयोग सिद्ध हुआ।
- वित्तीय समावेशन से सरकार को सरकारी सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में अंतराल एवं हेराफेरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे सरकार उत्पादों पर सब्सिडी देने के बजाय सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।

संबंधित चुनौतियाँ

- सभी की बैंकों तक पहुँच नहीं: बैंक खाते सभी वित्तीय सेवाओं के लिये एक प्रवेश द्वार हैं। लेकिन विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 190 मिलियन वयस्कों के पास बैंक खाता नहीं है, जिससे भारत, चीन के बाद गैर बैंकिंग आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
- डिजिटल डिवाइड: कम आय वाले उपभोक्ता जो डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने के लिये आवश्यक तकनीक का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। इन लोगों में तकनीकी कौशल की भी कमी है।
- नीतियों के सुचारू क्रियान्वयन का अभाव: जन धन योजना के परिणामस्वरूप कई हज़ार निष्क्रिय खाते खुल गए हैं, जिनमें वास्तविक बैंकिंग लेनदेन कभी नहीं हुआ। ऐसी सभी गतिविधियाँ संस्थानों का खर्च बढ़ती हैं, और विशाल परिचालन लागत संस्थानों की वित्तीय स्थिति के लिये हानिकारक साबित होती हैं। इन विपरीत परिणामों से बचने के लिये, यह महत्त्वपूर्ण है कि सभी हितधारक इस तरह के कार्यक्रमों में उचित उद्देश्य के साथ भाग लें, न कि केवल औपचारिकता के लिये।
- अनौपचारिक और नकद आधारित अर्थव्यवस्था: भारत एक नकदी आधारित अर्थव्यवस्था है, जो डिजिटल भुगतान अपनाने की दिशा में एक चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में लगभग 81% व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। लेनदेन के लिये नकदी आधारित अर्थव्यवस्था पर उच्च निर्भरता के साथ एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र का संयोजन डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिये एक बाधा बन गया है।
- वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल: ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट-2017 के अनुसार, भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 83% पुरुषों के अपेक्षा 77% महिलाओं ने ही किसी वित्तीय संस्थान में खाते का संचालन किया। इस अंतराल के लिये सामाजिक-आर्थिक कारक उत्तरदायी है, जिसमें मोबाइल हैंडसेट की उपलब्धता और इंटरनेट डेटा की सुविधा महिलाओं की तुलना में पुरुषों के बीच अधिक है।

नोट :

वित्तीय समावेशन में वृद्धि हेतु किये जाने वाले प्रयास

- देश के प्रत्येक कोने में बैंकिंग शाखाओं की स्थापना करने में अधिक समय लग सकता है। ऐसे में भावी ग्राहकों तक बैंकिंग गतिविधियों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये 'बैंकिंग संवाददाता मॉडल' का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, बैंकिंग संवाददाताओं के लिये बेहतर मौद्रिक प्रोत्साहन के साथ-साथ उन्हें बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- जैम त्रयी योजना के साथ उचित तकनीकी विकास को जोड़कर एक डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क की स्थापना की जा सकती है।
- वित्तीय समावेशन हेतु डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ने के साथ ही देश में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने की भी आवश्यकता है।
- विभेदीकृत बैंक जैसे- भुगतान बैंक और छोटे वित्त बैंक पिछड़े क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली को बढ़ाने में कारगर विकल्प साबित हो सकते हैं।
- 'वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति' निर्माण की प्रक्रिया एक प्रभावी कदम साबित हो सकती है।

निष्कर्ष

भारत में वित्तीय समावेशन की सफलता के लिये, एक बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिये, जिसके माध्यम से मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन, और नीतिगत ढाँचे को मज़बूत किया जाए और नए तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए। यदि मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिये पर्याप्त उपाय किये जाते हैं, तो वित्तीय समावेशन के द्वारा गरीबों को भी आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त होंगे।

राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा: चुनौतियाँ और समाधान

संदर्भ

भारत सरकार की नीति 'सभी के लिये विद्युत' (Power For All) का उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के प्रत्येक व्यक्ति तक सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुँच प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सरकार ने हाल ही में विद्युत अधिनियम (Electricity Act),2003 में कुछ संशोधन करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में बड़े सुधार करने के उद्देश्य से 'विद्युत अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020' के मसौदे को मंजूरी दी है। इस मसौदे में शामिल सुधारों में सब्सिडी वितरण हेतु 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (Direct Benefit Transfer- DBT) की प्रणाली का प्रयोग, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की वैधता, लागत आधारित दर, विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना और नियामकीय व्यवस्था को मज़बूत बनाना आदि प्रमुख हैं।

इसके साथ ही एक समावेशी राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति (National Renewable Energy Policy) का विकास और शुल्कों का युक्तिकरण शामिल है। बिजली क्षेत्र की अधिकांश समस्याएँ डिस्कॉम (वितरण कंपनियाँ) क्षेत्र के खराब निष्पादन से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं समस्यायों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में 'उदय' (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना को लॉन्च किया गया था जो कि विचार की दृष्टि से एक अच्छी पहल थी। कुछ राज्यों में यह पहल सकारात्मक परिवर्तन वाली साबित हुई और कुछ राज्यों में इसे इच्छित लाभकारी परिवर्तन नहीं प्राप्त हो सके।

इस आलेख में विद्युत वितरण में आने वाली चुनौतियाँ, विद्युत अधिनियम में संशोधन के प्रभाव, नवीकरणीय ऊर्जा नीति की आवश्यकता के साथ विद्युत क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

उदय योजना क्या है ?

- नवंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना या 'उदय योजना' (UDAY) को स्वीकृति प्रदान की गई।
- उदय को विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय तथा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिये शुरू किया गया था।
- इस योजना में ब्याजभार, विद्युत की लागत और कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसान की हानि को कम करने का प्रावधान है। इसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स लगातार 24 घंटे पर्याप्त और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ हो जाएंगी।
- इस योजना में राज्य सरकार को अपने ऋणों का स्वैच्छिक रूप से पुनर्गठन करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान है।

नोट :

- उदय योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों को आगामी दो-तीन वर्षों में उबारने हेतु निम्नलिखित चार पहले अपनाए जाने की बात शामिल है जो निम्नलिखित हैं –
  - बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता में सुधार।
  - बिजली की लागत में कमी।
  - वितरण कंपनियों की ब्याज लागत में कमी।
  - राज्य वित्त आयोग के साथ समन्वय के माध्यम से बिजली वितरण कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना।

  विद्युत क्षेत्र की समस्याएँ
- विद्युत क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान क्षमता विकास के मामले में भारी वृद्धि देखी है, लेकिन मांग और पूर्ति में असंतुलन के कारण यह क्षेत्र सदैव ही तनाव में रहा है।
- ऊर्जा पर 37वीं स्थायी पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 34 बिजली संयंत्रों में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets-NPA) हैं।
- बिजली की कीमत के निर्धारण की दुविधा के कारण डिस्कॉम्स जितना अधिक बिजली वितरण उपलब्ध कराते हैं, उतना ही उनका घाटा बढ़ता जाता है। परिणामस्वरूप, यह मांग की कमी बदले में बिजली डिस्कॉम्स को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।
- अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि कार्य में विद्युत आपूर्ति के लिये मीटर (Electricity Meter) न होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में विद्युत खपत के संदर्भ में विस्तृत आँकड़ों की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या है।
- कृषि में विद्युत सब्सिडी के कारण राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है और यह आर्थिक दबाव विद्युत क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी बाधा रही है, साथ ही वितरक कंपनियों को समय पर भुगतान न मिलने के कारण कंपनियों की स्थिति खराब हुई है।
- बेहतर तकनीक एवं उपकरणों के नवीनीकरण के न होने के कारण उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ताओं तक विद्युत् वितरण के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा की हानि एक बड़ी समस्या है।
- सरकार पर सब्सिडी के दबाव को कम करने के लिये क्रॉस-सब्सिडी (किसी एक वर्ग या समूह को कम दरों पर सेवाएँ या उत्पाद उपलब्ध करने के लिये किसी दूसरे समूह से अधिक/अतिरिक्त शुल्क वसूल करने की प्रक्रिया) जैसी नीतियों को अपनाने से औद्योगिक क्षेत्र पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।

विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका

- जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदानों और एक स्वच्छ ग्रह के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि 2030 तक विद्युत उत्पादन की हमारी 40 प्रतिशत स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी।
- साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायोमॉस से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता शामिल है।
- इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की जमात में शामिल हो जाएगा। यहाँ तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा।
- फिलहाल वर्ष 2018 तक में देश की कुल स्थापित क्षमता में तापीय ऊर्जा की 63.84 फीसदी, नाभिकीय ऊर्जा की 1.95 फीसदी, पनबिजली की 13.09 फीसदी और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 21.12 फीसदी है।

  मसौदे में प्रस्तावित सुधार
- लागत आधारित दर और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
  - सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, नियामक विद्युत उत्पादन और उसके वितरण की लागत के आधार पर विद्युत दरों का निर्धारण करेंगे, नियामकों द्वारा निर्धारित दरों में सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा।
  - किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके खाते में सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

नोट :

- नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाना
  - इस मसौदे में अध्यक्ष के अतिरिक्त अपीलीय न्यायाधिकरण की क्षमता को 7 सदस्यों तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। जिससे मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु कई पीठों की स्थापना की जा सके, साथ ही न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये इसे और अधिक सशक्त बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है।
  - वर्तमान विद्युत अधिनियम के तहत केंद्रीय और राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये कई चयन समितियों का गठन करना पड़ता है। जिन्हें अब समाप्त कर क चयन समिति की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।
  - मसौदे में विद्युत अधिनियम के प्रावधानों और आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अधिक जुर्माना लगाए जाने हेतु विद्युत अधिनियम की धारा 142 और 146 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
- विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना
  - मसौदे में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक 'केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण' की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
  - इस प्राधिकरण के पास विद्युत उत्पादन और वितरण से जुड़ी हुई कंपनियों के बीच बिजली की खरीद, बिक्री या हस्तांतरण से संबंधित अनुबंधों की लागू करने के लिये दीवानी अदालत (Civil Court) के बराबर अधिकार होंगे।
- नवीकरणीय ऊर्जा और पनबिजली
  - केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के उत्पादन के आवश्यक क्षमता विकास और प्रोत्साहन के लिये एक 'राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति' (National Renewable Energy Policy) के निर्माण का प्रस्ताव किया है।
  - मसौदे में आयोग को विद्युत वितरकों द्वारा अनिवार्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की खरीद की एक न्यूनतम मात्रा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से न्यूनतम बिजली खरीदने की बाध्यता न पूरी करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी किया गया है।
- सीमा पार विद्युत व्यापार
  - इसके तहत मसौदे में भारत तथा अन्य देशों के बीच बिजली व्यापार को बढ़ावा देने तथा इसे और अधिक आसान बनाने के लिये आवश्यक प्रावधानों को प्रस्तावित किया गया है।
- फ्रेंचाइजी और उप- वितरण लाइसेंस
  - केंद्र सरकार ने इस मसौदे में राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों को किसी क्षेत्र विशेष में विद्युत् वितरण के लिये फ्रेंचाइजी और उप-वितरण कंपनियों को जोड़ने का अधिकार देने का प्रस्ताव किया है।

प्रस्तावित संशोधनों से लाभ

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और सामान्य उपभोक्ताओं के लिये बिजली उपलब्ध कराने के लिये अलग-अलग सप्लाई लाइनों के न होने से राज्य सरकारों को वितरण कंपनियों को अधिक सब्सिडी देने पर विवश होना पड़ा है।
- विद्युत सब्सिडी के भुगतान हेतु 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' की प्रक्रिया अपनाने से किसान या अन्य पात्र लोगों को सहायता सुनिश्चित करने के साथ ही सरकार के आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
- कृषि क्षेत्र में उपभोगताओं के लिये मीटर अनिवार्य करने से किसानों को बिजली और जल के अनियंत्रित दोहन के संदर्भ में जागरूक किया जा सकेगा साथ ही बिजली चोरी की घटनाओं को नियंत्रित कर बिजली खपत की बेहतर निगरानी की जा सकेगी।
- पिछले कुछ वर्षों में वैश्वीकरण और देश में विदेशी कंपनियों के आने से औद्योगिक क्षेत्र की स्थानीय इकाइयों पर प्रतिस्पर्द्धा का दबाव बढ़ा है, ऐसे में क्रॉस सब्सिडी को कम करने से औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ने वाले वाले अतिरिक्त दबाव को कम किया जा सकेगा।
- देश के कई क्षेत्रों में वर्तमान ज़रूरतों के अनुसार विद्युत विभाग में नवीनीकरण न होने या अन्य कारणों से से एक बड़े क्षेत्र को सेवाएँ उपलब्ध कराना एक चुनौती है। ऐसे में फ्रेंचाइजी और 'उप- वितरक लाइसेंस' देने के माध्यम से निजी क्षेत्र को जोड़कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- ऐसे में 'केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण' की स्थापना के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी बेहतर निगरानी में सहायता प्राप्त होगी।

नोट :

आगे की राह

- वर्तमान समय में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिये आसान दरों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है।
- वितरक कंपनियों के लिये कृषि क्षेत्र में विद्युत वितरण को किफायती बनाने और कंपनियों के घाटे को कम करने हेतु किसानों को मीटर और 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' के बारे में जागरूक किया जाना चाहिये।
- विद्युत वितरण के दौरान होने वाली विद्युत हानि 'ट्रांसमिशन लॉस' (Transmission Loss) को कम करने के लिये आवश्यक तकनीकी बदलाव किये जाने चाहिये।
- विद्युत क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये केंद्र व राज्य सरकारों तथा सभी राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के बीच एक सकारात्मक राजनीतिक संवाद का होना बहुत ही आवश्यक है।

अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की आवश्यकता

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार व उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1 प्रतिशत तक कम हो सकती है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यदि बिना पर्याप्त राजकोषीय उपायों के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध और अधिक बढ़ाया जाता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है। COVID-19 के वैश्विक महामारी घोषित होने के 3 माह बाद अब संयुक्त राष्ट्र का उपरोक्त अनुमान सही प्रतीत हो रहा है। विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह जाएगी, तो वहीं 2020-21 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी जो घटकर मात्र 2.8 प्रतिशत रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दवाब बढ़ गया है। सरकार इस स्थिति से उबरने व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान कर रही है, जो सार्वजनिक व निजी निवेश (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) को राहत प्रदान करने में सहायक होगी।

इस आलेख में अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ, समाधान के संभावित उपाय, भारत के सम्मुख उभरते नए अवसर तथा भविष्य के रणनीति पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

- सकल घरेलू उत्पाद: विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिये अपने संशोधित अनुमानों में जीडीपी वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी का अनुमान लगाया है। उदाहरण के लिये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में भारत के विकास पूर्वानुमान को संशोधित करके 6 प्रतिशत से 2.1 प्रतिशत कर दिया है।
- रिवर्स माइग्रेशन: लॉकडाउन के कारण निर्माण, विनिर्माण और तमाम आर्थिक गतिविधियों के बंद होने से प्रवासी मज़दूर महानगरों से अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। जिससे महानगरों की आर्थिक गतिविधियाँ लॉकडाउन में छूट देने के बावज़ूद सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं। इन महानगरों आने वाले कुछ समय तक मानव संसाधन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मांग में गिरावट: लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियाँ ठप्प हैं परिणामस्वरूप कृषकों की आय समाप्त हो गई है। कृषकों की आय समाप्त होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होने वाली मांग तेज़ी से घट रही है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation-NSSO) और नाबार्ड के अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों से कृषि के दौरान ग्रामीण परिवारों की आय स्थिर रही है।

नोट :

- ग्रामीण बाज़ार की तालाबंदी: वैश्विक महामारी और जारी लॉकडाउन के कारण ग्रामीण बाज़ार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बाज़ार बंद होने के कारण थोक कृषि, बागवानी और डेयरी उत्पादन से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जिसके कारण किसान अपनी उपज को न्यूनतम मूल्य पर बेचने में असमर्थ हैं।
- न्यून कृषि गतिविधियाँ: पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कृषि संपन्न राज्यों में व्यापक तौर पर कृषि कार्य किया जाता है, रिवर्स माइग्रेशन के कारण इन राज्यों में खड़ी फसल को काटने के लिये पर्याप्त मज़दूर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और अब किसान अगली फसल की बुवाई नहीं करना चाहते हैं।
- उत्पादन में कमी: लॉकडाउन के कारण उद्योगों में काम न होने से उत्पादन में गिरावट हुई है। किंतु लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद भी मानव संसाधन की आपूर्ति न हो पाने के कारण इन उद्योगों में पुन: उत्पादन होने की संभावना काफी कम है।
- महिलाओं की दयनीय स्थिति: पारिवारिक आय में कमी से महिलाओं की स्थिति में गिरावट होगी क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पूर्व में भी महिलाओं को सामाजिक वंचनाओं का शिकार होना पड़ा है।
- आर्थिक आपातकाल की संभावना: लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में विकास का आर्थिक चक्र घूमना बंद हो चुका है। ऐसे में सरकार के द्वारा सार्वजनिक खर्चों में कटौती के साथ अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी की जा सकती है तथा अनावश्यक व्यय पर रोक लगाने हेतु आर्थिक आपातकाल के विकल्प पर भी विचार हो सकता है।

समस्या समाधान के संभावित उपाय

- भारत को कुछ तात्कालिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है, जो न केवल महामारी को रोकने और जीवन को बचाने की दिशा में कार्य करें बल्कि समाज में सबसे कमज़ोर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने और आर्थिक विकास तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक हों।
- विश्लेषकों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वायरस के प्रभाव को कम करने के लिये सही ढंग से तैयार किया गया राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है, जिसमें वायरस के प्रसार को रोकने के लिये स्वास्थ्य व्यय को प्राथमिकता और महामारी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल हो। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया आर्थिक पैकेज इस दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है।
- रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने के लिये पिछड़े राज्यों में छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे- कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि कार्यों को प्रारंभ करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।
- भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये सरकार को विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान देना होगा। हमारे सामने चीन एक बेहतरीन उदाहरण है जिसने विनिर्माण क्षेत्र को विकसित कर न केवल बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन किया बल्कि देश की अवसंरचना को भी मज़बूती प्रदान की।
- भारत के सभी राज्यों को श्रम कानूनों में सुधार करना चाहिये ताकि घरेलू निवेशकों को निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
- विदेशी निवेशकों में चीन के प्रति शंका भारत के लिये एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है क्योंकि कई कंपनियाँ चीन से अपना कारोबार समेट कर बाहर जाना चाहती हैं ऐसे में भारत को निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर निवेशकों को आकर्षित करना चाहिये।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के शीघ्र ही पटरी पर लौटने की उम्मीद है ऐसे में एक सार्वजनिक समर्थित नीति, निज़ी क्षेत्र की भागीदारी और नागरिकों के समर्थन के माध्यम से एकीकृत बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है।

सरकार के द्वारा किये गए प्रयास

- भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज COVID-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई पूर्व घोषणाओं तथा RBI द्वारा लिये गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपये का है।
- यह आर्थिक पैकेज भारत की 'सकल घरेलू उत्पाद' (Gross domestic product- GDP) के लगभग 10% के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों (Land, Labour, Liquidity and Laws- 4Is) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन का भुगतान आदि शामिल होते हैं। जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थी को सीधे प्राप्त होता है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों के लिये सरकार द्वारा विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं की घोषणा की गई है।

नोट :

क्रेडिट गारंटी से तात्पर्य

- बैंकों द्वारा MSMEs को दिया जाने वाला अधिकतर ऋण MSMEs की परिसंपत्तियों (संपार्श्विक के रूप में) के आधार पर दिया जाता है। लेकिन किसी संकट के समय इस संपत्ति की कीमतों में गिरावट हो सकती है तथा इससे MSMEs की ऋण लेने की क्षमता बाधित हो सकती है। अर्थात किसी संकट के समय परिसंपत्तियों की कीमतों में गिरावट होने से बैंक इन उद्यमों की ऋण देना कम कर देते हैं।
- सरकार द्वारा इस संबंध में बैंकों को क्रेडिट गारंटी दी जाती है कि यदि MSMEs उद्यम ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो ऋण सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। उदाहरण-यदि सरकार द्वारा एक फर्म को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है इसका मतलब है कि बैंक उस फर्म को 1 करोड़ रुपए उधार दे सकता है। यदि फर्म वापस भुगतान करने में विफल रहती है, तो सरकार 1 करोड़ रुपए का भुगतान बैंकों को करेगी।
- सरकार द्वारा MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया है क्योंकि 'आर्थिक सर्वेक्षण' के अनुसार लघु उद्यम लघु ही बने रहना चाहते हैं क्योंकि इससे इन उद्योगों को अनेक लाभ मिलते हैं। अत: MSME की परिभाषा में बदलाव की लगातार मांग की जा रही थी।
- सरकार ने आर्थिक पैकेज में कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
- आंशिक रूप से उत्पादन किये जा चुके कोयला-ब्लॉक के लिये अन्वेषण-सह-उत्पादन प्रणाली को लागू किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्तमान समय में कोयला ब्लॉक की नीलामी कोयले के 'पूर्ण खनन' के लिये की जाती है परंतु अब आंशिक रूप से खनन किये जा चुके कोयला ब्लॉक की भी नीलामी की जा सकेगी। इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि होगी।
- कोल इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण वाली कोयला खदानों के 'कोल बेड मीथेन' (CBM) निष्कर्षण अधिकारों की नीलामी की जाएगी।
- 'व्यवसाय करने में सुगमता' (Ease of Doing Business) की दिशा में 'खनन योजना सरलीकरण' (Mining Plan Simplification) जैसे उपायों को लागू किया जाएगा।
- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये 'मेक इन इंडिया' पहल पर बल दिया जाएगा।'आयुध निर्माणी बोर्ड' (Ordnance Factory Board) का निगमीकरण किया जाएगा ताकि आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार हो सके।
- स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में FDI निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी।
- सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिये 'व्यवहार्यता अंतराल अनुदान' (Viability Gap Funding-VGF) योजना को प्रयुक्त किया जाएगा।
- VGF के रूप में कुल परियोजना लागत की 30% तक की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा सकेगी।
- निजी क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने के लिये निजी क्षेत्र को इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। भविष्य की इसरो की योजनाएँ जैसे- ग्रहों की खोज, बाहरी अंतरिक्ष यात्रा आदि में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति होगी।
- सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशी शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने के नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया है।
- केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार, COVID-19 से जुड़े ऋण को इनसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं माना जाएगा और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अगले एक वर्ष के लिये दिवालियापन से जुड़ी कोई कार्रवाई नहीं शुरू की जाएगी।
- केंद्रीय वित्तमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों हेतु 'स्वास्थ्य और देखभाल केंद्रों' के सरकारी खर्च में वृद्धि और हर ज़िले में संक्रामक रोगों के लिये विशेष अस्पताल तथा ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात कही।
- COVID-19 और लॉकडाउन के कारण हो रहे अकादमिक नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 'पीएम ई-विद्या' (PM e-Vidya) योजना की घोषणा की गई है।

चुनौतियाँ

- विशेषज्ञों के अनुसार, ऋण सीमा में वृद्धि के साथ रखी गई अनिवार्य शर्तों के कारण राज्य सरकारें इसके तहत अधिक धन नहीं निकलना चाहेंगी और राज्य सरकारों को महँगी दरों पर बाज़ार से धन जुटाना पड़ेगा। अत: इन योजनाओं में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच और विचार-विमर्श किया जाना चाहिये था।
- वर्तमान में वैश्विक मंदी जैसी स्थितियों के बीच PSUs के विलय या निजीकरण से सरकार को अधिक खरीददार नहीं मिलेंगे और प्रतिस्पर्द्धा के अभाव में निजीकरण से अपेक्षित धन नहीं प्राप्त हो सकेगा।

नोट :

- घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार के 'राजकोषीय' पैकेज के हिस्से के रूप में RBI द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को भी शामिल किया गया हैं।

आगे की राह

- भारत सरकार को स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए लगातार विकास की गति का अवलोकन करने की आवश्यकता है, साथ ही चीन पर निर्भर भारतीय उद्योगों को आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करनी चाहिये।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर भारत को COVID-19 जैसी बीमारी की पहचान, प्रभाव, प्रसार एवं रोकथाम पर चर्चा की जानी चाहिये ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके।

प्रवासी संकट व मनरेगा

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण भारत ही नहीं विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन के विकल्प को अपनाया गया है। इस समय भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान श्रमिक वर्ग को पलायन जैसी गंभीर समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है। अमूमन हमने, रोज़गार पाने व बेहतर जीवन जीने की आशा में गाँवों और कस्बों से महानगरों की ओर पलायन होते देखा है परंतु इस समय महानगरों से गाँवों की ओर हो रहा पलायन नि:संदेह चिंताज़नक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति को ही जानकारों ने रिवर्स माइग्रेशन (Reverse Migration) की संज्ञा दी है।

सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य 'महानगरों और शहरों से गाँव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है'। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गाँव की ओर प्रवासन हो रहा है। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम-धंधा बंद होने की वजह से श्रमिकों का बहुत बड़ा हुजूम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिये पैदल ही सड़कों पर उतर पड़ा। इस प्रवासी संकट को दूर करने के लिये, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में मनरेगा के लिये 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित किया है।

इस आलेख में अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका, प्रवासी संकट व रोज़गारविहीनता से निपटने में मनरेगा की भूमिका, उत्पन्न चुनौतियाँ तथा उनसे निपटने में अल्पकालिक व दीर्घकालिक उपायों पर चर्चा की जाएगी।

अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका

- भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की जीडीपी की लगभग 6 प्रतिशत है।
- ये श्रमिक इसका एक तिहाई यानी जीडीपी का लगभग दो प्रतिशत घर भेजते हैं। मौज़ूदा जीडीपी के हिसाब से यह राशि 4 लाख करोड़ रुपए है।
- यह राशि मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भेजी जाती है।
- वर्ष 1991 से 2011 के बीच प्रवासन में 2.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो वहीं वर्ष 2001 से 2011 के बीच इसकी वार्षिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रही। इन आँकड़ों से पता चलता है कि प्रवासन से श्रमिकों और उद्योगों दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ।
- श्रम गहन उद्योगों अर्थात ज्वैलरी, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटोपार्ट्स सेक्टर में बड़ी तादाद में श्रमिक काम करते हैं।
- जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो इन श्रमिकों को बोनस, इन्क्रिमेंट, मोबाइल फोन रिचार्ज, आने-जाने का किराया और कैंटीन जैसी सुविधाएँ देकर कंपनियाँ इन्हें अपने साथ जोड़कर रखना चाहती हैं।

प्रवासन से ऊत्पन्न चुनौतियाँ

- श्रमिकों के गाँवों की ओर प्रवासन से देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों में चिंता व्याप्त है। वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया है या रुक गया है परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि होगी। श्रमिकों की पूर्ति न हो पाने से उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।
- पंजाब, हरयाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, गाँवों की ओर प्रवासन के कारण इन राज्यों की कृषि गतिविधियाँ बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं।

नोट :

- श्रमिकों के पलायन से रियल एस्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। भवनों का निर्माण कार्य रुक जाने से परियोजना की लागत बढ़ने की संभावना है। बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाला राजस्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा।
- गाँवों की ओर प्रवासन से अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ रहा है। यह सर्वविदित है कि महानगरों में कार्य कर रहे श्रमिक अपने गृह राज्य में एक बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे इन राज्यों को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी।
- बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य अपेक्षाकृत रूप से औद्योगीकरण में पिछड़े हुए हैं, प्रवासन के परिणामस्वरूप इन राज्यों में रोज़गार का संकट भीषण रूप ले रहा है।
- रोज़गार के अभाव में इन राज्यों में सामाजिक अपराधों जैसे- लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति और देह व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था और छवि दोनों खराब होने की आशंका है।

प्रवासी संकट से निपटने में मनरेगा की भूमिका

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA-नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।
- पूर्व की रोज़गार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के व्यस्क युवाओं को रोज़गार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है।
- प्रावधान के मुताबिक, मनरेगा लाभार्थियों में एक-तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है। साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
- मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये 100 दिन का गारंटीयुक्त रोज़गार, दैनिक बेरोज़गारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5 किमी. से अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान किया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोज़गार का प्रावधान है।
- इस कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को कम करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है।
- आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोज़गार में से 56 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी थी।
- मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों के आयु-वार आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बाद 18-30 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
- मनरेगा ने आजीविका के अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में भी मदद की है। मनरेगा को 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े लोकनिर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी।
- मार्च 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' राहत पैकेज जारी करते समय मनरेगा की मज़दूरी में 20 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि करने की घोषणा की है।

मनरेगा से संबंधित चुनौतियाँ

- अपर्याप्त बजट आवंटन
  - पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत आवंटित बजट काफी कम रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर देखने को मिलता है। वेतन में कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों की शक्ति पर पड़ता है और वे अपनी मांग में कमी कर देते हैं।
- मज़दूरी के भुगतान में देरी
  - एक अध्ययन में पता चला कि मनरेगा के तहत किये जाने वाले 78 प्रतिशत भुगतान समय पर नहीं किये जाते और 45 प्रतिशत भुगतानों में विलंबित भुगतानों के लिये दिशा-निर्देशों के अनुसार मुआवज़ा शामिल नहीं था, जो अर्जित मज़दूरी का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन है। आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 में मज़दूरी 11,000 करोड़ रुपए थी।

नोट :

- खराब मज़दूरी दर
  - न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के आधार पर मनरेगा की मज़दूरी दर निर्धारित न करने के कारण मज़दूरी दर काफी स्थिर हो गई है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली मज़दूरी न्यूनतम मज़दूरी से काफी कम है। यह स्थिति कमज़ोर वर्गों को वैकल्पिक रोज़गार तलाशने को विवश करता है।
- भ्रष्टाचार
  - वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया था जिसमें तकरीबन 10 लाख फर्ज़ी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को तकरीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भ्रष्टाचार मनरेगा से संबंधित एक बड़ी चुनौती है जिससे निपटना आवश्यक है। अधिकांशत: यह देखा जाता है कि इसके तहत आवंटित धन का अधिकतर हिस्सा मध्यस्थों के पास चला जाता है।

संभावित उपाय

- अल्पकालिक उपाय
  - राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हर गाँव में सार्वजनिक काम शुरू हो। कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिकों को बिना किसी देरी के तुरंत काम प्रदान किया जाना चाहिये।
  - स्थानीय निकायों को निश्चित रूप से वापस लौटे और प्रवासी श्रमिकों की खोज करनी चाहिये और जॉब कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता वाले लोगों की मदद करनी चाहिये।
  - श्रमिकों के लिये साबुन, पानी, और मास्क जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ नि:शुल्क प्रदान की जानी चाहिये।
  - इस समय मनरेगा मजदूरों को भुगतान में तेजी लाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से, नकदी को श्रमिकों तक आसानी और कुशलता से पहुँचाने की आवश्यकता है।
- दीर्घकालिक उपाय
  - इस वैश्विक महामारी ने विकेंद्रीकृत शासन के महत्व को प्रदर्शित किया है।
  - ग्राम पंचायतों को कार्य की स्वीकृति देने, मांग पर काम प्रदान करने और भुगतानों में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिये वेतन भुगतान को अधिकृत करने हेतु पर्याप्त संसाधन, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिये जैसे- ग्रीन इंडिया पहल, स्वच्छ भारत अभियान आदि।
  - सामाजिक अंकेक्षण प्रदर्शन की जवाबदेही बनाता है, विशेष रूप से तत्काल हितधारकों के प्रति। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

भारत में टिड्डी दल का हमला

संदर्भ

पिछले कुछ दिनों में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के एक दर्जन से अधिक देशों में टिड्डी दल (locust swarms) ने फसलों पर हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि तीन क्षेत्रों यथा-अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र, लाल सागर क्षेत्र, और दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थिति बेहद चिंताजनक है। अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। इथियोपिया और सोमालिया से टिड्डी दल दक्षिण में केन्या और महाद्वीप के 14 अन्य देशों में पहुँच चुके हैं। लाल सागर क्षेत्र में सऊदी अरब, ओमान और यमन पर टिड्डियों के दल ने हमला किया है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम एशिया में ईरान, पाकिस्तान और भारत में टिड्डियों के झुंडों ने फसल को भारी नुकसान पहुँचाया है।

भारत में राजस्थान, गुजरात और पंजाब के सीमावर्ती गाँवों में भारी मात्रा में टिड्डियों के झुंड आ चुके हैं, जिससे खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुँचा है। प्रभावित राज्य की सरकारों को टिड्डी हमलों के विरुद्ध उच्च सतर्कता बरतने के लिये लगातार परामर्श दिया जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश के झांसी पहुँच गया है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, यह दल लगभग एक किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। टिड्डियों के हमले की आशंका के मद्देनज़र दमकल वाहनों को पहले से ही तैयार किया गया था और इन कीटों को भगाने के लिये कीटनाशकों का गहन छिड़काव किया जा रहा है।

नोट :

टिड्डी दल

- मुख्यत: टिड्डी एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं।
- टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियाँ (Schistocerca gregaria) सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं।
- आमतौर पर जुलाई-अक्तूबर के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होती हैं।
- अच्छी बारिश और परिस्थितियाँ अनुकूल होने की स्थिति में ये तेज़ी से प्रजनन करती हैं। उल्लेखनीय है कि मात्र तीन महीनों की अवधि में इनकी संख्या 20 गुना तक बढ़ सकती है।

भारत में टिड्डियों की प्रजाति

- भारत में टिड्डियों की निम्निखित चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं:
  - रेगिस्तानी टिड्डी (Desert Locust)
  - प्रवासी टिड्डी (Migratory Locust)
  - बॉम्बे टिड्डी (Bombay Locust)
  - ट्री टिड्डी (Tree Locust)

रेगिस्तानी टिड्डी:

- रेगिस्तानी टिड्डियों को दुनिया के सभी प्रवासी कीट प्रजातियों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इससे लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विकास पर खतरा उत्पन्न होता है।
- ये व्यवहार बदलने की अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होते हैं और लंबी दूरी तक पलायन करने के लिये बड़े-बड़े झुंडों का निर्माण करते हैं।
- सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। साथ ही 40-80 मिलियन टिड्डियाँ 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो सकती हैं।
- एक अकेली रेगिस्तानी मादा टिड्डी 90-80 दिन के जीवन चक्र के दौरान 60-80 अंडे देती है।

क्या समय से पूर्व टिड्डियों का हमला पहली बार हुआ?

- वर्ष 1950 के बाद टिड्डियों का ऐसा हमला पहली बार देखने को मिल रहा है। दशकों पहले टिड्डी प्लेग (जब दो से अधिक निरंतर वर्षों के लिये टिड्डियों के झुंड का हमला होता है, तो इसे प्लेग कहा जाता है) के भयानक रूप को लंबे समय तक देखा गया था। इस बार, वे अच्छे मानसून के कारण लंबे समय तक इस क्षेत्र में मौजूद हैं।
- वर्ष 2019 में मानसून पश्चिमी भारत में समय से पहले (जुलाई के पहले सप्ताह से छह सप्ताह पहले) शुरू हुआ, विशेषकर टिड्डियों से प्रभावित क्षेत्रों में। यह सामान्य रूप से सितंबर/अक्टूबर माह के बजाय एक माह आगे नवंबर तक सक्रिय रहा। विस्तारित मानसून के कारण टिड्डी दल के लिये उत्कृष्ट प्रजनन की स्थितियाँ पैदा हुई। इसके साथ ही प्राकृतिक वनस्पति का भी उत्पादन हुआ, जिससे वे लंबे समय तक भोजन के लिये आश्रित रह सकती थीं।

टिड्डियों और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध

- रेगिस्तानी टिड्डे आमतौर पर अफ्रीका के निकट, पूर्वी और दक्षिण-पश्चिम एशिया के अर्ध-शुष्क और शुष्क रेगिस्तान तक सीमित होते हैं, जो वार्षिक रूप से 200 मिमी से कम बारिश प्राप्त करते हैं।
- सामान्य जलवायुवीय परिस्थितियों में, टिड्डियों की संख्या प्राकृतिक मृत्यु दर या प्रवासन के माध्यम से घट जाती है।
- कुछ मौसम विज्ञानियों का मानना है कि टिड्डियों का इस प्रकार प्रजनन, जो कृषि कार्यों के लिये चिंता का विषय है, हिंद महासागर के गर्म होने का एक अप्रत्यक्ष परिणाम है।
- पश्चिमी हिंद महासागर में सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव या अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया गया परिणामस्वरूप भारत समेत पूर्वी अफ्रीका में घनघोर वर्षा हुई।

नोट :

- वर्षा के कारण नम हुए अफ्रीकी रेगिस्तानों ने टिड्डियों के प्रजनन को बढ़ावा दिया और वर्षा की अनुकूल हवाओं द्वारा इन्हें भारत की ओर बढ़ने में सहायता मिली।
- इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु जारी लॉकडाउन के कारण कीटनाशकों का बेहतर ढंग से छिड़काव न हो पाने के कारण भारत, पाकिस्तान और अफग़ानिस्तान में नियमित समन्वय गतिविधियों को प्रभावित किया।

बचाव की बेहतर तैयारी कैसे ?

- जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है, अफ्रीका महाद्वीप अपनी सुभेद्यता के कारण टिड्डी दल के हमले में विवश नज़र आ रहा है। अफ्रीकी हॉर्न देश मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के निम्न स्तर पर स्थित हैं। यहाँ शोध कार्य को बढ़ावा देना चाहिये ताकि टिड्डियों के हमले से पूर्व व्यापक बचाव किया जा सके।
- रेगिस्तानी टिड्डी झुंडों को नियंत्रित करने के लिये ऑर्गोफॉस्फेट रसायनों (organophosphate chemicals) का छिड़काव किया जा सकता है। यह छिड़काव उन क्षेत्रों में करना चाहिये जहाँ कृषि कार्य नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि यह एक विषाक्त रसायन है।
- फसलों पर क्लोरपाइरीफॉक्स (Chlorpyri Fox) रसायन का छिड़काव किया जाना चाहिये क्योंकि यह विषाक्त रसायन नहीं है।
- टिड्डियों के द्वारा दिये गए अंडों को नष्ट कर देना चाहिये।
- कृषि क्षेत्र के आस-पास खाईयाँ (Trenches) खोद कर अपरिपक्व टिड्डियों को जल और केरोसीन के मिश्रण में गिराया जा सकता है।
- ड्रोन आदि का प्रयोग कर उनके प्रजनन स्थलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिये।

टिड्डी चेतावनी संगठन (Locust Warning Organization-LWO)

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage) के अधीन आने वाला टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिये ज़िम्मेदार है।
- इस संगठन का प्रमुख कार्य निगरानी करना, सर्वेक्षण करना तथा टिड्डी दल के किसी भी प्रकार के हमले को नियंत्रित करना है।
- इस संगठन के दो मुख्यालय हैं-
  - फरीदाबाद- यह संगठन के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है।
  - जोधपुर- यह संगठन के तकनीकी कार्यों की देखरेख करता है।

निष्कर्ष

वैश्विक तापन बाढ़ एवं महामारी जैसी विषम आपदाओं को आमंत्रित करता है और आपदाओं को तीव्रता भी प्रदान करता है। वैश्विक तापन के कारण ही टिड्डियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। सभी देशों को वैश्विक तापन को कम करने की दिशा में मिलकर प्रयास करना चाहिये। टिड्डियों के हमले के रोकथाम के लिये निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण की रणनीति पर काम करना चाहिये।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत-इज़राइल संबंधों में मज़बूती का नया दौर

संदर्भ

ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का प्रसार पूरी दुनिया में अपने चरम पर है, प्रतिदिन होने वाले कई बिलियन डॉलर का व्यापार रुक गया है और अरबों लोगों को उनके घरों तक सीमित कर दिया गया है, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि COVID-19 महामारी गतिशील दुनिया में ठहराव ले आया है। हालाँकि, कोरोना वायरस भारत और इज़राइल के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की गति को धीमा नहीं कर सका। वास्तव में, दोनों राष्ट्रों ने न केवल इस महामारी को हराने के लिये सहयोग व समन्वय किया, बल्कि ज़रूरत के समय एक-दूसरे के निकट भी आए।

सहयोग व समन्वय का ताज़ा उदाहरण जून 2019 में भारत के रुख में देखा जा सकता है, जब भारत ने अपने रुख में परिवर्तन करते हुए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council) में इज़राइल के एक प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है। इज़रायली प्रस्ताव में फिलिस्तीन के एक गैर-सरकारी संगठन 'शहीद' को सलाहकार का दर्जा दिये जाने पर आपत्ति जताई गई थी। इज़राइल का मानना था कि संगठन ने हमास के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं किया है, परिणामस्वरूप संगठन को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव निरस्त हो गया।

इस आलेख में भारत-इज़राइल संबंधों की पृष्ठभूमि, दोनों देशों के मध्य सहयोग के क्षेत्र, भारत की डी-हाईफनेशन कूटनीति, सामरिक भागीदारी, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर इज़राइल के विचार तथा कोरोना वायरस के दौरान भारत से प्रेरित इज़राइल की 'नो कॉन्टेक्ट पॉलिसी' पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

भारत-इज़राइल संबंधों की पृष्ठभूमि

- 17 सितंबर, 1950 को भारत ने इज़राइल को औपचारिक राजनयिक मान्यता प्रदान की। इसके तुरंत बाद बॉम्बे (वर्तमान मुंबई) में एक आव्रजन कार्यालय स्थापित किया गया, जिसे बाद में एक वाणिज्यिक दूतावास में बदल दिया गया।
- वर्ष 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के साथ दूतावास खोले गए। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में आश्चर्यजनक प्रगति देखी गई।
- वर्ष 2017 में भारत व इज़राइल के बीच संबंधों की स्थापना के 25 वर्ष होने पर इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जनवरी 2018 में भारत की यात्रा पर आए।

क्या है नो कॉन्टेक्ट पॉलिसी ?

- विदित है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में फिजिकल डिस्टेंसिंग एक कारगर उपाय सिद्ध हुआ है।
- भारत में अभिवादन की प्रक्रिया 'नमस्ते' फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें अभिवादन के दौरान किसी भी प्रकार का शारीरिक स्पर्श नहीं किया जाता है।
- इज़राइल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये नो कॉन्टेक्ट पॉलिसी के द्वारा अभिवादन की प्रक्रिया नमस्ते को अपनाया है। जो भारत और इज़राइल के मज़बूत होते संबंधों का प्रतीक है।

भारत-इज़राइल के मध्य सहयोग के क्षेत्र

स्वास्थ्य क्षेत्र

- COVID-19 महामारी प्रसार को रोकने के लिये भारत द्वारा इज़राइल को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है।
- भारत सरकार ने इज़राइली दवा उद्योग के लिये मेडिकल टीम भेजने और कच्चे माल के लिए N-95 फेस मास्क और अन्य चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को मंजूरी दी है।

नोट :

रक्षा क्षेत्र

- मार्च 2020 में भारत ने इज़राइल के साथ 880 करोड़ रुपए का एक रक्षा सौदा किया है। इस रक्षा सौदे में भारतीय सशस्त्र बलों के लिये 16,479 लाइट मशीन गन खरीदने का ऑर्डर दिया गया है।
- भारत ने इज़राइल की रक्षा कंपनियों को 'मेक इन इंडिया' में संयुक्त उत्पादन के लिये आमंत्रित किया, क्योंकि भारत में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में इज़राइल के लिये निवेश के अच्छे अवसर हैं।
- इज़राइल यदि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश करता है तो इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत होगी, जो इज़राइल से हथियारों के आयात पर खर्च होता है।
- विदित हो कि रूस के बाद इज़राइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्त्ता है।
- रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश होने से घरेलू विनिर्माण को लाभ होगा, नौकरशाही के माध्यम से संचालित राज्य के स्वामित्व वाली आयुध कारखानों पर निर्भरता कम होगी तथा नई तकनीक भी प्राप्त होगी।
- भारत ने इज़राइली कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में भारत की उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का लाभ उठाने के लिये संयुक्त उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया।

कृषि में सहयोग

- भारत के कृषि मंत्री की पिछले वर्ष हुई इज़राइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया था।
- दोनों देशों के बीच कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक बढ़ाने की प्रतिबद्धता के मद्देनज़र बागवानी के क्षेत्र में 2015 से एक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न फलों एवं सब्जियों की खेती के लिये 21 राज्यों में 27 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश की स्थापना का काम पूरा हो चुका है।
- इज़राइल में पानी की कमी के कारण सिंचाई के लिये ड्रिप इरिगेशन पद्धति का उपयोग होता है।
- बागवानी, खेती, बागान प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई और सिंचाई पश्चात् प्रबंधन क्षेत्र में इज़राइली प्रौद्योगिकी से भारत को काफी लाभ मिला है।
- इसका हरियाणा और महाराष्ट्र में काफी उपयोग किया गया है।

जल संसाधन प्रबंधन

- इज़राइल की तुलना में भारत में जल की पर्याप्त उपलब्धता है लेकिन वहाँ का जल प्रबंधन हमसे कहीं बेहतर है।
- पानी की कम उपलब्धता के चलते इज़राइल ने अवजल प्रसंस्करण और खारे पानी को मीठा बनाने की पद्धति में दक्षता प्राप्त कर ली है।
- इज़राइल ने भारत में खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिये कई संयंत्र स्थापित किये हैं।
- इज़राइल में कृषि, उद्योग, सिंचाई आदि कार्यों में पुनर्चक्रित पानी का उपयोग अधिक होता है, इसीलिये वहाँ के लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता।
- भारत जैसे विकासशील देश में 80 प्रतिशत आबादी की पानी की ज़रूरत भूजल से पूरी होती है और यह भी सच है कि उपयोग में लाया जा रहा भूजल प्रदूषित होता है।
- इसके अलावा आपसी सहमति के क्षेत्रों के साथ-साथ अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, अलवणीकरण, जल संरक्षण के तरीकों व जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करने की ज़रूरत भी बताई गई थी।
- कुछ समय पूर्व दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिये एक संयुक्त कार्यसमूह का गठन करने पर भी सहमति बनी थी।

सहयोग के अन्य क्षेत्र

- इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में दोनों देशों के नागरिक फँस गए थे, जिन्हें निकालने के लिये दोनों देशों की वायुसेना ने एक समझौता किया।
- इज़राइल नवाचार के मामले में अग्रणी है और तकनीक के मामले में वैश्विक ताकत है, जबकि भारत रचनात्मक प्रतिभाओं विशेषकर वैज्ञानिकों आदि के मामले में धनी है।

नोट :

- भारत और इज़राइल के बीच साइबर सुरक्षा और सीमा पर निगरानी तंत्र में भी सहयोग की संभावनाएँ हैं।
- भारत बुनियादी ढाँचा विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भी इज़राइली विशेषज्ञता की मदद ले सकता है।
- इज़राइल को 'स्टार्ट-अप' हब के रूप में भी जाना जाता है जो भारत की नई आईटी कंपनियों के आगे बढ़ने और बाज़ार में बने में सहायता कर सकता है।

मुक्त व्यापार समझौते को लेकर इज़राइल का रुख

- भारत के मध्यम वर्ग को इज़राइल अपना निर्यात बढ़ाने के अवसर के रूप में देखता है। इज़राइल के लिये भारत एक बड़ा निर्यात बाज़ार है।
- इज़राइल का मानना है कि भारत के साथ मज़बूत होते संबंध रक्षा उत्पादों के निर्यात से आगे बढ़कर वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार में वृद्धि की दिशा में बढ़ेंगे।
- भारतीय अर्थव्यवस्था इज़राइल निर्यात के लिये प्रमुख गंतव्य बनती जा रही है।
- भारत के 1.3 अरब उपभोक्ताओं में लगभग 30 करोड़ नागरिक मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग में हैं।
- इनकी खरीद क्षमता पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के समान है और ये इज़राइल के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हैं।
- मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में बाधाओं के बने रहने से लंबे समय से इसको लेकर संशय बना हुआ है।
- दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के मुद्दे पर बातचीत सात साल पहले शुरू हुई थी, जब इसका पहला दौर मई 2010 में हुआ था।
- लंबे समय से लटके पड़े इस समझौते के बारे में इज़राइल का यह मानना है कि भारत इस बारे में फिर से मूल्यांकन कर रहा है।
- जब तक यह नहीं होता तब तक दोनों देशों के बीच उनकी आर्थिक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिये अन्य प्रयास किये जा रहे हैं।

फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का रुख जस-का-तस

- बहुत से लोगों को यह आशंका थी कि भारत और इज़राइल के प्रगाढ़ होते संबंधों से भारत-फिलिस्तीन संबंध प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।
- हाल ही में जब अमेरिका ने यरूशलम को इज़राइल की राजधानी स्वीकार करने का विवादास्पद प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा तो भारत सहित 128 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि केवल नौ देशों ने ही इसके पक्ष में वोट दिया और 35 देश अनुपस्थित रहे।
- इस प्रस्ताव में कहा गया था कि यरुशलम के दर्जे को लेकर बातचीत होनी चाहिये और बदलाव पर अफसोस जताते हुए अमेरिका के फैसले को अमान्य घोषित किया गया।
- कई दशकों से भारत और फिलिस्तीन संबंध मजबूत रहे हैं और संभवत: यही कारण रहा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इज़राइल के खिलाफ वोट दिया।

डी-हाईफनेशन कूटनीति

- जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इज़राइल की यात्रा पर गए परंतु इस यात्रा के दौरान वह फिलिस्तीन नहीं गए। कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत की पूर्व में अपनाई गई नीति से विपरीत है। इससे पहले भारतीय राजनेता एक साथ दोनों पश्चिम एशियाई देशों का दौरा करते रहे हैं।
- भारत द्वारा इज़राइल और फिलिस्तीन को लेकर अपनाई गई इस नीति को कूटनीतिक एक्सपर्ट 'डी-हाईफनेशन' नाम देते हैं।
- डी-हाईफनेशन की नीति, अमेरिका द्वारा भारत व पाकिस्तान (भारत और पाकिस्तान की आपसी तल्खी को नज़रंदाज़ करते हुए दोनों देशों के साथ रिश्तों को अलग-अलग तरजीह देना) के संदर्भ में अपनाई गई नीति से प्रभावित है।

निष्कर्ष

इज़राइल ने भारत में कृषि, सिंचाई और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया है और भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएँ तलाश रहा है। भारत और इज़राइल के संबंध अगर रक्षा क्षेत्रों से इतर तेज़ी से आगे बढ़ाने हैं तो इसके लिये दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिये, जिसके ज़रिये भारत की कई कंपनियाँ इज़राइल की साझेदारी में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने की कोशिश कर सकती हैं। इज़राइल ने Reform, Perform & Transform की माँग की थी, जिसे भारत ने काफी हद तक पूरा करने का प्रयास किया है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे की पूरक बन सकती हैं, लेकिन दोनों देशों को द्विपक्षीय संभावनाओं तथा कारोबार और निवेश का दोहन करने के लिये और कदम उठाने की ज़रूरत है।

नोट :

बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका

संदर्भ

कोरोना वायरस के प्रसार ने न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं बल्कि विश्व व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों की भिन्न-भिन्न प्रकृति भी उत्पन्न कर दी है। इन चुनौतियों की प्रकृति कुछ इस तरह से है कि इनके समाधान का मार्ग विभिन्न देशों के आपसी सहयोग व समन्वय से ही प्रशस्त होगा। अब तक की परिस्थितियों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस विकट चुनौती से निपटने की क्षमता व संसाधन किसी एक देश के पास नहीं हैं।

हमें इस तथ्य कि ओर गौर करना चाहिये कि जिस प्रकार दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान दर्शन या मनोविज्ञान के स्तर पर ही हो सकता है ठीक उसी प्रकार वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हुई इस समस्या का समाधान भी वैश्विक प्रयासों के माध्यम से ही हो सकता है। सहयोग व समन्वय के यह प्रयास 'बहुपक्षीय दृष्टिकोण' (Multilateral Approach) के ही उपकरण हैं। इस बहुपक्षीय दृष्टिकोण की महत्ता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इस महामारी का मुकाबला करने में 'सहयोग से सृजन' के विकल्प को कारगर माना है।

इस आलेख में बहुपक्षवाद, उससे संबंधित मुद्दे, बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका जैसे विषयों पर विमर्श किया जाएगा।

बहुपक्षवाद से तात्पर्य

- बहुपक्षवाद तीन या अधिक हितधारकों के समूहों के बीच संबंधों को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। यह अवधारणा न केवल मात्रात्मक सिद्धांतों बल्कि गुणात्मक सिद्धांतों को भी समाहित करती है, जिससे किसी व्यवस्था का प्रारूप तय करने में सहायता प्राप्त होती है।
- बहुपक्षवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं-
  - हितधारकों के बीच हितों की अविभाज्यता,
  - विवाद निपटान की एक व्यवहार्य प्रणाली, जो समस्या समाधान में तार्किक दृष्टिकोण का पालन करती है।

बहुपक्षवाद के मार्ग में चुनौतियाँ

कानून का दुरुपयोग

- वैश्विक महामारी से पूर्व व इसके दौरान भी कई देशों द्वारा (मौजूदा प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन, और सब्सिडी के माध्यम से) अन्य देशों पर अनुचित लाभ हासिल करने के लिये मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों का दुरुपयोग किया गया। जैसे-
  - व्यापार के मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के मध्य तनाव में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) की उदासीन भूमिका।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लगाए गए क्षेत्रीय प्रतिबंधों (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-CAATSA) के कारण भारत व चीन जैसे देशों में विकास की गति प्रभावित हुई है।
  - अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने मौजूदा वैश्विक व्यापार को चुनौती दी है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का दुरुपयोग

- विकसित देशों में से कुछ देशों के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अधिकता और नियंत्रण है। जिससे ये देश वाणिज्यिक हितों के साथ रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये इस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का दोहरा लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे-
  - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के माध्यम से चीन विश्व आर्थिक प्रशासन में अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से चीन अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के साथ ही अपने रणनीतिक लक्ष्यों को भी साधने का प्रयास कर रहा है।
  - कई शक्तिशाली देश अपनी बेहतर नेटवर्किंग क्षमता का लाभ उठाते हुए अन्य देशों की व्यापक तौर पर गुप्त रूप से निगरानी कर रहे हैं।
  - इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्रांति 4.0 के दोहरे उपयोग (वाणिज्यिक संव्यवहार और सैन्य अनुप्रयोग) से भी विश्व भयभीत है।

नोट :

वैश्विक फ्रेमवर्क की कमी

- आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर वैश्विक समुदाय एक मंच पर आकर एक उभयनिष्ठ वैश्विक एजेंडे के निर्माण की दिशा में सक्रिय नहीं हो पा रहा है।
- इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सामान्य स्वास्थ्य फ्रेमवर्क की कमी के कारण ही COVID-19 जैसी महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है।

'अवर कंट्री फर्स्ट' की अवधारणा

- 'अवर कंट्री फर्स्ट' के दृष्टिकोण को वैश्विक स्तर पर कई लोकप्रिय राष्ट्रवादी आंदोलनों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसा लगता है कि वोट बैंक के लालच में विभिन्न देशों की सरकारें वैश्विक सहयोग को कम करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अस्वीकार करना प्रारंभ कर रही हैं।
- बहुपक्षीयता के मार्ग में चुनौती के रूप में ब्रिटेन का यूरोपीय संघ को छोड़ने का निर्णय एक ज्वलंत उदाहरण है। इतना ही नहीं वैश्विक स्तर पर बहुपक्षीय सहयोग की भावना को भी चुनौती मिल रही है। विशेषकर उस समय जब सतत विकास की दिशा में बढ़ने के लिये सहयोग व संलग्नता की बात आती है, तो वैश्विक राजनीतिक परिवर्तनों और राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण बहुपक्षीय व्यवस्था गतिरोध में फँसती दिखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलना बहुपक्षीय सहयोग की भावना में कमी 'अवर कंट्री फर्स्ट' की संकीर्ण मानसिकता का सटीक उदाहरण है।

सुरक्षा परिषद की सदस्यता में वृद्धि न हो पाना

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठती सुधारों की मांगों के बावजूद विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व न देना बहुपक्षीय दृष्टिकोण के सर्वथा विपरीत है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकसित देशों की ओर झुकाव

- यूक्रेन के क्रीमिया राज्य पर रूस का सैन्य नियंत्रण, सीरिया में बशर-अल-असद शासन के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य लामबंदी तथा दक्षिण चीन सागर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय पर चीन की अस्वीकृति जैसे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की उदासीन भूमिका बहुपक्षीयता के मार्ग में रुकावट है।
- COVID-19 महामारी के दौरान चीन के दबाव में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) द्वारा अपनी भूमिका का निष्पक्ष रूप से निर्वहन न किये जाने से बहुपक्षीय अवधारणा को लेकर स्थापित किये गए इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति संशय उत्पन्न हो गया है।

बहुपक्षीय दृष्टिकोण की पुनर्स्थापना में भारत की भूमिका

- विशेषज्ञों द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि बहुपक्षवाद की पुनर्स्थापना में भारत की प्रभावी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत ने समय के साथ अपनी गुटनिरपेक्ष नीति में बदलाव लाते हुए बहुपक्षवाद की नीति (भारत लगभग सभी बड़ी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए उसका लाभ उठा रहा है) का पालन कर रहा है।
- वर्तमान में भारत एक वैश्विक मध्यस्थ बनने और वैश्विक मुद्दों पर एक रूपरेखा विकसित करने हेतु विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय कर सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सक्रियतावाद और नियम-आधारित बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने वाली लंबी परंपरा के साथ ही भारत एक प्रमुख जी -20 सदस्य देश और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (क्रय शक्ति समता के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा) वाला देश है।
- भारत की विदेश नीति 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'गुड समैरिटन' (किसी की सहायता करने की भावना) के लोकाचार पर आधारित है ।
- बहुपक्षवाद के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के आह्वान के रूप में परिलक्षित हो सकती है।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) जैसी विभिन्न बहुपक्षीय पहलों को बढ़ावा देने , आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) का प्रस्ताव देने, एशिया-अफ्रीका विकास गलियारे को बढ़ावा देने के लिये लगातार प्रयास किये हैं।

नोट :

- भारत पूरे विश्व के लिये फार्मेसी (दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और लागत प्रभावी जेनेरिक दवाओं का निर्यातक) का हब है।
- विकसित और विकासशील देशों के समूह के साथ मिलकर काम करने की क्षमता ने भारत के कद को बढ़ाया है, परिणामस्वरूप विश्व के तमाम देश भारत द्वारा रखे गए प्रस्तावों का समर्थन करते हैं।
- भारत अलायंस फॉर मल्टीलैट्रलिज़्म (Alliance for Multilateralism) के साथ मिलकर काम कर सकता है ताकि दोनों बड़े पैमाने पर सुधार के एजेंडे को आकार दे सकें।

अलायंस फॉर मल्टीलैट्रलिज़्म

- फ्रांस और जर्मन विदेश मंत्रियों द्वारा शुरू किया गया 'अलायंस फॉर मल्टीलैट्रलिज़्म' अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और शांति के लिये नियमों पर आधारित बहुपक्षीय जनादेश को बढ़ावा देने और आम चुनौतियों को संबोधित करने का एक अनौपचारिक नेटवर्क है।
- अलायंस का उद्देश्य नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थिर करने के लिये वैश्विक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर इसके सिद्धांतों को बनाए रखना है और जहाँ आवश्यक हो, इसे अनुकूलित करना है।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, समझौतों और संस्थानों की सुरक्षा और संरक्षण करना है जो, दबाव या संकट में हैं।
- यह ऐसे क्षेत्रों जहाँ प्रभावी शासन की कमी होती है और नई चुनौतियों के लिये सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, में नीतिगत सक्रिय एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।

निष्कर्ष

कठिनाइयों के बावजूद, भारत को बहुपक्षवाद की अवधारणा को मज़बूत करने तथा विश्व के सभी देशों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिये प्रयास करना होगा। यह सर्वविदित है कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता देने वाले सामान्य हितों को संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखा है। इस संदर्भ में, भारत ने महामारी से लड़ने व सार्क के सदस्य देशों को एक साथ लाने के लिये एक संयुक्त प्रतिक्रिया विकसित करने की पहल की है। निश्चित रूप से भारत की यह पहल विश्व के समक्ष बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने में एक बेहतरीन उदाहरण साबित हो सकती है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र: महत्त्व और चुनौतियाँ

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में संपूर्ण विश्व एक मूलभूत परिवर्तन से गुज़र रहा है और इस परिवर्तन के साथ ही विश्व की पर्यावरणीय परिस्थितियाँ भी बदल रही हैं। इन परिवर्तनों से एशिया-प्रशांत क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र इस प्रकार के परिवर्तनों का पहले भी साक्षी रहा है, जब इस क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Area) कहा गया। आज दुनिया भर के तमाम देश अपने-अपने दस्तावेज़ों में आवश्यकतानुसार 'इंडो-पैसिफिक' की व्याख्या कर रहे हैं। भौगोलिक तौर पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।

वर्तमान परिदृश्य के मुताबिक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों से मिलकर बने इस समुद्री क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी देखी जा रही है। जो समुद्री पारिस्थितिकी के लिये लाभदायक साबित हो रही है। इस समय जू-प्लैंकटन्स की संख्या में हो रही गिरावट तथा कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं में कमी भी देखी जा रही है।

इस आलेख में हिंद-प्रशांत क्षेत्र, उसका रणनीतिक महत्त्व, इस क्षेत्र में भारत की भूमिका, इस क्षेत्र का पर्यावरणीय महत्त्व, सतत विकास लक्ष्यों के साथ इसकी साम्यता व इस क्षेत्र की चुनौतियों का भी विश्लेषण किया जाएगा।

हिंद-महासागर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति

- अपने नाम के अनुसार ही हिंद महासागर (Indian Ocean) और प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Area) कहते हैं।
- विशाल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जल ग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को 'इंडो-पैसिफिक देश' कहा जा सकता है।
- इस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, इंडियन ओशन तथा वेस्टर्न एवं सेंट्रल पैसिफिक ओशन मिलकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है।

नोट :

- यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिये इसे अपनी भव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है, जिसे चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका

- भारत इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आसियान, जापान, कोरिया और वियतनाम के साथ भारत कई नौसैनिक अभ्यासों में शामिल हुआ है।
- भारत इंडो-पैसिफिक रणनीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। वह पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार, आर्थिक विकास तथा समुद्री सुरक्षा में भागीदारी के लिये इच्छुक है।
- भारत महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे चीन को कठिन प्रतिस्पर्द्धा पेश करना चाहता है और इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिये अमेरिका की मदद चाहता है।
- हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर है, जिसका नाम भारत के नाम पर है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत गंभीर है तथा इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करने के साथ शांति, स्थिरता तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का पक्षधर है।
- इन सभी उद्देश्यों के साथ ही भारत एक नई मैरीटाइम सुरक्षा रणनीति भी विकसित कर रहा है। हाल ही में भारत, अमेरिका तथा जापान के साथ नौसैनिक सैन्य अभ्यास इसी मैरीटाइम सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- इस प्रकार विभिन्न देशों के साथ इस तरह के नौसैनिक अभ्यास के द्वारा भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ा भागीदार बनना चाहता है।
- भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशिया के देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है।
- भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता, क्षेत्र में उड़ानों की स्वतंत्रता चाहता है।
- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), और जापान स्थायी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु मिलकर कार्य कर रहे हैं जो इस क्षेत्र के विकास के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हैं।
- चीन के विपरीत भारत सदैव ही एक एकीकृत आसियान (ASEAN) का हिमायती रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन ने आसियान में 'फूट डालो और राज करो' की नीति का प्रयोग किया है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती चीन की उपस्थिति है। चीन अपने 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के माध्यम से विश्व की महाशक्ति के रूप में अपने को बदलने के लिये दुनिया के विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी पर भारी निवेश कर रहा है। उसकी इस पहल का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना भी है।
- चीन अपनी काल्पनिक नीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के ज़रिये भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज़ करा रहा है।
- उदाहरण के लिये चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का प्रमुख भागीदार है। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने हंबनटोटा पोर्ट को चीन के हाथों बेच दिया है।
- बांग्लादेश का चिटगाँव पोर्ट भी रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बंदरगाह है जहाँ चीन की उपस्थिति मौजूद है। म्याँमार की सितवे परियोजना भी चीन की मोतियों की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति का हिस्सा है।
- जिबूती में तैयार चीन के पहले विदेशी नौसैनिक अड्डे और मालदीव के कई निर्जन द्वीपों पर उसके काबिज होने के बाद हिंद महासागर बीजिंग का भू-सामरिक अखाड़ा बनता जा रहा है।
- आसियान के कुछ सदस्य देश चीन के प्रभाव में आसियान की एकजुटता के लिये बड़ा खतरा बने हुए हैं। विदित है कि चीन आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आसियान देश किसी भी स्थिति में उसे दरकिनार नहीं कर सकते, संभव है कि आसियान और चीन का यह समीकरण भारत तथा आसियान के संबंधों को प्रभावित करे।

हिंद-प्रशांत रणनीति

- हिंद-प्रशांत रणनीति विगत काफी समय से चर्चा में है। अमेरिका सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वृहद् भारत-अमेरिकी सहयोग की हिमायत कर रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विधिसम्मत, मुक्त व्यापार, मुक्त आवागमन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये उपयुक्त ढाँचा बनाना, इस रणनीति के मुख्य भाग हैं। इस रणनीति के मुख्य सूत्रधार अमेरिका, चीन, भारत और जापान हैं।

नोट :

क्वाड की अवधारणा

- क्वाड (Quad) को 'स्वतंत्र, खुले और समृद्ध' हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिये चार देशों के साझा उद्देश्य के रूप में पहचाना जाता है।
- एक संकल्प के रूप में 'क्वाड' का गठन वर्ष 2007 में भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समुद्री आपदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों में सहयोग के लिये किया गया था।
- लगभग एक दशक तक निष्क्रिय रहे इस समूह को वर्ष 2017 में पुनर्जीवित किया गया।
- क्वाड को 'नियम-आधारित आदेश' को ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवित किया गया था, ताकि नेविगेशन एवं ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियम का सम्मान, कनेक्टिविटी का प्रसार एवं समुद्री सुरक्षा को सहयोग के मुख्य तत्त्व के रूप में पहचान मिल सके। इसमें अप्रसार एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक महत्त्व

- वर्तमान में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44 प्रतिशत, विश्व की कुल आबादी का 65 प्रतिशत, विश्व की कुल GDP का 62 प्रतिशत तथा विश्व के माल व्यापार का 46 प्रतिशत योगदान देता है।
- यह तथ्य स्पष्ट है कि इसमें उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने वाले क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के अवसर पैदा करने हेतु सभी घटक मौजूद हैं।
- इस क्षेत्र में भू-आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा भी ज़ोर पकड़ रही है, जिसमें दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ, बढ़ता सैन्य खर्च और नौसैनिक क्षमताएँ, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गला काट प्रतिस्पर्द्धा में शामिल हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक महत्त्व

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र हाल के वर्षों में भू-राजनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है। साथ ही यह क्षेत्र अपनी अवस्थिति के कारण और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है।
- वर्तमान में विश्व व्यापार की 75 प्रतिशत वस्तुओं का आयात-निर्यात इसी क्षेत्र से होता है तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए बंदरगाह विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं।
- इसके अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। यहाँ आसियान के देश तथा चीन के मध्य लगातार विवाद चलता रहता है। दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है- मलक्का का जलडमरूमध्य। इंडोनेशिया के पास स्थित यह जलडमरूमध्य रणनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है।
- गुआन आइलैंड, मार्शल आइलैंड रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ से भारत का तेल व्यापार होता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सेशेल्स और मालदीव भी इसी क्षेत्र में आते हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र का पर्यावरणीय महत्त्व

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित 38 देशों के निवासियों के लिये यह आजीविका का भी स्रोत है। यहाँ के लोग मत्स्य पालन और अन्य समुद्री संसाधन के उपयोग के माध्यम से अपना जीवनयापन कर रहे हैं।
- विदित है कि वर्तमान में विश्व व्यापार की 75 प्रतिशत वस्तुओं का आयात-निर्यात इसी क्षेत्र से होता है, परिणामस्वरूप मालवाहक जहाजों के द्वारा ऑइल वेस्ट के निपटान से इस समुद्री क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जिससे समुद्री जीव-जंतुओं की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित देशों में औद्योगिक गतिविधियाँ बंद हैं, जिससे इन देशों से निकलने वाली नदियों में प्रदूषण की मात्र कम हो गई है। परिणामस्वरूप समुद्री जल में घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है।
- समुद्री पर्यावरण का संरक्षण सतत विकास लक्ष्य-14 के साथ साम्यता प्रदर्शित करता है, जिसमें जलीय जीवों की सुरक्षा तथा महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनके संवहनीय उपयोग का प्रावधान है।

नोट :

निष्कर्ष

हिंद-प्रशांत क्षेत्र आर्थिक और रणनीतिक रूप से वैश्विक महत्त्व के केंद्र के रूप में उभर रहा है। यदि इस क्षेत्र के हितधारक एक खुले, नियम-आधारित व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये कार्य नहीं करते हैं, तो सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती रहेगी, जिसका प्रभाव दुनिया भर पर पड़ना संभावित है। वर्तमान में जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा सहयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये इस सहयोग को आगे बढ़ाने का समय आ गया है।

अफगान नीति में परिवर्तन की आवश्यकता

संदर्भ

हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच घोषित शक्ति-साझाकरण समझौते (Power-Sharing Deal) का भारत ने स्वागत किया है। जो कि पिछले वर्ष हुए विवादित राष्ट्रपति पद के चुनाव से उत्पन्न राजनीतिक कलह का अंत माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि सुलह के माध्यम से राजनीतिक समझौते और परिषद के गठन से स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिये नए सिरे से प्रयास किये जाएँगे और अफगानिस्तान में गैर राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और हिंसा पर लगाम लगेगी। दो दशक से युद्ध और हिंसा से जूझ रहे अफगानिस्तान में शांति की उम्मीद जगी है। शक्ति-साझाकरण समझौते से लोग खुश हैं और उन्हें देश में अमन लौटने की आशा है।

यदि बात भारत और अफगानिस्तान संबंधों की करें तो समय के साथ यह बेहद मज़बूत और मधुर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान जितना अपने तात्कालिक पड़ोसी पाकिस्तान के निकट नहीं है, उससे कहीं अधिक निकटता उसकी भारत के साथ है। भारत अफगानिस्तान में अरबों डॉलर लागत वाली कई बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर चुका है और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है।

इस आलेख में शक्ति-साझाकरण समझौते, शक्ति-साझाकरण समझौते का अमेरिका-तालिबान समझौते पर प्रभाव, तालिबान को लेकर भारत की स्थिति, भारत की अफगान नीति में बदलाव की आवश्यकता पर विमर्श किया जाएगा।

अफगानिस्तान में संघर्ष की पृष्ठभूमि

- अमेरिका के आक्रमण से पूर्व ही अफगानिस्तान लगभग 20 वर्षों तक निरंतर युद्ध की स्थिति में रहा था। अफगानिस्तान संघर्ष की शुरुआत अफगानिस्तान में तख्तापलट के एक वर्ष पश्चात् 1979 में हुई जब सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर अपनी साम्यवादी सरकार का समर्थन करने के लिये आक्रमण कर दिया।
- सोवियत सेना अफगानिस्तान सरकार की ओर से अफगान मुजाहिदीनों के विरुद्ध जंग लड़ रही थी, उस समय इन अफगान मुजाहिदीनों को अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों का समर्थन प्राप्त था। युद्ध की शुरुआत के कुछ ही वर्षों में सोवियत सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। हालाँकि इस युद्ध में सोवियत सेना के 15000 से भी अधिक सैनिक मारे गए।
- वर्ष 1988 में सोवियत संघ ने कुछ आंतरिक कारणों के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया और फरवरी 1989 को सोवियत सेना की अंतिम टुकड़ी भी अफगानिस्तान से वापस चली गई। हालाँकि अफगानिस्तान में अभी भी गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई थी।
- 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहाँ कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया और वहाँ के आम लोग भी मुजाहिदीनों से काफी परेशान थे। ऐसे हालात में जब तालिबान का उदय हुआ था तो अफगान लोगों ने उसका स्वागत किया।
- अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी के पश्चात् ही वहाँ तालिबान के उदय की शुरुआत होती है। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 'छात्र'। दरअसल तालिबान का उदय 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ, जब सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा चुकी थी।
- पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान, अफगानिस्तान के पटल पर पूर्णरूप से वर्ष 1994 में सामने आया। इससे पहले तालिबान धार्मिक आयोजनों या मदरसों तक सीमित था, जिसे ज़्यादातर धन सऊदी अरब से मिलता था।
- प्रारंभ में तालिबान को इसलिये लोकप्रियता मिली क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, अव्यवस्था पर अंकुश लगाकर अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सकें।

नोट :

- धीरे-धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना दबदबा बढ़ाना शुरू किया और वर्ष 1996 में बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। वर्ष 1998 तक लगभग 90 प्रतिशत अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था।

अफगानिस्तान में अमेरिका का प्रवेश

- वर्ष 2001 में न्यूयॉर्क में आतंकी हमले के बाद तालिबान दुनिया की नज़रों में आया। इसी दौरान 7 अक्तूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया।
- हालाँकि, इस हमले के बावजूद तालिबान नेता मुल्ला उमर और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़ा नहीं जा सका।
- मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा-बिन-लादेन को अमेरिकी सेनाओं द्वारा मार गिराया गया।
- ओसामा-बिन-लादेन को मार गिराने के बाद अमेरिकी सुरक्षा बलों का प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो चुका था, अत: 2011 में राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की सीमित संख्या में वापसी का रोडमैप प्रस्तुत किया।
- जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अफगान नीति के संदर्भ में प्रमुख फोकस अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पर रहा, जिसे मार्च 2020 में अमेरिकी-तालिबान समझौते में मूर्त रूप दिया गया।
- इस समझौते का सफल क्रियान्वयन अफगानिस्तान में राजनैतिक गतिरोध की समाप्ति पर टिका है।

शक्ति-साझाकरण समझौते के प्रमुख बिंदु

- इस समझौते के तहत अशरफ गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे जबकि अब्दुल्ला अब्दुल्ला सुलह के लिये गठित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (High Council of National Reconciliation) के प्रमुख होंगे।
- अब्दुल्ला के पास आंतरिक, आर्थिक, न्याय, श्रम और सोशल अफेयर्स के मंत्रालय रहेंगे।
- अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अफगानिस्तान में अशरफ गनी प्रशासन को सरकार चलाने में अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करेंगे।
- अमेरिका और तालिबान की शांति वार्ता को तय मुकाम तक पहुँचाने के लिये अफगानिस्तान में सियासी गतिरोध दूर करने के लिये यह समझौता बेहद ज़रूरी था।

अमेरिका के लिये क्यों जरूरी है यह समझौता?

- अमेरिका में वर्ष 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सुरक्षा बलों की वापसी एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले चुनाव प्रचार में दो दशकों से अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सेना की वापसी को बड़े मुद्दे के रूप में प्रचारित किया था।
- पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की वापसी का वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे। अब अमेरिका-तालिबान समझौते के बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी के मुद्दे से ट्रंप को राष्ट्रपति पद के चुनाव में फायदा हो सकता है।
- लेकिन, अफगानिस्तान में राजनैतिक गतिरोध के कारण अमेरिका-तालिबान समझौता मूर्त रूप नहीं ले पा रहा था। अफगानिस्तान में शक्ति-साझाकरण समझौते से राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया है, जिससे अब अमेरिका-तालिबान समझौते के अपने मुकाम तक पहुँचने की पूरी संभावना है।

भारत की अफगान नीति में बदलाव क्यों?

- भारत हमेशा से तालिबान शासन का विरोध करता रहा है, भारत का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि वह तालिबान से संबंधित किसी प्रत्यक्ष वार्ता में संलग्न नहीं होगा। हालाँकि वर्ष 2018 में भारत ने मास्को में तालिबान के साथ आयोजित वार्ता में शामिल होने के लिये गैर-आधिकारिक स्तर पर अपने दो सेवानिवृत्त राजनयिकों को भेजा था।
- मार्च 2020 में अमेरिकी-तालिबान समझौते का भारत ने न केवल पूर्ण समर्थन किया बल्कि इस समझौते में भारत के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जो तालिबान के प्रति भारत के बदले रूख को दर्शाता है।
- कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत का तालिबान के साथ खुला संपर्क होना चाहिये क्योंकि तालिबान भी अब अफगानिस्तान की राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग बन गया है।
- भारत को तालिबान से प्रत्यक्ष रूप से वार्ता कर आतंकवाद जैसे विषयों को उसके समक्ष उठाना चाहिये।

नोट :

- अफगानिस्तान से अमेरिकी सुरक्षा बलों की वापसी के बाद उत्पन्न हुए शून्य को भरने के लिये भारत को तालिबान की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिये भारत को संबंध सुधार की दिशा में पहल करना चाहिये।
- अमेरिका-तालिबान समझौते में पाकिस्तान एक प्रमुख भागीदार है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान, तालिबान का प्रयोग भारत के विरुद्ध कर सकता है। ऐसे में भारत को व्यक्तिगत तौर पर तालिबान से संबंध स्थापित करना चाहिये।
- भारत को वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में सुधारात्मक कूटनीतिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत को तालिबान और देश के सभी राजनीतिक समूहों के साथ खुलकर बात करना शुरू करना चाहिये।

भारत के लिये अफगानिस्तान का महत्त्व

- अफगानिस्तान एशिया के चौराहे पर स्थित होने के कारण रणनीतिक महत्त्व रखता है क्योंकि यह दक्षिण एशिया को मध्य एशिया और मध्य एशिया को पश्चिम एशिया से जोड़ता है।
- भारत का संपर्क ईरान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज़्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के माध्यम से होता है। इसलिये अफगानिस्तान भारत के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- अफगानिस्तान भू-रणनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत और मध्य एशिया के बीच स्थित है जो व्यापार की सुविधा भी प्रदान करता है।
- यह देश रणनीतिक रूप से तेल और गैस से समृद्ध मध्य-पूर्व और मध्य एशिया में स्थित है जो इसे एक महत्त्वपूर्ण भू-स्थानिक स्थिति प्रदान करता है।
- अफगानिस्तान पाइपलाइन मार्गों के लिये महत्त्वपूर्ण स्थान बन जाता है। साथ ही अफगानिस्तान कीमती धातुओं और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है।

आगे की राह

- अमेरिका और तालिबान के मध्य शांति वार्ता के परिणामस्वरूप अमेरिकी सेना की वापसी से अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबान का वर्चस्व स्थापित हो सकता है, ऐसे में भारत को लगातार तालिबान के साथ वार्ता करनी चाहिये ताकि पाकिस्तान अपने लाभ के लिये तालिबान का प्रयोग भारत के खिलाफ न कर सके।
- तेज़ी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दौर में भारत के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करे।
- भारत को अपनी सुरक्षा ज़रूरतों की समीक्षा कर भारतीय उपमहाद्वीप की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए एक निर्णायक भूमिका में आना होगा।
- तालिबान के साथ बातचीत करने के लिये भारत को संवाद का प्रत्यक्ष तंत्र विकसित करना चाहिये।

भारत-चीन संबंध के बदलते आयाम

संदर्भ

ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिये आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है, विश्व व्यवस्था के दो बड़े राष्ट्र भारत व चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। हालिया विवाद का केंद्र अक्साई चिन में स्थित गालवन घाटी (Galwan Valley) है, जिसको लेकर दोनो देशों की सेनाएँ आमने-सामने आ गईं हैं। जहाँ भारत का आरोप है कि गालवन घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। इस घटना से पूर्व उत्तरी सिक्किम के नाथू ला सेक्टर में भी भारतीय व चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी।

उपरोक्त घटनाएँ भारत-चीन के मध्य सीमा विवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जो दोनों देशों के बीच रक्षा व सुरक्षा संबंधों की जटिलता को प्रदर्शित करते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। यह विदित है कि भारत और चीन दोनों ने लगभग एक-साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई। भारत ने जहाँ सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के मूल्यों को खुद में समाहित किया, तो वहीं चीन ने छद्म लोकतंत्र को अपनाया। भारत चीन सबंधों की इस गाथा में अनेक स्याह मोड़ आए। हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे से लेकर वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध से होते हुए दोनों देशों के संबंध आज इस दौर में हैं कि भारत व चीन विभिन्न मंचों पर एक-दूसरे की मुखालफत करते नज़र आते हैं।

नोट :

इस आलेख में भारत-चीन संबंधों की व्यापकता पर चर्चा करते हुए वर्तमान में दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र व विवाद के बिंदुओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा।

भारत-चीन संबंधों का विकास

- हज़ारों वर्षों तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा, परंतु जब वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहाँ कब्ज़ा कर लिया तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए।
- 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे एवं कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही सीमित थे।
- वर्ष 1954 में नेहरू और झोउ एनलाई (Zhou Enlai) ने "हिंदी-चीनी भाई-भाई" के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किये, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये कार्ययोजना तैयार की जा सके।
- वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इसके पश्चात् चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया।
- वर्ष 1962 में सीमा संघर्ष से द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा तथा उसके बाद वर्ष 1976 मे भारत-चीन राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। इसके बाद समय के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिला।
- वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया। दोनों पक्ष सीमा विवाद के प्रश्न पर पारस्परिक स्वीकार्य समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिये सहमत हुए। वर्ष 1992 में, भारतीय राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे।
- वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा (The Declaration on the Principles and Comprehensive Cooperation in China-India Relations) पर हस्ताक्षर किये।
- वर्ष 2011 को 'चीन-भारत विनिमय वर्ष' तथा वर्ष 2012 को 'चीन-भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष' के रूप में मनाया गया।
- वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया इसके बाद चीन ने भारतीय आधिकारिक तीर्थयात्रियों के लिये नाथू ला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया।
- वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में 'भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया गया। उनके बीच गहन विचार-विमर्श हुआ और वैश्विक और द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों के साथ-साथ घरेलू एवं विदेशी नीतियों के लिये उनके संबंधित दृष्टिकोणों पर व्यापक सहमति बनी।
- वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति बीच चेन्नई में 'दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' आयोजित किया गया। इस बैठक में, 'प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन' में बनी आम सहमति को और अधिक दृढ़ किया गया।
- वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ है तथा भारत-चीन सांस्कृतिक तथा पीपल-टू-पीपल संपर्क का वर्ष भी है।

सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

- राजनैतिक तथा राजनयिक संबंध
  - भारत तथा चीन के शीर्ष नेताओं द्वारा दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किये गए तथा वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्त्व के मुद्दों पर गहन विचारों का आदान-प्रदान किया।
  - दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं का लगातार आदान-प्रदान, अंतर-संसदीय मैत्री समूह स्थापना, सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आदि का आयोजन समय-समय पर किया जाता रहा है।

नोट :

- भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के विभिन्न विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिये लगभग 50 संवाद तंत्र हैं।

- आर्थिक संबंध
  - 21 वीं सदी के प्रारंभ से अब तक भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार 3 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 100 बिलियन डॉलर (32 गुना) हो गया है। वर्ष 2019 में भारत तथा चीन के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा 92.68 बिलियन डॉलर थी।
  - भारत में औद्योगिक पार्कों, ई-कॉमर्स तथा अन्य क्षेत्रों में 1,000 से अधिक चीनी कंपनियों ने निवेश किया है। भारतीय कंपनियाँ भी चीन के बाज़ार में सक्रिय रूप से विस्तार कर रही हैं। चीन में निवेश करने वाली दो-तिहाई से अधिक भारतीय कंपनियाँ लगातार मुनाफा कमा रही हैं।
  - 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाज़ार तथा दुनिया के 20% के सकल घरेलू उत्पाद के साथ, भारत और चीन के लिये आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं। भारत में चीनी कंपनियों का संचयी निवेश 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
  - भारतीय कंपनियों ने चीन में तीन सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किये हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत-चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
- रक्षा संबंध
  - भारत तथा चीन के बीच हैंड-इन-हैंड (Hand-in-Hand) संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास के अब तक 8 दौर आयोजित किये जा चुके हैं।
- पीपल-टू-पीपल कनेक्ट
  - दोनों देशों ने कला, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म और टेलीविज़न, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, स्थानीयता, पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा तथा थिंक टैंक के क्षेत्र में आदान-प्रदान तथा सहयोग पर बहुत अधिक प्रगति की है।
  - दोनों देशों ने सिस्टर सिटीज़ (Sister Cities) तथा प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किये हैं। फ़ुज़ियान प्रांत और तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट के रूप में जबकि चिनझोऊ (Quanzhou) एवं चेन्नई नगर को सिस्टर सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा।

विवाद के बिंदु

- सीमा विवाद, जैसे- पैंगोंग त्सो मोरीरी झील का विवाद-2019, डोकलाम गतिरोध-2017, अरुणाचल प्रदेश में आसफिला क्षेत्र पर विवाद।
- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers Group- NSG) में भारत का प्रवेश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता आदि पर चीन का प्रतिकूल रुख।
- बेल्ट एंड रोड पहल (Belt and Road Initiative) संबंधी विवाद, जैसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (China Pakistan Economic Corridor- CPEC) विवाद।
- सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव एवं समर्थन।
- चीन ने हिंद-प्रशांत महसागरीय क्षेत्र में भारत (QUAD का सदस्य) की भूमिका पर भी असंतोष जाहिर किया है।

विवाद समाधान की रणनीति

- दोनों देशों को नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिये।
- मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति को विकसित करने पर बल देना होगा।
- पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गति का विस्तार करना चाहिये।
- भारत व चीन को अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय को बढ़ाना चाहिये।
- दोनों देशों को आपसी मतभेदों का उचित प्रबंधन करना होगा।

नोट :

आगे की राह

- सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन और परिसीमन किये जाने की आवश्यकता है ताकि आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भय को दूर किया जा सके और संबंधों को मज़बूत किया जा सके।
- पिछले दस वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार में चीन ने भारत के मुकाबले 750 बिलियन डॉलर की बढ़त बना ली है, जिसे कम करना बहुत आवश्यक है। व्यापार घाटे को कम करने में सेवा क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
- विश्व में चीन तथा भारत ऐसे देश है जिनकी जनसंख्या एक अरब से अधिक है तथा ये दोनों देश राष्ट्रीय कायाकल्प के ऐतिहासिक मिशन के साथ ही विकासशील देशों की सामूहिक उत्थान प्रक्रिया को गति देने में महत्त्वपूर्ण प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं।
- भारत और चीन के बीच की समस्याओं को अल्पावधि में हल किया जाना कठिन है, लेकिन मौजूदा रणनीतिक अंतर को न्यूनतम करने, मतभेदों को कम करने और यथास्थिति बनाए रखने जैसे उपायों से समय के साथ आपसी संबंधों को और बेहतर बनाया जा सकता है।

भारत-नेपाल संबंध: वर्तमान परिदृश्य

संदर्भ

हाल ही में भारत के लिये स्थिति उस समय असहज हो गई जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये भारत द्वारा लिपुलेख-धाराचूला मार्ग के उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने इसे एकतरफा गतिविधि बताते हुए आपत्ति जताई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया कि महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल की सीमा में आता है। विदित है कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के कालापानी (Kalapani) लिंपियाधुरा (Limpiyadhura) और लिपुलेख (Lipulekh) को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। निश्चित रूप से नेपाल की इस प्रकार की प्रतिक्रिया ने भारत को अचंभित कर दिया है। इतना ही नहीं नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli) ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार में भारत को दोष देकर दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण कर दिया है।

वस्तुत: इसे 'चीनी जादू' कहा जाए या नेपाल की कूटनीतिक चाल कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश हो रही है। भारत इन सभी कोशिशों को नेपाल की चीन से बढ़ती नजदीकी के रूप में देख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते पर 'चीनी चाल' भारी पड़ रही है? या फिर यह मान लिया जाए कि हालिया दिनों में नेपाल ज़रूरत से ज्यादा महत्त्वाकांक्षी बन गया है और भारत उसकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा।

इस आलेख में भारत-नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों की पृष्ठभूमि, दोनों देशों के मध्य सहयोग के क्षेत्र, दोनों देशों के मध्य विवाद के बिंदु तथा इसमें चीन की भूमिका और भारत के लिये नेपाल के महत्त्व पर विमर्श किया जाएगा।

भारत-नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि

- नेपाल, भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्त्व रखता है।
- भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं, उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्मस्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है।
- वर्ष 1950 की 'भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि' दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।

भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि

- यह भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है।
- यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देती है।
- साथ ही यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देती है।
- इस संधि के द्वारा नेपाल को एक भू-आबद्ध (Land-lock) देश होने के कारण कई विशेषाधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

नोट :

- भारत-नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है।
- दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के पाँच राज्य--सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हैं।
- भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। लगभग 98% प्रतिशत सीमा की पहचान व उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है, कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद है जिसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है।

सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

- सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र
  - नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों-हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं।
  - बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। बाद में बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र बोधगया आए, जहाँ उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया से महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने-कोने तक बौद्ध धर्म का प्रसार किया।
  - भारत व नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं।
  - रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मज़बूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है।
- सामाजिक क्षेत्र
  - भारत-नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है।
  - दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ-साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मज़बूत नींव है। इस नींव को ही 'रोटी-बेटी का रिश्ता' नाम दिया गया है।
- आर्थिक क्षेत्र
  - भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ-साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है।
  - भारत, नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिये पारगमन सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिये कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है।
  - भारतीय कंपनियाँ नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इन कंपनियों की नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उपस्थिति है।
- अवसंरचना विकास क्षेत्र
  - भारत सरकार नेपाल में ज़मीनी स्तर पर बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समय-समय पर विकास सहायता प्रदान करती है।
  - इसमें बुनियादी ढाँचे में स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण और सामुदायिक विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- रक्षा सहयोग क्षेत्र
  - द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण शामिल है।
  - भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट्स में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है।
  - भारत वर्ष 2011 से नेपाल के साथ प्रति वर्ष 'सूर्य किरण' नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है।
- आपदा प्रबंधन
  - नेपाल में अक्सर भूकंप, भू-स्खलन और हिमस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहता है। ऐसा मुख्य रूप से भौगोलिक कारकों के कारण होता है क्योंकि नेपाल एक प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है।
  - भारत आपदा से संबंधित ऐसे किसी भी मामलें में कर्मियों की सहायता के साथ-साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता रहा है।
- संचार क्षेत्र
  - नेपाल एक भू-आबद्ध देश है जो तीन तरफ से भारत से और एक तरफ तिब्बत से घिरा हुआ है।

नोट :

- भारत-नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किये हैं।
- हाल ही में भारत के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिये इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

विवाद के बिंदु

- भारत व नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला (Dharchula) को लिपुलेख दर्रे (Lipulekh Pass) से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि कालापानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किये बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है।
- नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के कालापानी (Kalapani) लिंपियाधुरा (Limpiyadhura) और लिपुलेख (Lipulekh) को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है।
- नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगौली संधि (Sugauli treaty) का ज़िक्र किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, सुगौली संधि (वर्ष 1816) के तहत काली (महाकाली) नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिनमें लिंपियाधुरा (Limpiyadhura), कालापानी (Kalapani) और लिपुलेख (Lipulekh) शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग हैं।
- एंग्लो-नेपाली युद्ध (Anglo-Nepalese War) के पश्चात् वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। उल्लेखनीय है कि सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है।
- नेपाल सरकार के अनुसार, बीते वर्ष जम्मू-कश्मीर के विभाजन के पश्चात् भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नए मानचित्रों में भिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इस मानचित्रों में छेड़खानी की गई है।

क्या बिगड़ते रिश्ते में भारत की भी भूमिका है?

- नवंबर, 2019 को भारत ने एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था जो जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है। इसी मानचित्र में कालापानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इस मानचित्र ने भारत-नेपाल के बीच पुराने विवादों में नई जान डाल दी।
- भारतीय फिल्मों में नेपाली महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से भी नेपाल ने नाराज़गी व्यक्त की।
- नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट, वन रोड परियोजना में शामिल हुआ, परंतु भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल न होने का दबाव डाल रहा था। भारत द्वारा इस प्रकार दबाव डालना नेपाल को रास नहीं आया और इस घटना ने भारत की 'बिग ब्रदर' वाली छवि को स्थापित किया।
- दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट तब आई जब सितंबर, 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया। लेकिन, भारत द्वारा नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया गया जिस रूप में नेपाल को आशा थी।
- इसी तरह नवंबर, 2015 जेनेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेर-बदल को प्रभावित करने के लिये मानवाधिकार परिषद् के मंच का कठोरतापूर्वक उपयोग किया गया, जबकि इससे पहले तक नेपाल के आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत द्वारा कभी भी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं गई थी।
- भारत का रुख मधेसियों को नेपाल में नागरिकता का अधिकार दिलाना था। इनमें लाखों मधेसियों ने वर्ष 2015 में नागरिकता को लेकर व्यापक आंदोलन चलाया था। नेपाल सरकार का ऐसा आरोप है कि मधेसियों के समर्थन में भारत सरकार ने उस समय नेपाल की आर्थिक घेराबंदी की थी।

नेपाल पर चीन का प्रभाव

- गौरतलब है कि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। ये सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल हो गए हैं। लेकिन भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है।
- नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से भारत-नेपाल के बीच संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही। चीन ने इसका पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति को और मज़बूत किया है।

नोट :

- नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्चा भी चीन की सरकार उठाने के लिये तैयार है।
- चीन, नेपाल में ऐसा बुनियादी ढाँचा तैयार करने की परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिन पर भारी खर्च आता है।

भारत के लिये नेपाल का महत्त्व

- नेपाल की अहमियत इस वजह से भी ज्यादा है कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद 'पहले पड़ोस की नीति' के मद्देनजर नेपाल उनके शुरुआती विदेशी दौरों में से एक था। जबकि इससे पहले आखिरी बार वर्ष 1997 में नेपाल के साथ भारत की कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी।
- मौजूदा सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्त्वपूर्ण समझौते भी किये हैं। कृषि, रेलवे संबंध और अंतर्देशीय जलमार्ग विकास सहित कई द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनी है।
- इनमें बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच सामरिक रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों के बीच संपर्क तथा बड़े पैमाने पर माल के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा मोतिहारी से नेपाल के अमेलखगंज तक दोनों देशों के बीच ऑयल पाइपलाइन बिछाने पर भी हाल ही में सहमति बनी है।
- नेपाल का दक्षिण क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा है। भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता माना जाता है। बिहार और पूर्वी-उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का सांस्कृतिक एवं नृजातीय संबंध रहा है।
- दोनों देशों की सीमाओं से यातायात पर कभी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रहा। सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहता है। भारत-नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिये किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। यह उदाहरण कई मायनों में भारत-नेपाल की नज़दीकी को दर्शाता है।

आगे की राह

- नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह दो देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेज़ों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की भी जरूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ–हानि पर विचार करना होगा।
- भारत और चीन के साथ नेपाल एक आज़ाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीनी निवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ रही है। लिहाज़ा, भारत को कूटनीतिक सुझबूझ का परिचय देना होगा।

चीन-ताइवान संबंध व एक चीन नीति

संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 से जुड़ी जानकारी छिपाने के मुद्दे पर चौतरफा घिरा चीन अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। अब चीन के भीतर भी शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। इससे वैश्विक व्यवस्था तथा जनता का ध्यान भटकाने के लिये चीन का शीर्ष नेतृत्व अब राष्ट्रवाद के बहाने भारत के साथ सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा रहा है और साथ ही उसने ताइवान की तरफ दो विमानवाहक पोतों को रवाना कर दिया गया है। चीन के इस कदम से ताइवान पर हमले की आशंका बढ़ गई है।

ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिये चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक नौ-सैन्य अभ्यास प्रारम्भ किया है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी दक्षिण चीन सागर में अपने विमानवाहक पोत तैनात कर दिया है, वैश्विक महामारी COVID-19 के बीच ताइवान दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के बीच तनाव का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। इसके साथ ही ताइवान के विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) में शामिल होने के प्रयास से भी चीन को झटका लगा था।

इस आलेख में ताइवान की भौगोलिक स्थिति, चीन-ताइवान इतिहास, चीन-ताइवान के बीच विवाद के कारण, तथा 'एक देश दो प्रणाली' और 'एक चीन नीति' के मुद्दे पर विमर्श करने के प्रयास किया जाएगा।

नोट :

ताइवान की भौगोलिक स्थिति

- ताइवान पूर्व एशिया का एक द्वीप है। यह द्वीप अपने आस-पास के द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग है, इस गणराज्य का मुख्यालय ताइवान द्वीप है।
- ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से यह मुख्य भूमि (चीनी जन-गणराज्य या पी.आर.सी.) का अंग रहा है, परंतु इसकी स्वायत्तता व स्वतंत्रता को लेकर चीनी जन-गणराज्य (People's Republic of China-PRC) और चीनी गणराज्य (Republic of China-ROC) जिसे अब ताइवान के नाम से जानते हैं के बीच विवाद है।
- ताइवान की राजधानी ताइपे एक वित्तीय केंद्र भी है, जो ताइवान के उत्तरी भाग में स्थित है।
- ताइवानी लोग अमाय (Amoy), स्वातोव (Swatow) और हक्का (Hakka) भाषाएँ बोलते हैं। मंदारिन (Mandarin) राजकार्यों की भाषा है।

चीन-ताइवान इतिहास

- चीन के प्राचीन इतिहास में ताइवान का उल्लेख बहुत कम मिलता है, परंतु प्राप्त प्रमाणों के अनुसार ज्ञात होता है कि तांग राजवंश (618-907ई.) के समय से चीनी लोग मुख्य भूमि से निकलकर ताइवान में बसने लगे थे।
- वर्ष 1624 से 1661 तक चीन एक डच (वर्तमान में नीदरलैंड) उपनिवेश था।
- 17वीं शताब्दी में चीन में मिंग वंश का पतन हुआ, और मांचू लोगों ने चिंग वंश की स्थापना की।
- वर्ष 1683 से 1895 तक मुख्य भूमि चीन पर ताइवान का शासन था।
- वर्ष 1895 में, जापान ने पहला चीन-जापानी युद्ध जीता और युद्ध के बाद ताइवान जापान के नियंत्रण में आ गया।
- द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद पाट्सडैम (1945), काहिरा (1946) की घोषणाओं के मुताबिक ताइवान पर राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी का अधिकार फिर से मान लिया गया।
- अगले कुछ वर्षों में चीन में हुए गृहयुद्ध से माओत्से तुंग (Mao Tse Tung) के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक (Chiang Kai-shek) के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी को पराजित किया था।
- कम्युनिस्टों से हार के बाद राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी ने ताइवान में अपनी सरकार बनाई। वर्ष 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि के अनुसार, जापान ने ताइवान से अपने स्वधिकारों को समाप्त घोषित कर दिया।
- वर्ष 1952 में ताइपे में चीन-जापान संधि वार्ता हुई। किंतु किसी भी संधि में ताइवान पर चीन के नियंत्रण का कोई संकेत नहीं किया गया।

विवाद का कारण

- एक देश दो प्रणाली
  - डेंग शियाओपिंग (Deng Xiaoping) द्वारा वर्ष 1970 के आसपास देश के शासन की बागडोर संभालने के बाद एक देश दो प्रणाली (One Country Two Systems) नीति प्रस्तावित की गई थी। डेंग की इस योजना का मुख्य उद्देश्य चीन और ताइवान को एकजुट करना था।
  - इस नीति के माध्यम से ताइवान को उच्च स्वायत्तता देने का वादा किया गया था। इस नीति के तहत ताइवान चीनी संप्रभुता के अंतर्गत अपनी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का पालन कर सकता है, एक अलग प्रशासन चला सकता है और अपनी सेना रख सकता है। हालाँकि ताइवान ने कम्युनिस्ट पार्टी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
- एक चीन नीति
  - यह चीन के उस पक्ष का कूटनीतिक समर्थन है कि विश्व में सिर्फ एक चीन है और ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है।
  - एक नीति के तौर पर इसका अर्थ है कि 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (चीनी जन-गणराज्य या पी.आर.सी.,जो चीन का मुख्य भू-भाग है) से कूटनीतिक संबंधों के इच्छुक देशों को 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (चीनी गणराज्य या आरओसी यानी ताइवान) से संबंध तोड़ने होंगे।
  - इस नीति के तहत अधिकांश देशों के औपचारिक संबंध ताइवान के बजाय चीन के साथ हैं। ताइवान को चीन अपने से टूटकर अलग प्रदेश मानता है, जो एक दिन मुख्य चीन में मिल जाएगा।

नोट :

- यद्यपि ताइवान की सरकार का यह मानना है कि यह एक स्वतंत्र देश है, जो औपचारिक रूप से 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' कहा जाता है, लेकिन इस नीति (एक चीन नीति) के कारण ताइवान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पृथक् पड़ गया है।

- दक्षिण चीन सागर विवाद
  - सर्वप्रथम वर्ष 1947 में मूल रूप से चीन गणराज्य की कुओमितांग सरकार ने 'इलेवन डैश लाइन' (Eleven Dash line) के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को प्रस्तुत किया था।
  - चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करने के बाद टोंकिन की खाड़ी को इलेवन डैश लाइन से बाहर कर दिया गया। परिणामस्वरूप इलेवन डैश लाइन को अब 'नाईन डैश लाइन' (दक्षिण चीन सागर पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाएँ) के नाम से जाना जाने लगा।
  - 'नाईन डैश लाइन' के कारण दक्षिण चीन सागर में दावेदारी को लेकर चीन व ताइवान के बीच अक्सर विवाद होता रहता है।

एक चीन नीति का उद्भव

- इस नीति की शुरुआत 1949 से होने लगी थी, जब चीनी गृहयुद्ध के पश्चात् हारी हुई सत्ताधारी राष्ट्रवादी पार्टी जिसे 'कुओमिंतांग' भी कहा जाता है, ताइवान लौटी और च्यांग काई शेक के नेतृत्व में वहीं 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' की स्थापना की गई। जबकि जीते हुए साम्यवादियों ने 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' की घोषणा की। दोनों पक्षों ने यह दावा किया कि वे पूर्ण चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- तब से चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट दल ने यह धमकी दी है कि अगर ताइवान स्वयं को कभी भी औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित करता है तो वह उस पर बल प्रयोग करेगा, लेकिन हालिया वर्षों में उसने इस द्वीप के साथ नरम कूटनीतिक तरीके को अपनाया है।
- शुरुआत में अमेरिका समेत कई देश साम्यवादी चीन के बजाय ताइवान को तरजीह देते रहे थे, लेकिन कूटनीतिक रुख तब बदलने लगा जब 1970 के दशक की शुरुआत में चीन और अमेरिका ने रिश्ते बनाने की पारस्परिक आवश्यकताओं को समझा और उसके बाद अन्य देश बीजिंग के पक्ष में ताइपे (ताइवान की राजधानी) से रिश्ते तोड़ने लगे।
- हालाँकि अब भी कई देश ताइवान के साथ व्यापार कार्यालयों या सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा अनौपचारिक संबंध बनाए हुए हैं और अमेरिका ताइवान का सबसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा और व्यापार मित्र देश है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन विजेता बना?

- बीजिंग अपने दावे को मज़बूती से आगे बढ़ाने में सक्षम रहा है और इस नीति से उसको सबसे अधिक फायदा हुआ है, जिससे ताइवान कूटनीतिक रूप से कमज़ोर हो गया है।
- पूर्व में ताइवान (रिपब्लिक ऑफ चाइना) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा था। शीतयुद्ध के दौरान ताइवान को अमरीका का पूरा समर्थन मिला हुआ था, परंतु फिर हालात एकदम से बदल गए।
- ताइवान के लिये वर्ष 1971 के बाद से चीजें बदलने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को पहचान दी और यह कहा कि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटना होगा। वर्ष 1971 से चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा हो गया और वर्ष 1979 में ताइवान की संयुक्त राष्ट्र से आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई और तब से ताइवान का पतन शुरू हो गया।
- विश्व के अधिकतर देशों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
- अब विश्व भर में केवल 16 देश ही ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें से प्रशांत महासागर के पाँच छोटे द्वीपीय देश शामिल हैं। भारत ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नही प्रदान करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका

- संयुक्त राज्य अमेरिका को ताइवान का महत्वपूर्ण मित्र और सहयोगी माना जाता है।
- परंतु वर्ष 1970 में आर्थिक प्रगति के बाद अमेरिका नए बाजार तलाश रहा था। उस समय चीन की आबादी 60 करोड़ थी जबकि ताइवान की महज़ एक करोड़ के आसपास। ऐसे में अमेरिकी कॉर्पोरेट चाहते थे कि अमरीका चीन को मान्यता दे, तो इस तरह से ताइवान यहाँ कमजोर पड़ गया।

नोट :

एक चीन नीति पर भारत का दृष्टिकोण

- चीन के कई पड़ोसियों की तरह भारत ने भी हालिया वर्षों में चीनी विदेश नीति के अधिक स्वीकारात्मक और राष्ट्रवादी विचार को ही अपनाया है।
- इन द्विपक्षीय संबंधों में कई बार घर्षण उत्पन्न हुआ, जैसे–विवादित सीमाओं पर चीन द्वारा भारत में घुसपैठ करना, पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को रोकने के चीन के प्रयासों के बाद और भारतीय प्रधानमंत्री एवं दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा, जिसके अधिकतर हिस्से को चीन के द्वारा 'दक्षिणी तिब्बत' कहा जाता है, आदि।
- हाल ही में ताइवान से तनाव के क्रम में चीन ने भारत से एक चीन नीति का समर्थन करने की अपील की है।
- भारत को इस स्थिति में चीन को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करने के लिये विवश करना होगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध: एक नज़र में

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन (Scott Morrison) 4 जून 2020 को द्विपक्षीय आभाषी बैठक (virtual bilateral summit) में हिस्सा लेंगें। इस बैठक का मुख्य विषय भारत-ऑस्ट्रेलिया के रक्षा संबंधों को मज़बूत करना, वैश्विक महामारी COVID-19 से बचाव के बेहतर विकल्प तलाश करना और विश्व स्वास्थ्य संगठन में आवश्यक सुधारों पर बल देना है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा कर रहे हैं और दिनों-दिन इन संबंधों में प्रगति देखी जा रही है। द्विपक्षीय व्यापार, रणनीतिक प्रयास, छात्र विनिमय कार्यक्रम, सतत् विकास के लिये समान प्रतिबद्धताओं ने भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और अधिक गतिशील बना दिया है। जब विश्व व्यवस्था में तेज़ी से बदलाव हो रहा है तब ऐसे दौर में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। निश्चित तौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत व ऑस्ट्रेलिया की एकजुटता चीन की साम्राज्यवादी नीतियों को प्रतिसंतुलित करने में एक सफल प्रयास साबित होगी।

इस आलेख में भारत व ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों के साथ सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों और ऑस्ट्रेलिया के 'विज़न इंडिया 2035' कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऐतिहासिक संबंध

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कई दशकों में क्रमिक रूप से एक-दूसरे के प्रति रणनीतिक विश्वास का निर्माण किया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता से पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित किये, जब भारत के वाणिज्य दूतावास को पहली बार वर्ष 1941 में सिडनी में एक व्यापार कार्यालय के रूप में खोला गया था।
- मार्च 1944 में लेफ्टिनेंट जनरल इवेन मैके (Iven Mackay) को भारत में ऑस्ट्रेलिया का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के पहले उच्चायुक्त को वर्ष 1945 में कैनबरा में नियुक्त किया गया था।
- 1950 के दशक में कोलंबो योजना (Colombo Plan) के माध्यम से कई भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में जाकर अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित किया गया था।
- वर्ष 1992 में ऑस्ट्रेलिया-भारत परिषद (Australia-India Council-AIC) की स्थापना हुई।
- वर्ष 2008 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पारस्परिक विधिक सहायता संधि (Mutual Legal Assistance Treaty-MLAT) और प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) पर हस्ताक्षर किये गए।
- वर्ष 2009 में सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा सहित 'रणनीतिक साझेदारी' के लिये दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का उन्नयन हुआ।
- वर्ष 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी एबॉट (Tony Abbott) की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते (Civil Nuclear Cooperation Agreement) पर हस्ताक्षर किये गए।
- वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 'सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर टू इंडिया बिल 2016' (Civil Nuclear Transfer to India Bill 2016) पारित किया, जो यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक उपयोग के लिये भारत को ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम की आपूर्ति का अनुबंध सुनिश्चित किया जाए।

नोट :

सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

- आर्थिक संबंध:
  - भारत एक तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पहचान करते हुए भारत के साथ महत्त्वपूर्ण आर्थिक समझौते किये हैं।
  - वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलिया में भारत का निर्यात लगभग 4.6 बिलियन डॉलर का था, जबकि इसी अवधि में ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात 11 बिलियन डॉलर का था। ऑस्ट्रेलिया में भारत का मुख्य निर्यात यात्री मोटर वाहन, मशीनरी, मोती, रत्न एवं आभूषण, औषधि एवं परिष्कृत पेट्रोलियम हैं जबकि भारत का प्रमुख आयात कोयला, गैर-मौद्रिक सोना, तांबा, ऊन, उर्वरक और शिक्षा संबंधी सेवाएँ हैं।
  - दोनों देशों के बीच वर्तमान में लगभग 20 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है।
  - दोनों देश वर्तमान में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement- CECA) पर सहमति बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं।
- शैक्षिक संबंध:
  - अध्ययन के लिये अन्य देशों की ओर रुख करने वाले भारतीय छात्रों के लिये ऑस्ट्रेलिया एक लोकप्रिय गंतव्य स्थल है।
  - ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने युवाओं को उनकी योग्यता और अनुभव में वृद्धि के लिये 'न्यू कोलम्बो योजना' (New Colombo Plan) शुरू की है।
  - स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया है, ऑस्ट्रेलिया की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
- सामरिक संबंध:
  - एक खुला और मुक्त एशिया-प्रशांत क्षेत्र भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही हित में है।
  - ऑस्ट्रेलिया ने भी एशिया-प्रशांत के बजाय 'हिंद-प्रशांत' की शब्दावली अपनाई है। यह दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र में भारत की महती भूमिका को स्वीकार किया है।
  - असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के शीघ्र संचालन तथा भारत के सुरक्षित परमाणु रिएक्टरों के लिये यूरेनियम आपूर्ति को भी ऑस्ट्रेलिया का समर्थन प्राप्त है।
- रक्षा संबंध:
  - रक्षा क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक साझा चिंता चीन को लेकर है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति से चिंतित है, तो वहीं भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित है।
  - वर्ष 2019 के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय नौ-सेनाओं ने दो सप्ताह तक चलने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास AUSINDEX में भाग लिया था।
  - इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना तथा रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (Royal Australian Navy-RAN) के बीच आपसी सहयोग एवं पारस्परिकता को बढ़ाने के लिये तथा कर्मचारियों को आपस में अपने पेशेवर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करने के लिये किया गया था।
  - यह महत्त्वपूर्ण है कि वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति के श्वेत-पत्र में भारत को अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, चीन के साथ अग्रिम पंक्ति के अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के रूप में मान्यता दी गई।
  - चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिये 'क्वाड' (QUAD) की संकल्पना वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा की गई थी। इस समूह में जापान व संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त भारत व ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं।

लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट

- यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य रसद के उपयोग की अनुमति देगा, जिसके अंतर्गत दोंनों देशों के सैनिक आपस में भोजन, पानी और पेट्रोलियम जैसी सुविधाओं का आदान-प्रदान कर सकेंगे।
- यह समझौता चीन के सैन्य विस्तार और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होगा।

नोट :

किन क्षेत्रों में संबंध बेहतर हो सकते हैं?

- अंतरिक्ष अनुसंधान:
  - अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। इसरो द्वारा चंद्रयान, मंगलयान से लेकर एक साथ 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है।
  - भारत, ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष संबंधी पहलों के लिये इसरो के तत्त्वावधान में अभियान चला सकता है। इससे जहाँ ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष में पहुँच बढ़ेगी वहीं भारत महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है।
- ऊर्जा:
  - ऑस्ट्रेलिया, ऊर्जा क्षेत्र में भारत का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस दशक के अंत तक ऑस्ट्रेलिया भारत को एलएनजी (Liquefied Natural Gas) निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा।
  - भारत को चाहिये कि ऑस्ट्रेलिया के साथ दीर्घकालिक और सुरक्षित एलएनजी आपूर्ति सुनिश्चित कर मध्य-पूर्व पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करे।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में व्यापक प्रगति की है। 84 मिलियन डॉलर का भारत-ऑस्ट्रेलिया रिसर्च फंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी भी देश के लिये इस क्षेत्र में किया गया अब तक सबसे बड़ा निवेश है।
  - फिर भी कुछ मोर्चों पर सुधार की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 1.1 बिलियन डॉलर की राशि के साथ अपना एक 'नेशनल इनोवेशन एंड साइंस एजेंडा' ज़ारी किया है। भारत के लिये यह उपयुक्त अवसर है कि वह इस एजेंडे के साथ अपने 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्ट-अप इंडिया' जैसे अभियानों को लेकर चले, ताकि विज्ञान एवं नवाचार आर्थिक विकास को गति दे सके।
- स्वास्थ्य:
  - ऑस्ट्रेलिया उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने 'नियंत्रित अनुकूलन'(Controlled Adaptation) के माध्यम से अब तक वैश्विक महामारी COVID-19 का मुकाबला करने में कामयाबी हासिल की है।
  - भारत को स्वास्थ्य और सुरक्षित भोजन के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिये ऑस्ट्रेलिया से महत्त्वपूर्ण सबक सीखने की ज़रुरत है।
  - दोनों ही देशों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जाँच में सहयोग प्रदान किया है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन में आवश्यक सुधार करने पर बल दिया है।

विज़न इंडिया 2035

- ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विज़न इंडिया 2035 लॉन्च किया है। यह विज़न डॉक्यूमेंट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देगा।
- इसमें फूड पार्टनरशिप, खनन कारोबार का विस्तार और हवाई संपर्क को बेहतर बनाना शामिल है।
- यह विज़न डॉक्यूमेंट भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक भविष्य का रोडमैप प्रस्तुत करता है। ऑस्ट्रेलिया यह मानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो अगले 20 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई कारोबार के लिये किसी भी अन्य एकल बाज़ार की तुलना में अधिक अवसर प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की गई पूर्ववर्ती साझेदारी जहाँ एक ओर 'एशिया-प्रशांत संकल्पना' के स्थान पर 'हिंद-प्रशांत संकल्पना को मज़बूती देने में अहम् साबित होगी तो वहीं दूसरी ओर क्वाड समूह के लिये पथ प्रदर्शक का कार्य भी करेगी। भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध न केवल चीन को प्रतिसंतुलित करेगा बल्कि विश्व व्यवस्था को एक नई ऊँचाई पर ले जाने का भी कार्य करेगा।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

3D प्रिंटिंग: भविष्य की तकनीकी

संदर्भ

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में 3D प्रिंटिंग के विविध क्षेत्रों में बढ़ते प्रयोग ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है। हालाँकि, अभी यह तकनीकी उद्विकास के स्तर पर है तथा सर्वसुलभ भी नहीं है लेकिन तकनीकी रूप से विकसित देशों ने इसे हाथों-हाथ लिया है और वे घरेलू उपकरणों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र तक इसका व्यापक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 3D प्रिंटिंग तकनीकी का इस्तेमाल विविध क्षेत्रों में खासकर सुरक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी उपकरणों के विविध भागों की मरम्मत करने और उपकरण संबंधी विविध घटकों के निर्माण के लिये किया जा रहा है।

इस आलेख में 3D प्रिंटिंग तकनीक को समझने के साथ उसके अनुप्रयोग, संबंधित वैश्विक परिदृश्य, भारत में इसकी संभावनाएँ, इससे जुड़ी चुनौतियाँ तथा इन चुनौतियों के समाधान का प्रयास किया जाएगा।

क्या है 3D प्रिंटिंग ?

- 3D प्रिंटिंग मूलत: विनिर्माण की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर त्रिविमीय (Three Dimensional) ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है।
- इसके लिये मूल रूप से डिजिटल स्वरूप में एक त्रिविमीय वस्तु को डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद 3D प्रिंटर के द्वारा उसे भौतिक स्वरूप में प्राप्त किया जाता है।
- 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक (Additive Manufacturing) पर आधारित होते हैं।
- जहाँ एक साधारण प्रिंटिंग मशीन में इंक और पन्नों की आवश्यकता होती है, वहीं इस प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट की जाने वाली वस्तु के आकार, रंग आदि का निर्धारण कर उसी अनुरूप उसमें पदार्थ डाले जाते हैं।

3D प्रिंटिंग के अनुप्रयोग

- 3D प्रिंटिंग अपनी तीन नई खासियतों, खासकर कम समय, वस्तु की डिज़ाइन की स्वतंत्रता तथा कम कीमत के वजह से विनिर्माण क्षेत्र के लिये एक क्रांतिकारी बदलाव की संभाव्यता रखती है।
- इससे बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यमुक्त होंगे जिन्हें अन्य क्षेत्रों में काम देकर संभावनाओं के नए द्वार खोले जा सकते हैं।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में इस तकनीक का इस्तेमाल कई कार्यों, जिनमें ऊत्तक इंजीनियरिंग, प्रोस्थेटिक तथा कृत्रिम मानव अंगों के निर्माण में किया जा रहा है। इसके अलावा विनिर्माण, शिक्षा, अंतरिक्ष तथा सुरक्षा के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी पहल साबित होगी।

3D प्रिंटिंग से संबंधित वैश्विक परिदृश्य

- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2017 में वैश्विक 3D प्रिंटिंग बाज़ार तकरीबन 7.01 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच गया था। औद्योगिक स्तर पर किये जाने वाले 3D प्रिंटिंग के उपयोग की बात करें तो वर्ष 2019 में बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2018 के दौरान 3D प्रिंटिंग का सर्वाधिक उपयोग हार्डवेयर, उसके पश्चात सॉफ्टवेयर तथा सबसे कम उपयोग सेवा क्षेत्र में किया गया था।
- वर्ष 2018 में उत्तरी अमेरिका, 3D प्रिंटिंग (Additive Manufacturing) का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने के कारण बाज़ार में अपनी 37 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर रहा।
- स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा 'एक सॉफ्ट सिलिकन हृदय' का विकास किया गया जो लगभग मानव हृदय के समान ही कार्य करता है। इसके अलावा चीन तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने संयुक्त प्रयास से 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका का विकास किया, वहीं यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का प्रयोग करते हुए विश्व के पहले कॉर्निया का निर्माण किया है।

नोट :

- अमेरिकी शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने 3D प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से हथेली पर समा जाने वाली एक 'स्पंज' जैसी संरचना तैयार की है, जो प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित हो सकती है। शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान रासायनिक एजेंट टाईटेनियम डाईऑक्साइड के नैनो कणों को मिलाकर एक 'स्पंज' के समान प्लास्टिक साँचे का निर्माण किया। जिसमें पानी, वायु और कृषि स्रोतों से प्रदूषण को समाप्त करने की क्षमता है।

3D प्रिंटिंग और भारत में संभावनाएँ

- भारत में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से देश के प्रमुख विनिर्माताओं ने विदेशी तकनीकी फर्मों के साथ 3D प्रिंटिंग असेंबली लाइन और वितरण केंद्रों की स्थापना की है।
- Price Waterhouse Coopers (PWC) की 'द ग्लोबल इंडस्ट्री 4.0' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में इस बात का ज़िक्र किया गया था कि वर्ष 2016 के दौरान योगात्मक विनिर्माण तकनीकों में लगभग 27 प्रतिशत उद्योगों ने निवेश किया है जो इस बात का संकेत करता है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग के व्यापक प्रयोग की संभावना है।
- वर्तमान में भारत सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला विकासशील देश है जहाँ निवेश के अवसरों को बढ़ाने एवं देश की विनिर्माण क्षमताओं को मज़बूती प्रदान करने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' तथा 'स्किल इंडिया' जैसी पहलें आरंभ की गई हैं जिसमें 3D प्रिंटिंग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- इसका उपयोग छोटे शहरों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण होगा तथा पारंपरिक और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग न केवल कम लागत और अधिक कुशल साबित होगा बल्कि समय की भी बचत होगी।
- विमानन और मोटर वाहन जैसे क्षेत्रों में इस तकनीक के उपयोग से परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है जिससे न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता और निर्माण के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों में भी कमी आएगी जो देश के पर्यावरण के संदर्भ में वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी होगा।

4D प्रिंटिंग

- 4D प्रिंटिंग तकनीक के द्वारा ऐसी वस्तुओं को तैयार किया जा सकता है, जो 'समय' के साथ परिस्थितियों के अनुकूल अपना आकार बदल सकती हैं। ध्यातव्य है कि आस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग (University of Wollongong) के शोधकर्त्ताओं ने 3D प्रिंटेड पदार्थों का विकास किया, जिसे पानी या आग जैसे बाहरी प्रभावों के तहत नई संरचनाओं का रूप दिया जा सकता है। इस तकनीक को 4D प्रिंटिंग नाम दिया गया है। ये नए पदार्थ बच्चे के खिलौने की तरह खुद को एक से दूसरे आकार में बदलने में सक्षम है।
- 4D प्रिंटिंग तकनीक विकास के शुरुआती चरण में है, जो तेज़ी से बायोइंजीनियरिंग, मैटेरियल साइंस, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों में एक नए प्रतिमान के रूप में उभर रही है।
- नैनो प्रौद्योगिकी की दुनिया में यह अग्रिम पहल वृहद् स्तर पर अनुप्रयुक्त की जा रही है। 4D प्रिंटिंग तकनीक को 'बायोप्रिंटिंग', 'एक्टिव ओरिगामी' या 'सेप मॉर्फिंग सिस्टम' के नाम से भी जाना जाता है।

4D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग

- रोबोटिक्स के क्षेत्र में किसी जटिल विद्युत यांत्रिक उपकरण का इस्तेमाल किये बिना 4D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग कर महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
- इस तकनीक से चाइल्ड-केयर उत्पादों का निर्माण किया जा सकेगा जो तापमान और आर्द्रता पर प्रतिक्रिया कर सकें। जैसे- कपड़े और जूते पर्यावरण के अनुकूल अपना कार्य एवं रूप बदल लें।
- मानव शरीर में प्रत्यारोपित किये जा सकने वाले जैव रासायनिक घटक शोधकर्त्ताओं द्वारा बनाए जा रहे हैं।
- इस तकनीक का प्रयोग करके घरेलू उपकरण एवं उत्पादों को तापमान अनुकूल बनाकर ज़्यादा कार्य सक्षम एवं आरामदायक बनाया जा सकता है।

3D प्रिंटिंग से लाभ

- कम लागत- 3D प्रिंटिंग के द्वारा पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम लागत पर उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है।

नोट :

- समय की बचत- 3D प्रिंटिंग के द्वारा कम समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा सकता है। यह कार्य की दक्षता में वृद्धि करने में सक्षम है।
- अति कुशल- 3D प्रिंटिंग के द्वारा उत्पन्न प्रोटोटाइप का निर्माण बहुत आसानी और तीव्रता के साथ किया जा सकता है।
- लचीलापन- 3D प्रिंटिंग के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ प्रयोग में लाई जा सकती हैं। इससे विभिन्न प्रकार के प्रोटोटाइप और उत्पादों को प्रिंट करना आसान हो जाता है।
- टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता- उत्पाद नमी को अवशोषित नहीं करते हैं, जिससे वह लंबे समय तक प्रयोग में रहते हैं।

3D प्रिंटिंग से जुड़ी चुनौतियाँ

- 3D प्रिंटिंग से संबंधित चुनौतियों की बात की जाए तो 3D प्रिंटरों में विविधता के कारण उत्पादों के निर्माण में गुणवत्ता की भिन्नता आ जाएगी। साथ ही 3D प्रिंटरों में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर एक आदर्श मानक का अभाव है।
- इन प्रिंटरों के अंतर्गत उत्पादों के निर्माण में सर्वाधिक मात्र में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है तथा इसमें बड़े स्तर पर बिजली की खपत होती है जिसे किसी भी दृष्टि से पर्यावरण के लिहाज़ से अच्छा नहीं कहा जा सकता है।
- देश में न केवल लोगों में इस प्रौद्योगिकी के विषय में जागरूकता का अभाव है बल्कि इससे संबंधित शोध कार्यों का भी अभाव है। आयात लागत का अधिक होना, रोज़गार में कमी तथा 3D प्रिंटर से संबंधित घरेलू निर्माताओं की सीमित संख्या भी देश में 3D प्रिंटिंग की चुनौतियों को उजागर करती हैं।

आगे की राह

- हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अभी यह तकनीकी अपने उद्विकास के आरंभिक चरण में है तथा विकास के क्रम में इससे संबंधित चुनौतियों का समाधान भी निकला जाएगा।
- भारत को 3D जैसी उन्नत तकनीकी का लाभ लेने के लिये तकनीकी शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करना होगा तथा शोध एवं विकास कार्यों हेतु पर्याप्त वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

निष्कर्ष

निश्चित ही 3D प्रिंटिंग के उपयोग का क्षेत्र व्यापक है जिसमें घरेलू से लेकर अंतरिक्ष तक विभिन्न आयाम शामिल हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। इसके साथ ही अब हमें 4D प्रिंटिंग तकनीकी जैसी क्रांतिकारी अवधारणा को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये।

भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

संदर्भ

"तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस पार क्या है,
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है।
सिंधु की नि:सीमता पर लघु लहर का लास कैसा,
दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा।।"

सभ्यता की शुरुआत से ही मानव अंतरिक्ष की रोमांचक कल्पनाएँ करता रहा है। इन रोमांचक कल्पनाओं में अंतरिक्ष कभी आध्यात्म का विषय बना तो कभी कविताओं और दंत-कथाओं का। पारलौकिकतावाद से प्रभावित होकर कभी मानव ने अपनी कल्पना के स्वर्ग और नरक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिये तो कभी मानवतावाद के प्रभाव में आकर पृथ्वी को केंद्र में रखा और अंतरिक्ष को उसकी परिधि मान लिया। धीरे-धीरे जब सभ्यता और समझ विकसित हुई तो मानव ने अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने के लिये प्रेक्षण यंत्र बनाएँ, जिनमें दूरबीनें प्रमुख थीं। इसके बाद प्रारम्भ हुआ विज्ञान के माध्यम से अंतरिक्ष को समझने का प्रयास। इस क्रम में आर्यभट्ट से लेकर गैलीलियो, कॉपरनिकस, भास्कर एवं न्यूटन तक प्रयास होते रहे। न्यूटन के बाद आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का विकास हुआ, जो आज इतना परिपक्व हो गया है कि हम मानव को अंतरिक्ष में भेजने के साथ अंतरिक्ष पर्यटन एवं अंतरिक्ष कॉलोनियाँ बसाने की भी कल्पना करने लगे हैं।

नोट :

भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय हित में अंतरिक्ष तकनीक एवं उसके अनुप्रयोगों का विकास करना है। भारत ने जब अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो कई विकसित देशों ने इसका मजाक बनाया था,परंतु भारत ने अपने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता प्राप्त की और आज वह श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों की कतार में शामिल है।

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ

- भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हालिया वर्षों में ऐसी कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी कहे जाने वाले अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी चौंकाया है।
- 22 जनवरी 2020 को बंगलूरू में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (IAA) और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (ASI) के पहले सम्मेलन में इसरो द्वारा मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्द्ध-मानवीय महिला रोबोट 'व्योममित्र' को लॉन्च किया।
- 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी-सैटेलाइट मिसाइल (A-SAT) से तीन मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया।
- 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेवीगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेवीगेशन सैटेलाइट है। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की तरह अपना नेवीगेशन सिस्टम है।
- 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV MK 3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3,136 किग्रा का सैटेलाइट जीसैट-19 साथ लेकर गया। इससे पहले 2,300 किग्रा से भारी सैटेलाइटों के प्रक्षेपण के लिये विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था।
- 14 फरवरी 2017 को इसरो ने पीएसएलवी के जरिये एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले इसरो ने वर्ष 2016 में एकसाथ 20 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया था जबकि विश्व में सबसे अधिक रूस ने वर्ष 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकार्ड बनाया था। इस अभियान में भेजे गए 104 उपग्रहों में से तीन भारत के थे और शेष 101 उपग्रह इज़राइल, कज़ाखस्तान, नीदरलैंड, स्विटज़रलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के थे।
- 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया। इसकी उपलब्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ऐसा पहला देश था, जिसने अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा यह अभियान इतना सस्ता था कि अंतरिक्ष मिशन की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म ग्रैविटी (Graviti) का बजट भी भारतीय मिशन से महँगा था। भारतीय मंगलयान मिशन का बजट करीब 460 करोड़ रुपये (6.70 करोड़ डॉलर) था जबकि वर्ष 2013 में आयी ग्रैविटी फिल्म करीब 690 करोड़ रुपये (10 करोड़ डॉलर) में बनी थी।
- 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने देश का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

- वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) की स्थापना हुई। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बंगलुरू में है।
- इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया।
- इसे भारत सरकार के 'स्पेस डिपार्टमेंट' द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।
- इसरो अपने विभिन्न केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है।

भारत के लिये इसरो का महत्त्व

- स्थापना के पश्चात् भारत के लिये इसरो ने कई कार्यक्रमों एवं अनुसंधानों को सफल बनाया है। इसने न सिर्फ भारत के कल्याण के लिये बल्कि भारत को विश्व के समक्ष सॉफ्ट पॉवर के रूप में स्थापित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नोट :

- देश में दूरसंचार, प्रसारण और ब्रॉडबैंड अवसंरचना के क्षेत्र में विकास के लिये इसरो ने उपग्रह संचार के माध्यम से कार्यक्रमों को चलाया। इसमें प्रमुख भूमिका INSAT और GSAT उपग्रहों की रही। वर्तमान में भारत संचार सेवाओं के लिये 200 से अधिक ट्रांसपोंडरों (Transponders) का उपयोग हो रहा है। इन उपग्रहों के माध्यम से भारत में दूरसंचार, टेलीमेडिसिन, टेलीविज़न, ब्रॉडबैंड, रेडियो, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव अभियान जैसी सेवाएँ प्रदान कर पाना संभव हुआ है।
- भारत में इसरो की दूसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका भू-पर्यवेक्षण (Earth Observation) के क्षेत्र में रही है। भारत में मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, संसाधनों की मैपिंग करना तथा भू-पर्यवेक्षण के माध्यम से नियोजन करना आदि के लिये भू-पर्यवेक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है। मौसम की सटीक जानकारी के द्वारा कृषि और जल प्रबंधन तथा आपदा के समय वक्त रहते बचाव कार्य इसी तकनीक के द्वारा संभव हो सका। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इसी तकनीक द्वारा तैयार होती है।
- तीसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र उपग्रह आधारित नौवहन (Navigation) है। नौवहन तकनीक का उपयोग भारत में वायु सेवाओं को मज़बूत बनाने तथा इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिये होता है। साथ ही वर्तमान समय में वायु आधरित सुरक्षा चुनौतियाँ भी कम नही है। इनको ध्यान में रखकर भारत ने गगन (GPS-aided GEO augmented-GAGAN) कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत ने कुछ समय पूर्व ही इस कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) लॉन्च किया है जो 7 उपग्रहों पर आधारित है। भारत ने वर्ष 2016 में IRNSS के नाम में परिवर्तन करके इसे नाविक (Navigation with Indian Constellation-NAVIC) कर दिया है।

अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी है भारत

- अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित कर दिखाया है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से वह पीछे नहीं है।
- अब कई देश भारत के प्रक्षेपण यान से अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने लगे हैं, इनमें ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक है। भारत द्वारा एक-साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण इस बात का ज्वलंत उदाहरण है।
- इस तरह उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रगति की एक उल्लेखनीय उपलब्धि मिशन शक्ति है।

अंतरिक्ष कार्यक्रम के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत के पास एस्ट्रोनॉट्स को प्रशिक्षित करने तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिये लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीकियों का अभाव है।
- लॉन्च व्हीकल, लॉन्च क्रू मोड्यूल, स्पेस कैप्सूल रि-एंट्री टेक्नोलॉजी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेससूट आदि अभी विकास की प्रक्रिया में हैं।
- मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की तकनीकी दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) दो भारतीय प्रक्षेपण यान हैं जो उपग्रह और मोड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिये तैनात किये गए हैं जो अभी तक 'मैनरेटेड' (शून्य विफलता वाले लॉन्च व्हीकल की सुरक्षा और अखंडता को मापने के लिये प्रयोग किया जाने वाला शब्द है।) नहीं हैं।

अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग की संभावनाएँ

- मौज़ूदा समय में विश्व की कई कंपनियाँ अंतरिक्ष की वाणिज्यिक दौड़ में शामिल हुई हैं। इन कंपनियों ने विश्व को अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग के लिये सोचने को प्रोत्साहित किया है। वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का आकार 350 बिलियन डॉलर है। इसके वर्ष 2025 तक बढ़कर 550 बिलियन डॉलर होने की संभावना है।
- इस प्रकार अंतरिक्ष एक महत्त्वपूर्ण बाज़ार के रूप में विकसित हो रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं किंतु भारत का अंतरिक्ष उद्योग 7 बिलियन डॉलर के आस-पास है, जो वैश्विक बाजार का केवल 2 प्रतिशत ही है। भारत के अंतरिक्ष उद्योग के इस आकार में ब्रॉडबैंड तथा DTH सेवाओं का हिस्सा करीब दो-तिहाई है।
- इसरो के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जायेगा। इसके साथ ही वर्ष 2022 तक तीन सदस्यीय दल को अंतरिक्ष भेजने के लिये 'गगनयान' परियोजना को भी मंज़ूरी दी गई है। यह परियोजनाएँ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के आर्थिक उपयोग की संभावनाओं में वृद्धि करेंगी।

नोट :

निज़ी क्षेत्र की भूमिका

- भारत में अंतरिक्ष के लिये निजी क्षेत्र की भूमिका को सीमित रखा गया है। सिर्फ कम महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिये ही निजी क्षेत्र की सेवाएँ ली जाती रहीं हैं। उपकरणों को बनाना और जोड़ना तथा परीक्षण (Assembly, Integration and Testing-AIT) जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य अभी भी इसरो ही करता है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष क्षेत्र का संस्थान नासा (NASA) भी निजी क्षेत्र की सहायता लेता रहा है। मौजूदा समय में भारत में नवीन अंतरिक्ष से संबंधित 20 से अधिक स्टार्ट-अप मौजूद हैं। इन उद्यमों का दृष्टिकोण पारंपरिक विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता मॉडल से भिन्न है। ये स्टार्ट-अप सीधे व्यापार से जुड़कर या सीधे उपभोक्ता से जुड़कर व्यापार की संभावनाएँ तलाश रहे हैं।
- जिस प्रकार विभिन्न स्वतंत्र एप्प निर्माताओं को सीधे एंड्राइड और एप्पल प्लेटफार्म में प्रवेश की अनुमति दी गई उसने स्मार्ट फ़ोन के उपयोग में क्रांति को जन्म दिया। इसी प्रकार अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को स्थान देकर इस क्षेत्र की संभावनाओं में वृद्धि की जा सकती है तथा यह भारत के दृष्टिकोण से भी लाभकारी होगा।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय

भारत में बंधुआ मज़दूरी : कारण और समाधान

संदर्भ

कुछ दिन पूर्व ही बंगलूरू में घटित एक घटना ने बरबस ही अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। यह घटना बंधुआ मज़दूरी से संबंधित थी। एक गैर-सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन (International Justice Mission-IJM) के अनुसार, ओड़िशा और छतीसगढ़ के श्रमिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध गैर-कानूनी रूप से बंधक बनाकर, उनसे कार्य कराया जा रहा था।

सामान्यत: भारत में बंधुआ मज़दूरी गैर-कानूनी है और पूर्णतया प्रतिबंधित है परंतु हमें अक्सर इस प्रकार की घटनाएँ देखने को मिलती रहती है। वर्तमान में बंधुआ मज़दूरी का एक नया प्रारूप देखने को मिल रहा है। सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस नए प्रारूप को 'आधुनिक दासता' (Modern Slavery) की संज्ञा दी है। वैश्विक दासता सूचकांक (Global Slavery Index), 2018 के अनुसार, भारत में 18 मिलयन लोग आधुनिक दासता में जकड़े हुए हैं।

इस आलेख में बंधुआ मज़दूरी , उसके कारण, वर्तमान में बंधुआ मज़दूरी के नए रूप, इसके समाधान में सरकार व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International labour Organisation) के द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा।

क्या है बंधुआ मज़दूरी ?

- ऐसा व्यक्ति जो लिये हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिये श्रम करता है या सेवाएँ देता है, बंधुआ मज़दूर (Bounded Labour) कहलाता है। इसे 'अनुबंध श्रमिक' या 'बंधक मजदूर' भी कहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बंधुआ मज़दूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनवरत रूप से चलती रहती है। ऐसे श्रमिको द्वारा किये जा रहे कार्यों को ही बंधुआ मज़दूरी कहा जाता है।
- सामान्यत: ऋण के भुगतान के साधन के रूप में बंधुआ मजदूर की मांग की जाती है। सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण करने पर यह प्रतीत होता है कि वास्तव में इस अमानवीय प्रथा को अवैतनिक श्रम का लाभ उठाने के लिये एक चाल के रूप में शोषणकारी जमींदारों और साहूकारों द्वारा इसका प्रयोग किया गया है।

भारत में बंधुआ मज़दूरी व्यवस्था की उत्पत्ति

- भारत में बंधुआ मज़दूरी व्यवस्था की उत्पत्ति देश की विशेष सामाजिक-आर्थिक संस्कृति के कारण हुई है। भारत में प्रचलित विभिन्न अन्य सामाजिक बुराइयों की तरह, बंधुआ मज़दूरी भी हमारी वर्ण-व्यवस्था की एक उपशाखा है।
- समाज में कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति होने के कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को गाँवों में जमींदार या साहूकार उन्हें अपने श्रम को नाममात्र के वेतन या बिना किसी वेतन के बेचने को मजबूर करते हैं।
- अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था ने बंधुआ मज़दूरी को आधार प्रदान किया। अंग्रेजों ने भू-राजस्व की शोषणकारी व्यवस्था को इस प्रकार अपनाया कि अपनी भूमि पर खेती करने वाला किसान अब स्वयं उसका किराएदार हो गया। निर्धारित समय पर भू-राजस्व न चुका पाने पर वह बंधुआ मज़दूरी करने के लिये विवश हुआ।

बंधुआ मज़दूरी का स्वरुप

- बंधुआ मज़दूरी का सबसे अधिक प्रचलन कृषि क्षेत्र में है। परंपरागत रूप से भूमि का स्वामित्व उच्च सामजिक-आर्थिक स्तर वाले लोगों के पास है, जबकि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले लोगों के पास भूमि बहुत कम या न के बराबर होती है। परिणामस्वरूप ऐसे लोगों को विवश होकर बंधुआ मजदूर के रूप में दूसरे के खेतों में कार्य करना पड़ता है।
- वस्तुत: बंधुआ मज़दूरी केवल कृषि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शहरों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे-खनन, माचिस निर्माण की फैक्ट्रियाँ और ईंट भट्ठे आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली है।

नोट :

- शहरों में प्रवासी मजदूरों को अपने श्रम को बहुत कम या बिना वेतन के बेचने को मजबूर होना पड़ता है। शहरों में छोटे स्तर की इकाईयों जैसे- पटाखे निर्माण की फक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल उद्योग, चमड़ा उद्योग, चाय की दुकानों, होटलों,ढाबों आदि में तमाम प्रवासी मजदूर कार्य करते हुए दिख जाते हैं।
- इतना ही नहीं समय के साथ बंधुआ मज़दूरी ने अपना रूप परिष्कृत कर लिया है, जिसे विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक दासता की संज्ञा दी गई है।

आधुनिक दासता

- आधुनिक दासता शब्द को किसी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। यह शोषणकारी प्रकृति की स्थितियों का वर्णन करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है जिसमें कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, धोखा और शक्ति के दुरुपयोग के कारण किसी नियोजित कार्य को छोड़ या मना नहीं कर सकता है।
- आधुनिक दासता में श्रम, ऋण बंधन, और मानव तस्करी जैसे शोषणकारी कार्य शामिल हैं।
- विशेषज्ञों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में H-1B वीज़ा नीति को आधुनिक दासता का एक उदाहरण माना है।

बंधुआ मज़दूरी के कारण

- आर्थिक कारक
  - आधारभूत आवश्यकताओं जैसे- रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति न हो पाना।
  - कृषि प्रधान देश होने के बावजूद सभी के पास जीवननिर्वाह योग्य भूमि का न होना।
  - आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य स्रोत वन उत्पाद होते हैं। उपलब्ध वन उत्पादों की कीमत का कम होना।
  - बाढ़ व सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का आना।
  - मुद्रास्फीति के कारण निरंतर कीमतों का उच्च पाया जाना।
- सामाजिक कारक
  - अशिक्षा व साधनहीनता के कारण श्रमिकों का ऋणजाल में फँस जाना।
  - बेहतर जीवन जीने की इच्छा के कारण बिना किसी ठोस रणनीति के शहरों की ओर प्रवास, जिससे ऐसे प्रवासी लोगों को सेवायोजक की मनमानी शर्तों को मानने के लिये विवश होना पड़ता है।
  - कार्यकुशलता व दक्षता का अभाव भी बंधुआ मज़दूरी का कारण बनता है।
- धार्मिक कारक
  - वर्ण और जाति व्यवस्था की संस्कृति का विद्यमान होना।

बंधुआ मज़दूरी से निपटने में सरकार के प्रयास

- संवैधानिक रक्षोपाय
  - अनुच्छेद 19 (1) (G) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या उनकी पसंद का रोज़गार करने का अधिकार होगा।
  - अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। बंधुआ मज़दूरी की प्रथा सभी संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकारों का उल्लंघन करती है।
  - अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध करता है।
  - अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है।
  - अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत तत्त्वों का उपबंध करता है।
- विधिक रक्षोपाय
  - बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के शोषण को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।

नोट :

- न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (1948) मजदूरों को भुगतान की जाने वाली मज़दूरी की मानक राशि निर्धारित करता है। अधिनियम में श्रमिकों के लिये निर्धारित समय सीमा भी शामिल है, जिसमें श्रमिकों के लिये अतिरिक्त समय, मध्यावधि अवकाश, अवकाश और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं।
- संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 को बेहतर काम की परिस्थितियों को लागू करने और संविदा मजदूरों के शोषण को कम करने के लिये लागू किया गया है।
- अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (सेवा के विनियमन और रोजगार की स्थिति) अधिनियम, 1979 को भारतीय श्रम कानून में अंतर्राज्यीय मजदूरों की कामकाजी स्थितियों को विनियमित करने के लिये अधिनियमित किया गया था।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 370 के तहत, गैर-कानूनी श्रम अनिवार्य रूप से निषिद्ध है।
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और संशोधन अधिनियम 2016 बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध आरोपित करता है और कुछ विशेष रोज़गारों में बच्चों के कार्य की दशाओं को नियंत्रित करता है।
- मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) अधिनियम, 2018 इसमें सरकार ने तस्करी के सभी रूपों को नए सिरे से परिभाषित किया है।

योजनाओं के द्वारा रक्षोपाय

- बंधुआ मज़दूर पुनर्वास योजना 2016 के अनुसार, इस योजना के तहत बंधुआ मज़दूरी से मुक्त किये गए वयस्क पुरुषों को 1 लाख रुपए तथा बाल बंधुआ मज़दूरों और महिला बंधुआ मज़दूरों को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही योजना के तहत प्रत्येक राज्य को इस संबंध में सर्वेक्षण के लिये भी प्रति ज़िला 4.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- उज्जवला योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, यह योजना मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के लिये आश्रय और पुनर्वास प्रदान करती है।

बंधुआ मज़दूरी को दूर करने में चुनौतियाँ

- गरीबी का सटीक सर्वेक्षण न हो पाना: वर्ष 1978 के बाद से किसी भी प्रकार का सरकार के नेतृत्व वाला देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जो बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन में एक बड़ी रुकावट है।
- आँकड़ों की अनुपलब्धता: बंधुआ श्रम पर सरकारी आँकड़े बचाव और पुनर्वास संख्या पर आधारित हैं। इस तरह के आँकड़े भारत में बंधुआ श्रम की व्यापकता को ठीक से नहीं दर्शाते हैं।
- मामलों की अंडर रिपोर्टिंग: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो,2017 के आँकड़ों से पता चलता है कि सभी मामले पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं। वर्ष 2014 से 2016 के बीच सिर्फ 290 पुलिस केस दर्ज किये गए जिसमें कुल 1338 व्यक्ति पीड़ित पाए गये।
- कानूनों का लचर कार्यान्वयन: लचर कानून प्रवर्तन के कारण भारत में बंधुआ मज़दूरी एक समस्या बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस तथ्य कि ओर ध्यान आकृष्ट कराया है कि बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिये जिला-स्तरीय सतर्कता समितियाँ अपने कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं ले रही हैं।
- श्रमिकों के बीच जागरूकता की कमी: बंधुआ मजदूरों को श्रम कानून के बारे में पता नहीं होता है और वे प्रशासन को केवल तभी सूचना देते हैं जब उनका अत्यधिक शोषण हो जाता है।
- पुनर्वास की समस्या: बाल श्रमिकों सहित बंधुआ मजदूरों के बचाव और पुनर्वास की व्यावहारिक चुनौतियाँ हैं। इनमें पर्याप्त सुदृढीकरण सेवाएँ, मानव और वित्तीय संसाधनों की कमी, सीमित संगठनात्मक जवाबदेही और गैर-सरकारी संगठनों के बीच संवाद की कमी प्रमुख हैं।

बंधुआ मज़दूरी के निवारण में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- दास व्यापार और दासता उन्मूलन कन्वेंशन (Convention on the suppression of slave trade and slavery), 1926 का उद्देश्य दासता और दास व्यापार के उन्मूलन की पुष्टि करना है।
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (International covenantion on civil and political rights), 1966 दासता और दास व्यापार के सभी रूपों यथा- वंशानुगत सेवा या बलपूर्वक या अनिवार्य श्रम सभी को प्रतिबंधित करता है।

नोट :

- बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन (Convention on rights of child), 1989 बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित कर उन्हें आर्थिक शोषण से बचाता है।
- बंधुआ मज़दूरी के उन्मूलन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन
  - वर्ष 2017 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दो प्रमुख कन्वेंशन का अनुमोदन किया।
  - कन्वेंशन 138: रोजगार हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण
  - कन्वेंशन 182: बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों यथा- बाल दासता (Child Slavery) (बच्चों को बेचने, उनकी तस्करी करने, बंधुआ मज़दूर बनाने, सशस्त्र समूहों में बलपूर्वक भर्ती करने), बाल वेश्यावृत्ति एवं अश्लील गतिविधियों में उनके अनुचित इस्तेमाल, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे घृणित कृत्यों में उनके उपयोग तथा अन्य जोखिम भरे कार्यों (विशेषकर ऐसे कार्यों में जिनसे बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिकता को नुकसान पहुँचता है) को पूर्णता प्रतिबंधित करना।
- सतत् विकास लक्ष्य 8.7 वर्ष 2025 तक बंधुआ मज़दूरी, आधुनिक दासता और बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों के उन्मूलन हेतु प्रभावी उपाय करने पर बल देता है।

आगे की राह

- सरकार द्वारा समय-समय पर सर्वेक्षण करके बंधुआ मजदूरों का एक डेटाबेस बनाने के लिये ठोस प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- अंतर-राज्य समन्वय तंत्र की आवश्यकता है ताकि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यस्थल में सुधार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा सके।
- बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार के लिये उपाय किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बंधुआ मज़दूरी के मामलों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में निपटाया जाना चाहिये और मजदूरों को न्याय प्रदान किया जाना चाहिये।

The Vision

नोट :

कला एवं संस्कृति

महात्मा बुद्ध: पुनर्जागरण के अग्रदूत

संदर्भ

विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन से समस्त मानव जाति को एक नई राह दिखाई है। उन्हीं में से एक महान विभूति गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग (मध्यम मार्ग) दिखाने वाले महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। भारतीय वैदिक परंपरा में धीरे-धीरे जो कुरीतियाँ पनप गईं थी, उन्हें पहली बार ठोस चुनौती महात्मा बुद्ध ने ही दी थी।

बुद्ध ने वैदिक परंपरा के कर्मकांडों पर कड़ी चोट की किंतु वेदों और उपनिषदों में विद्यमान दार्शनिक सूक्ष्मताओं को किसी-न-किसी मात्रा में अपने दर्शन में स्थान दिया और इस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को एक बने-बनाए ढर्रे से हटाकर उसमें नवाचार की गुंजाइश पैदा की। मध्यकाल में कबीरदास जैसे क्रांतिकारी विचारक पर महात्मा बुद्ध के विचारों का गहरा प्रभाव दिखता है। डॉ अंबेडकर ने भी वर्ष 1956 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था और तर्कों के आधार पर स्पष्ट किया था कि क्यों उन्हें महात्मा बुद्ध शेष धर्म-प्रवर्तकों की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक नज़र आते हैं। आधुनिक काल में राहुल सांकृत्यायन जैसे वामपंथी साहित्यकार ने भी बुद्ध से प्रभावित होकर जीवन का लंबा समय बुद्ध को पढ़ने में व्यतीत किया।

इस आलेख में बुद्ध के जीवन वृत्तांत, उनके दर्शन के सकारात्मक व नकारात्मक पहलूओं तथा बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर विमर्श किया जाएगा।

महात्मा बुद्ध: जीवन वृत्तांत

- महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराइयों में स्थित लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था।
- यह सर्वविदित है कि युवावस्था में उन्होंने मानव जीवन के दुखों को देखा जैसे रोगी व्यक्ति, वृद्धावस्था एवं मृत्यु। इसके विपरीत एक प्रसन्नचित्त संन्यासी से प्रभावित होकर बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े।
- महात्मा बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्म बोध प्राप्त किया।
- वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ।
- उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद का आह्वान किया, जहाँ बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया गया। इन शिक्षाओं को पिटकों के रूप में समानुक्रमित करने के लिये चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया जिसके पश्चात् तीन मुख्य पिटक बने।
- विनय पिटक (बौद्ध मतावंलबियों के लिये व्यवस्था के नियम), सुत पिटक (बुद्ध के उपदेश सिद्धांत) तथा अभिधम्म पिटक (बौद्धदर्शन), जिन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। इन सब को पाली भाषा में लिखा गया है।

बुद्ध दर्शन के सकारात्मक पहलू

- बुद्ध के दर्शन का सबसे महत्त्वपूर्ण विचार 'आत्म दीपो भव:' अर्थात 'अपने दीपक स्वयं बनो'। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या नैतिक-अनैतिक प्रश्न का निर्णय स्वयं करना चाहिये। यह विचार इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देकर हर व्यक्ति को उसमें प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करता है।
- बुद्ध के दर्शन का दूसरा प्रमुख विचार 'मध्यम मार्ग' के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म दार्शनिक स्तर पर तो इसका अर्थ कुछ भिन्न है, किंतु लौकिकता के स्तर पर इसका अभिप्राय सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रकार के अतिवादी व्यवहार से बचना चाहिये।
- बुद्ध दर्शन का तीसरा प्रमुख विचार 'संवेदनशीलता' है। यहाँ संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों के दुखों को अनुभव करने की क्षमता। वर्तमान में मनोविज्ञान जिसे समानुभूति (Empathy) कहता है, वह प्राय: वही है जिसे भारत में संवेदनशीलता कहा जाता रहा है।
- बुद्ध दर्शन का चौथा प्रमुख विचार यह है कि वे परलोकवाद की बजाय इहलोकवाद पर अधिक बल देते हैं। गौरतलब है कि बुद्ध के समय प्रचलित दर्शनों में चार्वाक के अलावा लगभग सभी दर्शन परलोक पर अधिक ध्यान दे रहे थे। उनके विचारों का सार यह था कि इहलोक मिथ्या है और परलोक ही वास्तविक सत्य है। इससे निरर्थक कर्मकांडों तथा अनुष्ठानों को बढ़ावा मिलता था।

नोट :

- बुद्ध ने जानबूझकर अधिकांश पारलौकिक धारणाओं को खारिज किया।
- बुद्ध दर्शन का पाँचवा प्रमुख विचार यह है कि वे व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होने की सलाह देते हैं। अहंकार का अर्थ है 'मैं' की भावना। यह 'मैं' ही अधिकांश झगड़ों की जड़ है। इसलिये व्यक्तित्व पर अहंकार करना एकदम निरर्थक है।
- बुद्ध दर्शन का छठा प्रमुख विचार हृदय परिवर्तन के विश्वास से संबंधित है। बुद्ध को इस बात पर अत्यधिक विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छा बनने की संभावनाएँ होती हैं, ज़रूरी यह है की उस पर विश्वास किया जाए और उसे समुचित परिस्थितियाँ प्रदान की जाएँ।

बुद्ध दर्शन के नकारात्मक पहलू

- बुद्ध का सबसे कमज़ोर विचार उनका यह विश्वास है कि संपूर्ण जीवन दुखमय है। उन्होंने जो चार आर्य सत्य बताए हैं, उनमें से पहला 'सर्वम दुखम' है अर्थात सबकुछ दुखमय है। इस बिंदु पर बुद्ध एकतरफा झुके हुए नज़र आते हैं जबकि जीवन को न तो सिर्फ दुखमय कहा जा सकता है और न ही सिर्फ सुखमय। सत्य तो यह है कि सुखों की अभिलाषा ही वे प्रेरणाएँ है जो व्यक्ति को जीवन के प्रति उत्साहित करती है।
- बुद्ध के विचारों में एक अन्य महत्त्वपूर्ण खामी नारियों के अधिकारों के संदर्भ में दिखती है। जैसे महिलाओं को शुरूआत में संघ में प्रवेश नहीं देना। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि अगर संघ में महिलाओं का प्रवेश न होता तो यह धर्म एक हजार वर्ष तक चलता पर अब यह 500 वर्ष ही चल पाएगा। जबकि वर्तमान में हम देखते हैं कि महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिला कर चलने में सक्षम हैं।

महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता

- महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत के एक महान विभूति हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नयी राह दिखाई। उनके विचार, उनकी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के पश्चात् आज भी हमारे समाज के लिये प्रासंगिक बने हुए हैं।
- वर्तमान समय में बुद्ध के स्व निर्णय के विचार का महत्त्व बढ़ जाता है दरअसल आज व्यक्ति अपने घर, ऑफिस, कॉलेज आदि जगहों पर अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण फैसले भी स्वयं न लेकर दूसरे की सलाह पर लेता है अत: वह वस्तु बन जाता है। बुद्ध का 'आत्म दीपो भव:' का सिद्धांत व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है।
- बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय था। उनके इन विचारों की पुष्टि इस कथन से होती है कि वीणा के तार को उतना नहीं खींचना चाहिये कि वह टूट ही जाए या फिर उतना भी उसे ढीला नहीं छोड़ा जाना चाहिये कि उससे स्वर ध्वनि ही न निकले।
- दरअसल आज दुनिया में तमाम तरह के झगड़े हैं जैसे- सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद तथा जातिवाद इत्यादि। इन सारे झगड़ों के मूल में बुनियादी दार्शनिक समस्या यही है कि कोई भी व्यक्ति देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस दृष्टि से इस्लामिक स्टेट जैसे अतिवादी समूह हो या मॉब लिंचिंग विचारधारा को कट्टर रूप में स्वीकार करने वाला कोई समूह हो या अन्य समूह सभी के साथ मूल समस्या नज़रिये की ही है। महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग सिद्धांत को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। हम यह मानने लगते हैं कि कोई भी चीज का अति होना घातक होता है। यह विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के मेल-मिलाप तथा आम सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है।
- महात्मा बुद्ध का यह विचार की दु:खों का मूल कारण इच्छाएँ हैं, आज के उपभोक्तावादी समाज के लिये प्रासंगिक प्रतीत होता है। दरअसल प्रत्येक इच्छाओं की संतुष्टि के लिये प्राकृतिक या सामाजिक संसधानों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने लगेंगे, साथ ही सामजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज और नैतिकता के लिये अनिवार्य हो जाता है। इस बात की पुष्टि हाल ही में 'अर्थ आवर शूट डे' के रिपोर्ट से होती है जिससे यह पता चलता है कि जो संसाधन वर्ष भर चलना चाहिये था वह आठ माह में ही समाप्त हो गया।

निष्कर्ष

प्रत्येक विचारक की तरह बुद्ध कुछ बिंदुओं पर आकर्षित करते है तो कुछ बिंदुओं पर नहीं कर पाते हैं। विवेकशीलता का लक्षण यही है कि हम अपने काम की बातें चुन लें और जो अनुपयोगी हैं, उन्हें त्याग दें। बुद्ध से जो सीखा जाना चाहिये, वह यह है कि जीवन का सार संतुलन में है, उसे किसी भी अतिवाद के रास्ते पर ले जाना गलत है। हर व्यक्ति के भीतर सृजनात्मक संभावनाएँ होती हैं, इसलिये व्यक्ति को अंधानुकरण करने के बजाय स्वयं अपना रास्ता बनाना चाहिये।

नोट :